लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४१, १९६०/१८८२ (शक)

२१ मार्च से २ अप्रैल १९६०/१ से १३ चैत्र १८८२ (शक)

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

दसवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४१ में अंक २१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[द्वितीय माला, खंड ४१—अंक ३१ से ४०—२१ मार्च से २ अप्रैल, १९६०/१ से १३ चैत्र १८८२ (शक)]

अंक ३१—सोमवार, २१ मार्च, १९६०/१ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५९ से ९६१, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७४, ९७७ से ९८१ और ९८३ . . . . ३२७९—३३०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० ३३०३-०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६२, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७२, ९७३, ९७५, ९७६, ९८२ और ९८४ से ९९६ . . ३३०४—१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६१ से १३०७ . . ३३१५—३५

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . ३३३५

स्थगन प्रस्ताव

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल ३३३६-३७

चीन के प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा के बारे में वक्तव्य . . . ३३३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३३७

प्राक्कलन समिति

बहत्तरवां प्रतिवेदन ३३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

लुधियाना में कपड़े के कारखानों का बन्द होना . . . ३३३९

अनुदानों की मांगें—

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय . . . . . ३३३९—८६

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ३३८६—९०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ३३९१—९६

पृष्ठ

अंक ३२—मंगलवार, २२ मार्च, १९६०/२ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७, ९९९, १००१, १००२, १००४ से १००६, १००८ से १०१२, १०१४ और १०१५ . . . ३३९७–३४४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९८, १०००, १००३, १००७, १०१३ और १०१६ से १०३७ . . ३४२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०८ से १३५७ . . ३४३५–३४५७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३४५७-५८

प्राक्कलन समिति—

अठहतरवां प्रतिवेदन ३४५८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

शाहदरा में छोटे पैमाने के अलुमीनियम कारखानों का बन्द होना . ३४५९

अनुदानों की मांगें ३४५९–३५२५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ३४५९–३५०६

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ३५०६–२५

दैनिक संक्षेपिका . . . ३५२६–३०

अंक ३३—बुधवार, २३ मार्च, १९६०/३ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३८ से १०४२, १०४४ से १०४७, १०५० से १०५२ और १०५४ . . . . . ३५३१–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४३, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५५ से १०६८ . . . . . . ३५५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १३५८ से १४०६ और १४०८ से १४११ ३५६२–८९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

दक्षिण अफ्रीका की घटनायें ३५८९–९१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५९१–९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन ३५९२

पृष्ठ

अनुदानों की मांगें—

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . . ३५९२-३६५०

दैनिक संक्षेपिका . ३६५१-५५

अंक ३४—गुरुवार, २४ मार्च, १९६०/४ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६९ से १०७३ और १०७५ से १०८० ३६५७-७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०७४, १०८१ से १०९० और १०९२ से १०९५ ३६७८-८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१२ से १४५० ३६८५-३७०१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बनारस के निकट विमान दुर्घटना . . ३७०१-०२

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७०२

प्राक्कलन समिति—

सततरवां प्रतिवेदन ३७०२

अनुदानों की मांगें ३७०३-५९

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय ३७०३-१०

गृह कार्य मन्त्रालय ३७११-५९

दैनिक संक्षेपिका ३७६०-६३

अंक ३५—शुक्रवार, २५ मार्च, १९६०/५ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९६ से १०९८, ११००, १११६, १११९, ११०१, ११०३ से ११०७, १११४, १११५ से १११८ . ३७६५-९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९९, ११०२ और ११०८ से १११३ . . ३७९१-९५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५१ से १४८५ . . . . ३७९५-३८१०

दक्षिण अफ्रीका के लगां नामक स्थान पर गोलीकाण्ड के बारे में सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८१०-१३

पृष्ठ

सभा का कार्य ३८१३

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मन्त्रालय . . . . . ३८१३—४१

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन ३८४१-४२

अन्दमान और निकोबार द्वीपों के नाम बदलने के बारे में संकल्प ३८४२—४६

तीसरी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प ३८४६

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३८६८—७२

अंक ३६–सोमवार, २८ मार्च, १९६०/८ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२३, ११२९, ११२६, ११३२, ११३४, ११३७ से ११४०, ११४२, ११४३, ११४५ और ११४६ . . ३८७३—९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२७, ११२८, ११३०, ११३१, ११३३ ११३५, ११३६, ११४१ और ११४४ . . . ३८९९—३९०३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८६ से १५४१ . . ३९०४—२८

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के बारे में ३९२९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३९२९–३०

प्राक्कलन समिति—

उनासीवां प्रतिवेदन . . ३९३०

लोक लेखा समिति—

पच्चीसवां प्रतिवेदन ३९३०

विधि व्यवसायी विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ३९३१

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति . . . ३९३१

बम्बई पुनर्गठन विधेयक—पुरःस्थापित ३९३१–३२

धार्मिक न्यास विधेयक—पुरःस्थापित ३९३२

पृष्ठ

दक्षिण अफ्रीका में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में संकल्प . ३६३२—४०

अनुदानों की मांगें . . . ३६४१—८५

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३६८७—६१

अंक ३७—बुधवार, ३० मार्च, १६६०/१० चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४७ से ११४६, ११५१ से ११५५, ११५७ से ११६० और ११६२ से ११६४ . . . . ३६६३—४०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५०, ११५६, ११६१ और ११६५ से ११८३ ४०१८—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४२ से १५८४ और १५८६ से १६०४ ४०२६—४६

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के बारे में . . . ४०४६—५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ४०५०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन . . ४०५०

प्राक्कलन समिति—

इक्यासीवां प्रतिवेदन . ४०५०

भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य . . ४०५१

अनुदानों की मांगें—

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय . . . ४०५१—४१०६

भारतीय लोक प्रशासन संस्था के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . ४१०६—०७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४११२—१६

अंक ३८—गुरुवार, ३१ मार्च, १६६०/११ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११८४ से ११८६, ११८८ से ११६१, ११६३ से ११६७ और १२०४ . . . ४११७—४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११८७, ११६२, ११६८ से १२०३ और १२०५ से १२१५ . . . . ४१४३—५३

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १६०५ से १६४६ और १६५१	४१५३—७३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४१७४
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४१७५
लोक लेखा समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन	४१७५
प्राक्कलन समिति—	
चौहत्तरवां प्रतिवेदन	४१७५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
उन्नीसवां प्रतिवेदन	४१७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
बोकारो में इस्पात का कारखाना	४१७६
अनुदानों की मांगें—	
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय	४१७६—८८
नियम का निलम्बन	४१८६-६०
बम्बई पुनर्गठन विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	४१६१—४२०५
दैनिक संक्षेपिका	४२०६—११
अंक ३६—शुक्रवार, १ अप्रैल, १६६०/१२ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२२५, १२२७, १२२६ और १२३१ से १२३४	४२१३—३७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२८ और १२३५ से १२४२	४२३७—४०
अतारांकित प्रश्न संख्या १६५२ से १६८५	४२४१—५६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४२६०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
अनुसूचित जाति के लोगों को कुएं से पानी लेने से रोकना	४२६०
तारांकित प्रश्न संख्या ३४८ के उत्तर की शुद्धि	४२६१
बम्बई पुनर्गठन विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	४२६१—८३

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन ४२८३

न्यायालय अवमान विधेयक—श्री बि० दास गुप्त का—पुरःस्थापित . ४२८३

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक .

(धारा ७३ का संशोधन)—वापस लिया गया—

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . ४२८४—९२

कैथोलिक चर्च परिसर और पादरी संघ (राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबन्ध) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव ४०९२—४३००

दैनिक संक्षेपिका . ४३०१—०४

अंक ४०—शनिवार, २ अप्रैल, १९६०/१३ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४४, १२४६, १२४७, १२४९ से १२५१, १२५४ से १२५६, १२५८, १२६० और १२६१ . ४३०५—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४८, १२५२, १२५३, १२५७, १२५९ और १२६२ से १२६६ . . . ४३२७—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८६ से १७१० और १७१२ से १७१६ ४३३२—४७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

सहारा में फ्रांस द्वारा दूसरा आणविक परीक्षण ४३४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४३४६–४७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मालगाड़ी से मोटर टायरों का लूटा जाना . ४३४७—४९

सभा का कार्य . . ४३४९

अनुदानों की मांगें—

सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय . ४३५०—४४०२

दैनिक संक्षेपिका . . . ४४०३—०५

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, १ अप्रेल, १९६०
१२ चैत्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उड़ीसा में बाली मेला परियोजना

+

†*१२१६. { **श्री संगण्णा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २१ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने बालीमेला परियोजना के लिये वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री संगण्णा :** क्या अपर सिलेरू परियोजना और बालीमेला परियोजना इस दृष्टि से एक दूसरे पर आश्रित है कि उन में से किसी एक परियोजना के अधिक लाभप्रद सिद्ध हो जाने पर इस परियोजना को छोड़ दिया जायेगा ।

†**श्री हाथी :** जी, नहीं । दोनों परियोजनाओं को चलाया जा सकता है और इस कार्य में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी ।

†**श्री संगण्णा:** इस परियोजना पर कुल लगभग कितना खर्च आयेगा और क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से प्राक्कलन और योजना प्राप्त हो गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

106 (Ai) LSD—1.

†**श्री हाथी** : हमारे पास अग्रिम प्रतिवेदन आ गया है। प्राक्कलन के अनुसार उस पर लगभग ३७.४८ करोड़ रुपये खर्च होंगे।

†**श्री स० चं० सामन्त** : पिछली बार हमें सूचित किया गया था कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में प्राक्लकन तैयार किये जायेंगे। क्या ये आंकड़े उसी के अनुसार बनाये गये हैं ?

†**श्री हाथी** : प्राक्लकन तैयार किया गया है और उस के अनुसार मैं ने आंकड़े बता दिये हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इस सम्बन्ध में की जा रही जांच के कार्य में कितनी प्रगति हो चुकी है ?

†**श्री हाथी** : ग्रिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उस पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब अग्रिम प्रतिवेदन तैयार किया गया था, क्या उस समय केन्द्रीय निर्माण विभाग ने भी उड़ीसा सरकार की सहायता की थी ?

†**श्री हाथी** : मैं इस बारे में निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कह सकता, परन्तु इस अग्रिम प्रतिवेदन का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा परीक्षण किया जायेगा और यदि इस में कोई प्रविधिक बात हुई, तो उस बारे में अवश्य परामर्श दिया जायेगा।

†**श्री संगण्णा** : क्या यह परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है और यदि यह इस काल में पूरी न की जा सकी तो क्या इसे तृतीय योजना में भी सम्मिलित कर लिया जायेगा ?

†**श्री हाथी** : यह परियोजना द्वितीय योजना में सम्मिलित नहीं है।

वृहद् कलकत्ता में जल संभरण

+

†*१२१७. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल ने, जिस की सहायता कुछ भारतीय विशेषज्ञ कर रहे है, वृहद कलकत्ता में जल संभरण और नाली व्यवस्था संबंधी समस्याओं का अध्ययन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हों ने क्या सिफारिशें की हैं :

(ग) समस्याओं के समाधान पर कितना व्यय होगा; और

(घ) उस की पूर्ति कैसे होगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट ३, अनुबन्ध ३४]

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वित्तीय खर्च के सम्बन्ध में अभी तक हिसाब नहीं लगाया गया है ।

(घ) वित्तीय खर्च के बारे में हिसाब लगा लेने के बाद ही इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण में हुगली नदी में वर्ष में तीन महीनों तक इकट्ठे रहने वाले खारी पानी को दूर करने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया गया है । क्या इस कार्य को भी लिया जायेगा या नहीं ?

†**श्री करमरकर** : उस के सम्बन्ध में भाग (ग) में उल्लेख कर दिया गया है ।

†**श्री हेम बरूआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कलकत्ता के लिये प्रति दिन ३००० लाख गैलन पानी की जरूरत होती है परन्तु इस समय बहुत कम पानी संभारित किया जा रहा है, सरकार ने इस को दूर करने के लिये क्या क्या ठोस कार्यवाही की है ?

†**श्री करमरकर** : इस सम्बन्ध में कार्यवाही करना तो बंगाल सरकार तथा कलकत्ता नगर निगम का काम है ।

†**श्री साधन गप्त** : योजना पर खर्च के सम्बन्ध में कौन हिसाब लगा रहा है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ।

†**श्री करमरकर** : जैसाकि माननीय सदस्य को ज्ञात है कि पश्चिमी बंगाल सरकार और कलकत्ता निगम इस सम्बन्ध में अत्याधिक उत्सुक हैं और मेरा अनुमान है कि वे वित्तीय लागत का हिसाब लगाने में अधिक देर नहीं लगायेंगे । हां संभव है कि आवश्यक वित्तीय सहायता देने में समय लग जाये ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या जिन अन्तरिम कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सिफारिशें की गयी हैं, उन्हें भी खर्च के बारे में प्राक्कलन तैयार होने तक रोक दिया जायेगा, या कि उन्हें अभी प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

†**श्री करमरकर** : अन्तरिम कार्यवाहियों को स्थायी कार्यवाहियों से पहले ही प्रारम्भ करना चाहिये परन्तु जहां तक निश्चिय समय का सम्बन्ध है, इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : विवरण (ग) में यह बताया गया है कि जब हुगली में नया पानी नहीं आता, तब तक कलकत्ता में पेयजल का संभरण संभव नहीं है परन्तु प्रश्न यह है कि नया पानी कहां से आयेगा ?

†**श्री करमरकर** : माननीय सदस्य ने विवरण (ग) का उल्लेख किया है । इस के लिये नया पानी नलकूपों से या वर्षा के पानी या किसी और स्रोत से प्राप्त किया जा सकेगा । यदि माननीय सदस्य इस के लिये निश्चित रूप से भौगोलिक आधार पर उत्तर चाहते हैं तो उस के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : जहां तक हुगली का सम्बन्ध है, उस के लिये ये उपाय संभव नहीं है . . .

†**श्री करमरकर** : संभव है कि वैसा करना अभी कठिन प्रतीत होता हो । परन्तु वे इस सम्बन्ध में नये पानी के लिये संभावनाओं की खोज कर रहे हैं . . . .

†**श्री त्यागी** : उस समय तक वहां के लोग प्यासे मर जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर :** हम नहीं कह सकते कि उस समय तक क्या होगा। परन्तु इस सम्बन्ध में हम अपनी ओर से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा :** नगर में बिना साफ किये हुए पानी के संभरण की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री करमरकर :** वहां पर अत्यधिक मात्रा में बिना साफ़ किया गया पानी सप्लाई किया जाता है और यह सारा कार्यक्रम कलकत्ता नगर को साफ़ किया गया पानी संभरित करने के लिए ही बनाया जा रहा है। माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे उस विवरण को पढ़ने का प्रयत्न करें।

†**श्री मो० बे० ठाकुर :** क्या कलकत्ता नगर के कुछ एक क्षेत्रों में नलकूपों से प्राप्त होने वाला पानी भी खारा है ?

†**श्री करमरकर :** मुझे भी ऐसी ही जानकारी मिली है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने इस प्रश्न की अनुमति केवल इसीलिये दी है जिससे माननीय सदस्य यह पूछ सकें कि क्या केन्द्रीय सरकार भी इसके खर्च में से कुछ अंश वहन कर रही है। राज्यों के सम्बन्ध में नगर निगम और नगरपालिकायें ही मुख्य रूप से जिम्मेवार होती हैं। माननीय सदस्य यहां पर ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं मानो कि विभिन्न नगरों के खारे पानी के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जिम्मेवार हैं। यह काम तो उस नगरनिगम तथा उस राज्य सकार का है। मैं चकित हूं कि यहां पर प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं जैसे कि मानो यह बंगाल की विधान सभा हो।

†**श्री हेम बरूआ :** पश्चिमी बंगाल सरकार तथा कलकत्ता निगम ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह तो ठीक है, परन्तु माननीय मंत्री से यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि पानी को साफ कैसे किया जायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्रालय को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अधिकांश पदाधिकारियों ने यह कहा है कि गंगा पर बांध लगाना ही समस्या का एकमात्र हल है और एक विशेषज्ञ ने यह कहा है कि पानी दामोदर घाटी क्षेत्रों से लाया जाये ?

†**श्री करमरकर :** इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है। परन्तु हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक दल ने इस स्थान का निरीक्षण किया है और उसने कुछ सुझाव भी दिये हैं।

दिल्ली में पश्चिमी यमुना नहर

†*१२१८. { †श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पश्चिमी यमुना नहर का परियोजना प्रतिवेदन टेक्निकल जांच के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह परियोजना प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध हो सकेगा ?

†**श्री हाथी** : मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता । यह तो पंजाब सरकार पर निर्भर करता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या पंजाब सरकार दिल्ली प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार में इस सम्बन्ध में पारस्परिक बातचीत की जायेगी और यदि हां, तो इन सभी सरकारों ने इस परियोजन प्रतिवेदन पर विचार करने के कार्य को गति देने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री हाथी** : प्रतिवेदन तो पंजाब सरकार द्वारा तैयार किया जायेगा । प्राप्त हो जाने पर उस बारे में शेष सरकारों से भी विचार विमर्श किया जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पंजाब सरकार ने परियोजना प्रतिवेदन को तैयार करने में कितना अधिक समय लिया है और उसने इस कार्य को गति देने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री हाथी** : इस परियोजना प्रतिवेदन के कार्य को गति देने के लिये हम ने पंजाब सरकार को लिख दिया है ।

सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिये इंजीनियरों की तालिका

+

†*१२१६. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की समस्याओं पर परामर्श के लिए विशिष्ट इंजीनियरों की तालिका बनाने की प्रस्थापना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तालिका बन गई है; और

(ग) तालिका में कितने इंजीनियरों के नाम सम्मिलित किये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) चार ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इसके लिये इंजीनियरों के चुनाव के लिये सरकार ने क्या उपाय अपनाया है ?

†**श्री हाथी** : हम इसके लिये सामान्य रूप से राज्य सरकारों और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से परामर्श लेते हैं और ऐसे इंजीनियरों और विशेषज्ञों को इस तालिका में रखा जाता है जिन्हें सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के काम में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकारी सेवा से निवृत्ति प्राप्त सिंचाई कार्यों में पर्याप्त सीमा तक अनुभव प्राप्त विशेषज्ञों को भी उस तालिका में सम्मिलित किया जायेगा ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**श्री हाथी** : जी, हां उन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या गैर सरकारी परामर्शदाता इंजीनियरों से भी इस सम्बन्ध में परामर्श लिया जायेगा ?

†**श्री हाथी** : जी, हां । उनके सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा ।

†**श्री खुशवक्त राय** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस पैनल में जो इंजीनियर रखे गये हैं, उनके नाम क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सब नाम ?

†**श्री खुशवक्त राय** : श्रीमन्, सिर्फ़ चार नाम हैं । माननीय मंत्री बता दें ।

†**श्री हाथी** : उनके नाम हैं––सर्वश्री एन० एन० आय्यंगार, दिलदार हुसेन, एम० नरसिंहय्या, तथा एस० डी० खुनगार ।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि ये वही लोग हैं, जो मिनिस्ट्री आफ़ इरिगेशन एंड पावर की रिपोर्ट में कनसल्टेंट्स बताये गये हैं ?

†**श्री हाथी** : जी हां, वे परामर्शदाता हैं ।

†**श्री तंगामणि** : अब जबकि हीराकुड बांध का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और वह बांध आज से ही राज्य सरकार के हवाले किया जा रहा है, क्या इस तालिका तथा हीराकुड बांध के अन्य इंजीनियरों को भी राज्य सरकार के हवाले कर दिया जायेगा ताकि बांध के संधारण और बिजली घर के निर्माण में उन की सेवाओं का उपयोग किया जा सके ?

†**श्री हाथी** : स्वभावतः जो इंजीनियर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के इंजीनियर थे, उन्हें तो उसी आयोग में वापिस भेज दिया जायेगा, परन्तु जिन इंजीनियरों को उड़ीसा सरकार अपने पास रखना चाहेगी उन्हें वहीं रहने दिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य संभवतः यह जानना चाहते हैं कि क्या चीफ़ इंजीनियर को भी तालिका में सम्मिलित कर लिया जायेगा ?

†**श्री हाथी** : संभवतः चीफ़ इंजीनियर अब कार्य करने के लिये तैयार नहीं होंगे । यदि वे इसके लिये तैयार हुए तो निश्चित रूप से उनके नाम पर विचार किया जायेगा ।

संसत्सदस्यों को मालगाड़ियों में यात्रा करने की अनुमति देना

†*१२२०. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे प्राधिकारी संसत्सदस्यों को यात्री गाड़ी उपलब्ध न होने पर आपात काल में भी मालगाड़ी में अपने पासों से यात्रा करने की अनुमति नहीं देते;

(ख) यदि हां, तो संसत्सदस्यों ने ऐसी कितनी शिकायतें की हैं; और

(ग) कठिनाई दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) सभी रेलों में एक समान प्रक्रिया नहीं है । परन्तु रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विशेष हिदायत नहीं जारी की गयी है कि संसत्सदस्यों को मालगाड़ियों के ब्रेक वैन में यात्रा करने की अनुमति न दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के कथित अनुचित व्यवहार के सम्बन्ध में ही केवल एक शिकायत आयी है।

(ग) संचालन सम्बन्धी अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप मालगाड़ियों में यात्रा करने वालों को होने वाले विलम्ब, असुविधा तथा नुकसान आदि को ध्यान में रखते हुए यही निर्णय किया गया था कि मालगाड़ियों से यात्रा करने की इच्छा रखने वाले यात्रियों से एक क्षति बांड भरवाया जाये ताकि ब्रेक वैन में यात्रा करने के परिणामस्वरूप होने वाली हानि की जिम्मेवारी से रेलवे मुक्त हो जाये। इसके अतिरिक्त यात्रा करने के इच्छुक व्यक्ति को उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर से एक आपात प्रमाणपत्र (एमर्जेंसी सर्टिफिकेट) भी लेना होता है जिस स्टेशन से वह व्यक्ति गाड़ी में बैठना चाहता है। उस व्यक्ति को प्रथम दर्जे का टिकट खरीदना पड़ेगा।

जहां तक संसद् सदस्यों का सम्बन्ध है, जिनके पास प्रथम दर्जे के पास होते हैं, उन पर टिकट खरीदने के अतिरिक्त शेष सभी शर्तें लागू करने के सम्बन्ध में निर्णय किया गया है।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या यह सच है कि रेलवे स्टेशनों पर रेलवे प्राधिकारी कई बार एमर्जेंसी (आपात अवस्था) में यात्रा करने के इच्छुक प्रथम श्रेणी के यात्रियों को मालगाड़ियों के आने जाने के सम्बन्ध में गलत जानकारी दे देते हैं और यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस सम्बन्ध में केवल एक ही शिकायत आई है, मेरा अनुमान है कि वह स्वयं माननीय सदस्य द्वारा ही भेजी गई होगी। जहां तक मालगाड़ियों द्वारा यात्रा करने का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि इससे एमर्जेंसी (आपात) का सामना कैसे हो सकता है।

†**श्री हेम बरूआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सवारी गाड़ियों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को भी कई प्रकार की हानियां हो जाती हैं, और चोटें भी आ जाती हैं तो क्या सरकार यात्री गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों से भी क्षति बांड भरवाने की नीति लागू करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी नहीं, यह बांड केवल मालगाड़ियों के सम्बन्ध में ही भराया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता, ऐसे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देना चाहिए।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : रेलवे मंत्रालय कुछ एक नियमों में छट देने का यत्न कर रहा है और यह वास्तव में एक श्रेयस्कर कार्य है। क्या सरकार संसद् सदस्यों द्वारा माल गाड़ियों में यात्रा करने के सम्बन्ध में भी नियमों में छट देने के प्रश्न पर विचार करेगी।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं समझता हूं कि एमर्जेंसी (आपात) की हालत में मालगाड़ी में यात्रा करने की अपेक्षा किसी बैलगाड़ी अथवा साइकिल पर यात्रा करना अधिक अच्छा होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय उपमंत्री ने बता दिया है कि प्रथम श्रेणी के टिकट की खरीद के अतिरिक्त शेष सभी शर्तें लागू होंगी। उनमें से एक शर्त यह है कि स्टेशन मास्टर से एक 'आपात प्रमाण पत्र' लेना पड़ता है। माननीय सदस्य स्पष्टतया यह कहना चाहते हैं कि स्टेशन मास्टर से 'आपात प्रमाण-पत्र' लेने को बजाय एक 'आपात बयान' की व्यवस्था कर दी जाये। माननीय मंत्री उस पर विचार करेंगे।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हम इस पर विचार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में खाद्यान्न का रक्षित भंडार

†*१२२१. **श्री प्र० के० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में इस वर्ष खाद्यान्न का कोई रक्षित भण्डार बनाया गया है;

(ख) इस भण्डार में कितना खाद्यान्न है; और

(ग) वह कहां स्थित है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां । उड़ीसा सरकार खाद्यान्न का स्टाक इकट्ठा कर रही है ।

(ख) १-३-१९६० तक लगभग ४७,००० टन खाद्यान्न ।

(ग) स्टाक सरकारी भाण्डागारों, राज्य के विभिन्न जिलों के क्रय एजेन्टों तथा भाण्डागार एजेन्टों के डिपुग्रों में रखा गया है ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या उस राज्य में प्रति वर्ष जुलाई और अगस्त के महीनों में सामान्यतया हो जाने वाली अन्न की कमी की और विशेषतया उड़ीसा-पश्चिमी बंगाल अन्न जोन के कारण आगामी वर्षा-काल में होने वाली कमी को पूरा करने की दृष्टि से वह स्टाक पर्याप्त है ?

†**श्री अ० म० थामस** : माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि हमने यह निर्णय किया था कि उड़ीसा में लगभग ७५,००० टन अन्न का स्टाक रक्षित किया जाये । राज्य सरकार यह अनुभव करती है कि वह उस स्टाक को रखने के लिये आवश्यक स्थान की भी व्यवस्था कर लेगी ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या गत कुछ महीनों में इस स्टाक में से कुछ खाद्यान्न कमी के क्षेत्रों में भी भेजा गया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : वसूल किये गये इस खाद्यान्न को विभिन्न जिलों में और विशेषतया कमी के ज़िलों में रखा गया है ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या गत कुछ महीनों में उन क्षेत्रों में खाद्यान्न भेजा गया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : पिछले कुछ समय से उचित मूल्य की दूकानों या किसी और उपाय से अन्न के वितरण की जरूरत पैदा हो गयी है । इसीलिये खाद्यान्न को विभिन्न स्थानों पर रखा गया है । बाकी मैं यह नहीं कह सकता कि क्या इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया है या नहीं ।

†**श्री संगण्णा** : क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल ही में उड़ीसा राज्य के वित्त मंत्री ने यह कहा है कि उड़ीसा में अन्न के मूल्यों में वृद्धि हो जाने का कोई खतरा नहीं है ।

†**श्री अ० म० थामस** : जी, हां, हम ने भी यही कहा है कि उड़ीसा के लोगों को भयभीत होने की काई आवश्यकता नहीं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : माननीय उपमंत्री ने अभी अभी यह बताया है कि उचित मल्य की दूकानों को अन्न बफ़र स्टाक से नहीं दिया जा रहा है । वहां पर उचित मूल्य की दूकानें तो खोल दी गयी हैं । क्या खुली मार्केट से चावल की वसूली करके वह उन दूकानों को संभरित किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : जी, नहीं। कुछ स्टाक पिछले वर्ष से पड़ा हुआ है। वह राज्य स्वयं भी वसूली करता रहा है। जैसा कि मैंने बताया है लगभग ४७,००० टन खाद्यान्न की वसूली की गयी है इसमें ३०,००० टन धान है और १७,००० टन चावल है। इसे रिजर्व स्टाक के रूप में रखा गया है। वह राज्य अभी तक मिलों से २० प्रतिशत की दर से कर वसूल कर रहा है ताकि अन्न के संभरण में कोई भी कठिनाई उत्पन्न न हो।

सियालदह डिवीजन में रेलवे दुर्घटना से मृत्यु

†*१२२२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में १९ मार्च, १९६० तक के पिछले बीस घंटों में दो स्त्रियों सहित सात व्यक्ति रेलों के नीचे आकर मर गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : सात नहीं अपितु तीन व्यक्ति, जिनमें एक पुरुष तथा दो स्त्रियां थीं, सियालदह डिवीजन के विभिन्न स्थानों पर तीन विभिन्न गाड़ियों के नीचे आकर मारे गये थे। ये घटनायें उस समय हुई थीं जब उन व्यक्तियों ने सामने से आती हुई गाड़ियों को देखकर भी रेलवे लाइन को पार करने का प्रयत्न किया था।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : माननोय मंत्री ने बताया है कि तीन व्यक्ति मारे गये थे। तो उसमें घायल कितने व्यक्ति हुए थे ? एक ही दिन में इतनी अधिक दुर्घटनायें कैसे हो गयी थीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या एक ही गाड़ी से इतनो दुर्घटनाएं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : तीन विभिन्न गाड़ियों से तीन विभिन्न स्थानों पर। और ये दुर्घटनायें स्टेशन से दूर ब्लाक सेक्शनों में हुई थीं और वे भी दिन की रोशनी में। यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर गाड़ी के नीचे आना चाहे तो उसे कैसे रोका जा सकता है ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या ऐसी दुर्घटनायें वहां पर रोज ही होती रहती हैं और क्या यह सच नहीं है कि इन दुर्घटनाओं से तीन चार व्यक्ति रोज मर जाते हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, नहीं, ऐसो दुर्घटनायें रोज़ नहीं होतीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इन दुर्घटनाओं का यह कारण नहीं है कि बरसात और दमदम के बीच दोहरी लाइन नहीं है जिसके परिणामस्वरूप यार्ड के बाहिर गाड़ियां शंटिंग करती हैं जिससे लोग उन गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : ये सभी सवारी गाड़ियां हैं। इनकी शंटिंग नहीं होती।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : अध्यक्ष महोदय . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप भी क्या कलकत्ता से आती हैं ? अच्छा आप भी पूछ लीजिये।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि सियालदह स्टेशन पर १९ मार्च को जो महिलायें दब कर मई गई थीं उनके बाल बच्चों को क्या कोई धनराशि दी गई है और दी गई है तो कितनी दो गई है ?

श्री शाहनवाज खां : इसमें तो रेलवे का कसूर नहीं है, इसलिए कोई धनराशि नहीं देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती सहोदरा बाई राय : कैसे कसूर नहीं है ? जिन महिलाओं की जानें चली गई हैं, उनके जो बाल बच्चे हैं, वे कहां से खायेंगे ? आपको उन्हें कुछ देना है या नहीं देना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब अगला प्रश्न ।

विश्व कृषि प्रदर्शनी

†*१२२३. +
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० के० देव :
श्री पांगरकर :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कालिका सिंह :
श्री हेम राज :
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री मानवेन्द्र शाह :
श्री तंगामणि :
श्री सूपकार :
श्री ब्रजराज सिंह :
कुमारी मो० वेदकुमारी :
श्रीमती मिनीमाता :
श्री दिनेश सिंह :
श्री रामजी वर्मा :
श्री गोरे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आयोजित विश्व कृषि प्रदर्शिनी पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ख) उससे कितनी आय हुई;

(ग) कुल कितने दर्शकों ने प्रदर्शनी देखी; और

(घ) विभिन्न विदेशी मंडपों से प्राप्त की गई जानकारी का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) और ख). विश्व कृषि प्रदर्शनी के सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार (क) कुल लगभग ४० लाख रुपयों का अनुमानित खर्च आया है । क्योंकि खर्च के सम्बन्ध में बिल अभी तक

†मूल अंग्रेजी में

हमारे पास आ रहे हैं इसलिए निश्चित रूप से खर्च सम्बन्धी आंकड़े बता देना अभी कठिन है और (ख) अभी तक कुल ५५ लाख रुपयों की आय हुई है। लगभग २½ लाख रुपयों की और भी कई राशियां अभी प्राप्त करनी हैं।

१७ मार्च, १९६० को लोक-सभा में खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसरण में यथा सम्भव शीघ्र ही लेखे की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) विश्व कृषि प्रदर्शनी के सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल लगभग २८ लाख व्यक्तियों ने प्रदर्शनी को देखा था।

(घ) भारतीय कृषि के विकास के लिये उपलब्ध जानकारी के उपयोग के लिये विभिन्न मण्डपों में दिखायी गयी वस्तुओं का अध्ययन करने और यदि आवश्यकता हो तो उन वस्तुओं के सम्बन्ध में और अधिक ब्यौरेवार जानकारी प्राप्त करने के हेतु उन मण्डपों के इंचार्ज अफसरों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय राज्य सरकारों द्वारा पदाधिकारी नियुक्त किये गये थे।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : विवरण से विदित होता है कि और अधिक ब्यौरा जानने के लिये कुछ केन्द्रीय तथा राज्य पदाधिकारी काम पर लगाये गये थे। क्या ब्यौरा प्राप्त हो गया है और क्या उन का संकलन जानकारी के रूप में कर लिया गया है जो परिचालन के लिये एक पुस्तिका, आदि के रूप में रखी जा सकती है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह विचाराधीन है। समाज का विचार इस की पूर्ण जानकारी देने का है। विवरण के सम्बन्ध में मुझे एक दो बातें और कहनी हैं। आय पूछी गई थी। हम ने ५ लाख रु० का सरकारी अनुदान सम्मिलित नहीं किया था जो भारत कृषक समाज को प्राप्त हुआ था। दूसरी बात है कि व्यय ४० लाख रु० बताया गया है। इस में लगभग १ लाख रु० की वृद्धि हो सकती है। इस में उन्हें किराये का भुगतान सम्मिलित नहीं है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : प्रस्तावित पुस्तिका कब तक तैयार होगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : भारत कृषक समाज इससे बहुत ही सुन्दर पुस्तिका बनाने का विचार कर रहा है क्योंकि यह इतिहास में कृषि की प्रथम प्रदर्शनी थी। मैं ने पता लगाया है कि ११० वर्ष पहिले भी, जब लन्दन में प्रथम प्रदर्शनी हुई थी, वही कठिनाइयां हुई थीं जो हमें हुई हैं। अतः हम इस की तुलनात्मक स्थिति रखना चाहते हैं कि हमें क्या कठिनाइयां हुईं और हम ने क्या कार्य-वाही की।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सूचना कम से कम छः मास में दी जा सकेगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : छः मास से अधिक नहीं।

†**श्री तंगामणि** : प्रदर्शनी की ५५ लाख रु० की आय में से कितनी आय दर्शकों से हुई ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : लगभग ५,९०,००० रु०।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : व्यय और आय की बड़ी बड़ी मदें क्या हैं और क्या भारत कृषक समाज को सरकार ने कोई आर्थिक सहायता दी थी, यदि हां, तो कितनी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख** : सरकार से कुल ५ लाख रु० की सहायता मिली थी। हम लेखे पटल पर रखेंगे। साधारण जानकारी यह है कि हम ने जो किराया लिया था वह अधिकतर विदेशी सरकारों ने दिया था। यह राशि लगभग ४२ लाख रु० थी। प्रवेश शुल्क के रूप में ५,८९,००० से अधिक रु० प्राप्त हुए मनोरंजन से हमें १,२१,००० रु० मिले। प्रचार से ४१,००० रु०, बिजली से ५ लाख रु०, पानी से २८,००० रु० और टेलीफोन से २७,००० रु० मिले।

मैं व्यय के आंकड़े भी बता सकता हूं। प्रदर्शनी आयोजित करने वाली व्यवस्था पर ५½ लाख रु० ; डाक, मुद्रण, आदि पर १,१५,००० रु० ; सड़कों तथा इमारतों पर ४,६१,००० रु० व्यय हुए। ये सब आंकड़े हमारे पुनरीक्षित आय व्ययक में सम्मिलित हैं। इस आय-व्ययक बनाने में मेरे मंत्रालय में काम करने वाले विस्तार आयुक्त तथा संयुक्त सचिव (वित्त) भी उपस्थित थे।

†**श्री हेम बरुआ** : यह अधिक धन का मामला है और सरकार ने प्रदर्शनी को लगभग ५ लाख रु० दिये हैं ; इस दृष्टि से मैं जानना चाहता हूं कि क्या लेखापरीक्षा महानियंत्रक तथा लेखापरीक्षक करेगा और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : सरकार ने यह शर्त रखी है कि हमें प्रदर्शनी के उचित लेखे रखने चाहियें और उन की सरकार द्वारा जांच की जा सकती है। ५ लाख रु० के व्यय की लेखापरीक्षा सरकारी लेखापरीक्षकों ने दो बार कर ली है। पहिले २ लाख रु० के व्यय की जांच की गई थी और फिर ३ लाख रु० के व्यय की जांच की गई। हम सम्पूर्ण व्यय तथा आय की लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र-प्राप्त लेखापरीक्षकों से करा रहे हैं और वे सब सरकार के समक्ष रख दिये जायेंगे।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि भाग लेने वाले देशों ने अनुमानतः कितने मूल्य की आस्तियां छोड़ी हैं और क्या ये आस्तियां सरकार को मिलेंगी या समाज को ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : प्रत्येक आस्ति और वस्तुतः, जो ले जाई नहीं गई है, भारत कृषक समाज को नहीं मिलेगी। मैं ने कृषक समाज की ओर से नहीं अपितु सरकार की ओर से कुछ ढोरों और कुछ मंडपों को ले लिया है। यदि सरकार कुछ भाग लेने वालों को मंडप गिराने तथा उन्हें नष्ट करने पर बाध्य न करे तो मेरा विचार है कि इन आस्तियों का मूल्य किसी भी प्रकार ५० लाख रु० से कम नहीं होगा।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण में बताया गया है कि २८ लाख से अधिक व्यक्तियों ने इस प्रदर्शनी को देखा। मैं जानना चाहता हूं कि इन २८ लाख व्यक्तियों में से कितने खेती करने वाले किसान थे और कितने तमाशबीन थे ?

डा० पं० शा० देशमुख : मैं समझता हूं कि इस में से कम अज़ कम आधे होंगे। मेरा यह दावा है कि दिल्ली के शहर में इस के पेशतर इतनी संख्या में किसान कभी नहीं आये थे।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच है कि कृषक समाज ने सरकार को इस प्रदर्शनी के लिये लगभग ३० लाख रु० किराया दिया था ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह सरकार की मांग है। हम देखते हैं कि इतना भुगतान करना समाज के लिये असम्भव है। अवशेष उस से बहुत कम है और समाज इस पर सरकार से बातचीत करेगा। यदि भारत कृषक समाज के पास कुछ रह जाता है तो वे उन का विचार कृषकों के लिये एक छोटा कृषि अजायबघर, होस्टल, अतिथि गृह, आदि बनाने का है

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सम्पत** : क्या भारतीय कृषि में विभिन्न विदेशी मंडपों में दिखाई गई उन बहु-मूल्य मशीनों में से कुछ मशीनों का, जैसे चीन के मंडप में दिखाई गई प्रतिरोपण मशीन का प्रयोग आरम्भ करने की कोई सम्भावना है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हां, श्रीमान् । इन सब बातों पर जो भारतीय कृषकों के लिये लाभ-प्रद होंगी, गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है । हम अपने कृषकों को यथासमय ये सुविधायें देने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : श्रीमान्, एक औचित्य के प्रश्न पर । क्या माननीय मंत्री सरकार की ओर से उत्तर दे रहे हैं या कृषक समाज की ओर से ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं मानता हूं कि थोड़ा भ्रम होने की संभावना है क्योंकि इस मामले में मेरी दो हैसियतें हैं । मैं प्रश्नों का उत्तर कृषक समाज के प्रतिनिधि के रूप में नहीं अपितु मंत्री के रूप में दे रहा हूं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : एक दिन विश्व कृषि प्रदर्शनी सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देते हुए खाद्य तथा कृषि मंत्री ने कहा था कि उन्होंने भारत कृषक समाज की यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी है कि उससे ३० लाख रु० किराया न लिया जाये । निर्माण, आवास और संभरण मंत्री ने भी यही कहा था । अब मंत्री महोदय कहते हैं कि वे सरकार से बातचीत कर रहे हैं । एक दिन मंत्री महोदय ने हमें बताया था उन्होंने यह अनुमति नहीं दी है कि किराया का भुगतान न किया जाये । नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : कोई भी संघ भारत सरकार को भुगतान करने के लिये मना नहीं कर सकता । कदाचित अभिप्राय यह था कि भारत कृषक समाज यह प्रार्थना करना चाहता था कि यह किराया न लिया जाये क्योंकि समाज उसे कृषकों के कल्याण के लिये प्रयोग करना चाहता था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा सुझाव है कि जब भी किसी माननीय मंत्री की दो हैसियतें हों, अर्थात् एक वह जिस में मंत्री इस सदन के प्रति उत्तरदायी हो और दूसरी कोई और हो, तो यहां प्रश्नों का उत्तर देने का काम उन्हें किसी अन्य मंत्री को अवश्य दे देना चाहिये । वह अपनी ही बात के निर्णय-कर्ता नहीं हो सकते । यदि और कोई जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो तो मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है कि लोक लेखा समिति इस मामले की जांच करे । माननीय मंत्री यथाशीघ्र सारा मामला लोक लेखा समिति में रखेंगे और वह इस सदन को अपनी रिपोर्ट देगी ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं ने प्रश्न का उत्तर इसलिये दिया है कि कोई माननीय सदस्य यह न विचारें कि मैं उत्तर देना नहीं चाहता ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : आप के निदेश से एक बात उत्पन्न होती है एक मंत्री को मामले की सारी जानकारी होने पर, क्या सदन के प्रति उस का कर्तव्य नहीं है कि वह सदन को मामले की सारी जानकारी दें बजाय इस के कि कोई और मंत्री उस का उत्तर दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात नहीं है । यदि वह उत्तर देते हैं तो माननीय सदस्य उन के भरसक प्रयत्न करने पर भी यही कहेंगे कि वह भारत कृषक समाज में रुचि रखते हैं, आदि । अतः जब कभी अन्य मंत्री प्रभारी होते हैं और जहां कहीं सदन सन्तुष्ट नहीं होता तो वस्तुतः प्रभारी मंत्री भी उत्तर देंगे । ऐसा करने में कोई हानि नहीं है । मुख्य उत्तरदायित्व अन्य मंत्री का होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० के० देव** : विभिन्न देशों से प्रदर्शनी में जो मशीनें आई थीं उनका क्या होगा ? यदि वे मशीनें वापस नहीं जा रही हैं तो क्या वे भारत सरकार की सम्पत्ति होंगी या उन का निपटान कैसे होगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : भाग लेने वाले कुछ देश अपनी मशीनें यहां बेचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वापस ले जाने पर बहुत व्यय होगा । परन्तु एसा करने के लिये उन्हें केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की अनुमति लेनी ही होगी । प्रदर्शनी समिति का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या यह सच नहीं है कि विश्व कृषि प्रदर्शनी एक अद्भुत तथा महान सफल रहा है और कदाचित सरकार ने केवल यह गलती की थी कि उन्हें २०,००० कृषकों के बजाय २ लाख कृषकों को ला कर प्रदर्शनी दिखानी चाहिये थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मत व्यक्त कर रहे हैं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या सरकार को विदित है कि विश्व कृषि प्रदर्शनी की देख भाल करने के लिये भरती करते समय सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का विशेष प्रतिशत रक्षित नहीं किया गया था ? मैं सुनता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों से अनेक प्रार्थनापत्र मिले थे परन्तु वे नियुक्त नहीं किये गये ।

†**डा० पं० शा० देशमुख**: मेरा ख्याल है कि मुझे विश्व प्रदर्शनी के अध्यक्ष के रूप में उत्तर देना होगा । मैं ने यथासंभव प्रयत्न किया था । संभव है कि माननीय सदस्य रखे गये व्यक्तियों की संख्या से संतुष्ट न हों । परन्तु मैं ने अपने सचिव को निदेश दिया था कि वह अनुसूचित जाति के यथासंभव व्यक्ति नियुक्त करें ।

बम्बई—बगदाद विमान सेवा

†*१२२४. **श्री प्र० चं० बरूआ** : : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इराकी सरकार ने इराक में विमानों का निर्माण करने के लिये एक कारखाना स्थापित करने में भारत सरकार से टेक्निकल सहायता मांगी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इराकी सरकार ने बगदाद से बम्बई तक एक नई विमान सेवा आरम्भ करने की प्रार्थना की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). आजकल इराकी एयरवेज़ बगदाद से दिल्ली तक सप्ताह में एक विमान-सेवा चला रहे हैं । इराकी पदाधिकारियों से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि इराकी एयरवेज़ बगदाद, बहरीन, कराची और बम्बई मार्ग पर एक अन्य विमान सेवा चलाये । यह प्रार्थना विचाराधीन है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इराक में विमान निर्माण करने का एक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर भारत सरकार और इराक सरकार के अधिकारियों में कोई अनौपचारिक वार्ता हुई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुहीउद्दीन: विमान निर्माण के बारे में कोई बात नहीं हुई ।

†श्री प्र० चं० बरूआ : क्या बम्बई-बगदाद विमान-सेवा के बारे में यह आवश्यक है कि कराची में रुका जाये और यदि हां तो क्या पाकिस्तान सरकार की अनुमति ले ली गई है ?

†श्री मुहीउद्दीन : अनुमति लेना हमारा काम नहीं है । हमें तो केवल इस पर विचार करना है कि क्या भारत में अमुक मार्ग पर ऐसी दूसरी विमान सेवा आरम्भ करना उचित है या नहीं ?

चिकित्सा स्नातक

+

†*१२२५. { **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव : }

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने राज्य चिकित्सा परिषदों में पंजीबद्ध चिकित्सा स्नातकों की वार्षिक जांच करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ की धारा २२ के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य चिकित्सा परिषद् भारत की चिकित्सा परिषद् को प्रति वर्ष राज्य चिकित्सा रजिस्टर की छपी हुई प्रतियां देगी तथा उस परिषद् को यह भी बतायेगी कि समय-समय पर राज्य चिकित्सा रजिस्टर में क्या-क्या परिवर्धन तथा अन्य संशोधन किये गये हैं । यह व्यवस्था इसलिये की गई है ताकि भारतीय चिकित्सा रजिस्टर के तैयार करने व उस के रखने में सुविधा हो सके ।

†**श्री नंजप्पा** : कितने राज्यों ने अपने रजिस्टर नहीं भेजे हैं ?

†**श्री करमरकर** : अभी से यह नहीं बताया जा सकता । उन से कहा गया है और रजिस्टर देने में उन्हें कुछ समय लगेगा ।

खाने योग्य मूंगफली की 'खली' का उत्पादन

+

†*१२२७. { **श्री आचार :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता से खाने योग्य मूंगफली की "खली" और आटा बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रति दिन १० टन की क्षमता वाले दो संयंत्र स्थापित करने का विचार है । संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि १२०,००० डालर की अनुमानित लागत का सामान देने को तैयार हो गई है । यह संयंत्र दो चुने हुए तेल मिलों द्वारा अपनी वर्तमान मशीनरी के योग से चलाये जायेंगे । तेल मिलें इन संयंत्रों की स्थापना तथा उन को चलाने के लिये अपेक्षित भूमि, भवन तथा रुपये आदि की व्यवस्था करेंगी । भारत सरकार इन मिलों से उपयुक्त समझौता करेगी ताकि उचित कम कीमत पर अच्छी किस्म की खाने योग्य मूंगफली की 'खली' तथा आटे का उत्पादन हो सके और उन की बिक्री का प्रबन्ध करेगी ।

†**श्री पलनियाण्डी** : क्या सरकार मूंगफली की खली के उत्पादकों को ऋण अथवा सहायता देना चाहती है ताकि यह कम कीमत पर पड़ सके ?

†**श्री अ० म० थामस** : खली के जो वर्तमान उत्पादन हैं उन को नहीं चुना जा सकता, क्योंकि इस का उत्पादन खाने के मतलब के लिये होना चाहिये । अतः हम ने बम्बई और मद्रास के मिल वालों के पास योजना भेज दी है । बहुत से मिलों से प्रार्थनापत्र आये हैं । हम उन की जांच कर रहे हैं तथा उन में से दो चुने जायेंगे ।

†**श्री आचार** : मैं समझता हूं कि इस के जरिये प्रोटीन दिया जायेगा । चावल खाने वालों को यह कैसे व किस रूप में दिया जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि इस मूंगफली की खली में ५० प्रतिशत प्रोटीन होगा । हम इसको अन्य खाद्य पदार्थों तथा दालों में भी मिलाना चाहते हैं । हम ने कई चीजों के बारे में सोच रखा है जो इसकी मदद से बनाई जायेंगी । मैसूर के आटे में ७५ प्रतिशत टैपीओका का आटा होगा और २५ प्रतिशत मूंगफली का आटा ; टेपीओका मकरौनी में ५० प्रतिशत टैपीओका का आटा, ३५ प्रतिशत गेहूं का आटा तथा १५ प्रतिशत मूंगफली का आटा होगा । ७५ प्रतिशत गेहूं के आटे, १७ प्रतिशत टेपीओका के आटे तथा ८ प्रतिशत मूंगफली के आटे का मिला जुला आटा बनाने की भी योजना है ।

†**श्री जांगड़े** : यह संयंत्र बम्बई और मद्रास में क्यों स्थापित किये जायेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं ?

†**श्री अ० म० थामस** : हम सब से अधिक मूंगफली पैदा करने वाले राज्य चुनना चाहते है ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** : इन दो संयंत्रों की उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : प्रत्येक की क्षमता प्रति दिन १० टन है अर्थात् २० टन प्रति दिन ।

†**श्री सुगन्धि** : क्या धोलक निस्सारण प्रक्रिया[1] के पश्चात् मूंगफली की खली खाने योग्य रह जायेगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस के काम के लिये धोलक निस्सारण प्रक्रिया ठीक नहीं रहेगी, यह काम प्रापेलर निस्सारण प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिये ।

†**श्री आचार** : माननीय मंत्री ने यह बताया था कि यह आटे के रूप में होगी । जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है; यह सम्भव है । मेरा प्रश्न यह था कि चावल खाने वालों को यह किस रूप में दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Solvent Extraction Process.

†श्री अ० म० थामस : हमारा विचार है कि खाने योग्य मूंग फलों के आटे को काफी कम कीमत पर बेचा जाय । दक्षिण में जो उपमा खाया जाता है उस के तैयार करने के लिये इस को अन्य खाद्य पदार्थों में मिलाया जा सकता है । इस को मिला कर इडली भी बनाई जा सकती है ।

दिल्ली बिजली उपक्रम

*१२२६. श्री खुशवक्त राय : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम पर साढ़े बारह लाख रुपये प्रति वर्ष का कर लगा दिया है ;

(ख) क्या पंजाब सरकार को अपने क्षेत्र से बाहर ऐसा कर लगाने का अधिकार है ; और

(ग) इस कर के देने के बारे में उपक्रम की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) पंजाब सरकार ने दिल्ली को दी हुई बिजली के मूल्य पर २५ प्रतिशत कर लगा दिया है ।

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा पंजाब सरकार के वैधिक सलाहकारों के मत भिन्न भिन्न हैं ।

(ग) उपक्रम ने कर देने का दायित्व स्वीकार नहीं किया है ।

श्री खुशवक्त राय : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस बारे में जो दिल्ली सरकार के लीगल कंसल्टेंट्स हैं उन की क्या राय है और पंजाब सरकार के लीगल कंसल्टेंट्स की क्या राय है ?

†श्री हाथी : उन की भिन्न-भिन्न राय हैं । पंजाब के विधि विशेषज्ञ कहते हैं कि पंजाब सरकार कर लगा सकती है जबकि दिल्ली के विशेषज्ञ कहते हैं कि वह कर नहीं लगा सकती ।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि अगर यह टैक्स देना पड़ा तो दिल्ली एलेक्ट्रिकल सप्लाई अंडरटेकिंग को दिल्ली में आज जो बिजली का भाव है उस को कुछ बढ़ाना पड़ जायेगा और परिणामस्वरूप बिजली का भाव अब से बढ़ जायेगा ?

श्री हाथी : सम्भवतः कुछ भाव बढ़ जायेगा ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या यह सच नहीं है कि पंजाब में बिजली की बहुत कमी है जिस के परिणामस्वरूप बहुत से उद्योगों को बिजली नहीं मिल रही है ? क्या दिल्ली से बिजली सप्लाई कर के और उस की मांग कम कर के उन उद्योगों का ख्याल रखा जायेगा ?

†श्री हाथी : यह एक दूसरा मामला है । प्रश्न पंजाब सरकार द्वारा दिल्ली में कर लगाने के बारे में है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस में केन्द्रीय सरकार का क्या मत है ?

†श्री हाथी : इस विषय पर क्षेत्रीय परिषद में विचार किया गया था तथा यह निश्चय किया गया है कि पंजाब सरकार को सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय से परामर्श कर के इस प्रश्न पर निर्णय करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरूआ** : इस कर को लगाने के लिये पंजाब सरकार ने क्या कारण बताये हैं ? क्या यह इस लये है कि भाकड़ा से बिजली ली जाती है ?

†**श्री हाथी** : उनके पास १९५८ का पंजाब विद्युत अधिनियम है जो उन्हें बिजली की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार देता है । अधिनियम के उस उपबन्ध के अन्तर्गत वे इसे लगा रहे हैं ।

†**श्री अजित सिंह हरहदी** : क्या सरकार को ज्ञात है पंजाब के उपभोक्ता को उतना ही कर देना पड़ रहा है जो दिल्ली प्रशासन से मांगा गया है ?

†**श्री हाथी** : पंजाब के लोग यह कर दे रहे हैं । किन्तु दिल्ली प्रशासन की यह आपत्ति है कि पंजाब के क्षेत्राधिकार के बाहर यह कर नहीं लगाया जा सकता । यह उनका कहना है ।

दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-बम्बई विमान सेवा

***१२३१. श्री राधे लाल व्यास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ मार्च, १९६० से दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर और बम्बई के बीच जो यात्री विमान सेवा आरम्भ हुई है उससे अब तक कुल कितने यात्रियों ने यात्रा की है;

(ख) इस सेवा से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को कितनी आय हुई और कारपोरेशन के लाभ और हानि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) क्या सरकार इस यात्री विमान सेवा को सप्ताह में तीन दिन की बजाय दैनिक सेवा में परिवर्तित करना चाहती है ?

असैनिक उडड्यन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (ग). एक स्टेटमेंट मेज़ पर रखा गया है ।

विवरण

(क) यह सर्विस १ दिसम्बर, १९५९ को खोली गई थी और १ दिसम्बर, १९५९ से २९ फ़रवरी, १९६० तक १७२२ मुसाफ़िरों ने इस पर सफ़र किया ।

(ख) इस दौरान में मुसाफ़िरों, अलावा सामान, माल भाड़ और डाक से होने वाली आमदनी का तखमीना ४०३.६ रुपया फी घण्टा किया जाता है जबकि खर्च का तखमीना ७६६.३ रुपया फी घण्टा किया गया है । इस अर्से में उड़ान किये गये घण्टों की कुल तादाद ४४३ घण्टे ४५ मिनट थी ।

(ग) दिसम्बर, १९५९ से फरवरी, १९६० तक के तीन महीनों के तजुर्बे की रोशनी में जहाज़ों के आने जाने की तादाद बढ़ाना मुनासिब नहीं है ।

श्री राधे लाल व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस यात्री विमान सेवा के अलावा और इसी तरह की दूसरी विमान सेवाएं नहीं हैं जिन में कि नुकसान हो रहा है और यदि ऐसी एयर सर्विसेज हैं तो फिर इस सर्विस का नुकसान दूसरी ऐयर सर्विसेज के नुकसान से किस तरह मुकाबला करता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मुहीउद्दीन : अब यह बताना मुश्किल है कि इस ऐयरसर्विस में होने वाला नुकसान दूसरी सर्विसेज से किस तरह मुकाबला करता है । इसके अलावा दूसरी ऐयर सर्विसेज में भी काफी नुकसान हो रहा है लेकिन यह मुकाबला इस वक्त करना मुश्किल है ।

श्री राधे लाल व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय यह यात्री विमान सेवा आरम्भ की गई थी उस समय गवर्नमेंट का नुकसान के बारे में अंदाजा क्या था और क्या यह सही नहीं है कि नुकसान उतना नहीं हो रहा है जितना कि पहले अंदाज किया गया था ।

श्री मुहीउद्दीन : इस सर्विस को शुरू हुए अभी तो तीन ही महीने हुए हैं और इसलिए मैंने यह ऐदाद बता दिये हैं । जब सर्विस शुरू हुई थी तो इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का खयाल था कि इसमें ८, ६ लाख रुपये सालाना का नुकसान होगा ।

श्री राधे लाल व्यास : मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी स्टेट में केवल यह एक ही ऐयर सर्विस है जो कि वहां के तीन, चार मुकामों को छती है तो क्या मध्य प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए इस सर्विस को सप्ताह में तीन दिन की बजाय दैनिक सेवा में परिवर्तित करने का विचार किया जा रहा है ?

श्री मुहीउद्दीन : यह सवाल अभी जेर गौर नहीं है ।

†**श्री जांगड़े** : क्या दिल्ली-भोपाल-रायपुर-रूरकेला अथवा दिल्ली-भोपाल-रायपुर-वाल्तेयर के मार्गों के लिये सरकार द्वारा अथवा गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा कोई प्रस्ताव रखा गया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : हमारे यहां तो कोई ऐसी तहरीक नहीं आई है ।

पलार नदी जल विवाद

†*१२३२. **श्री तंगामणि**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने मैसूर के साथ उत्तर अर्काट जिले में पलार नदी के जल संभरण सम्बन्धी करार में रूपभेद करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं तो इस सूखे जिले में इस नदी के जल को संरक्षित रखने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). मद्रास सरकार ने मार्च, १९५५ में भारत सरकार से यह प्रार्थना की थी कि पलार नदी के जल के प्रयोग के बारे में मद्रास और मैसूर राज्यों के बीच जो कतिमत मतभेद उत्पन्न हो गये हैं उनका निबटारा कर दिया जाये । केन्द्रीय तथा दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा के बाद यह मतभेद तय कर दिये गये । इसके बाद मद्रास सरकार ने जुलाई, १९५८ में भारत सरकार को यह सूचना दी कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती । तब से केन्द्र को इस सम्बन्ध में कुछ भी सूचना नहीं मिली है और इसलिये केन्द्र द्वारा आगे कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार को मालूम है कि मद्रास सरकार ने मैसूर सरकार से कहा है कि जैसा कि विशेषज्ञों के १९५६ के सम्मेलन में हुए समझौते में बताया गया है, पलार प्रणाली के तालाबों की पूर्ण आकार की योजनायें बनाई जायें और संयुक्त सर्वेक्षण तथा भूमि को समतल बनाने के प्रबन्ध किये जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार एक सम्मेलन बुलाने के लिये सहमत हो गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कौन सी सरकार ?

†**श्री तंगामणि** : केन्द्रीय सरकार। मैं केवल केन्द्रीय सरकार की बात कर रहा हूं। क्योंकि १६५८ में हमें बताया गया था कि इस विशिष्ट विषय पर दोनों ही राज्य सरकारों से कहा जायेगा तथा समझौता हो जायेगा। इस समय दी गई हिदायतों के अनुसार क्या सरकार इन मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलायेगी ?

†**श्री हाथी** : केन्द्रीय सरकार तथा दोनों राज्य सरकारों के पदाधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था। दोनों राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा कुछ अस्थायी निर्णय किये गये थे। इसके बाद मैसूर ने उन निर्णयों को स्वीकार कर लिया। मद्रास से हमें कोई उत्तर नहीं मिला किन्तु वहां के मंत्री ने मुख्य मंत्री से चर्चा की थी और अन्त में उन्होंने कहा कि वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते।

†**श्री सम्पत** : १६५८ में एक अनौपचारिक सम्मेलन हुआ था जिसमें मद्रास सरकार, तमिलनाड सरकार, संसद्-सदस्यों, केन्द्र के मंत्रियों ने भाग लिया था। उस सम्मेलन में जो तीनों सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद हुआ था, माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि मंत्री स्तर पर एक सम्मेलन शीघ्र ही किया जायेगा। अब एक वर्ष से अधिक बीत गया है और वह सम्मेलन अभी तक नहीं किया गया है। प्रश्न यह है कि इस विवाद को तय करने के लिए मंत्री स्तर पर उस सम्मेलन को बुलाने के लिए क्या किया जा रहा है ?

†**श्री हाथी** : स्थिति यह थी कि स्थानीय पूछताछ के बाद यह पाया गया कि मैसूर सरकार द्वारा कोई भी अतिक्रमण नहीं किया गया। किन्तु इस मामले को आगे न उठने देने के लिये कुछ उपाय करने आवश्यक थे और मैसूर इस बात के लिये राजी हो गया कि बातचीत होनी चाहिए। मद्रास सरकार से भी चर्चा की गई थी और उनको बताया गया कि यदि अब भी कोई कार्यवाही करना शेष है तथा मद्रास सरकार यह महसूस करती है कि कोई आयोग आदि नियुक्त किया जाना चाहिए तो केन्द्रीय सरकार जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत सरकार में निहित अधिकारों के अन्तर्गत आयोग नियुक्त कर सकती है परन्तु मद्रास सरकार को इस काम के लिये सरकारी तौर से हमसे कहना चाहिए। किन्तु मद्रास सरकार ने हमें बताया कि वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते।

†**श्री मुहम्मद इमाम** : क्या यह सच नहीं है कि जैसा कि माननीय मंत्री द्वारा बताया गया है, दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों ने मिलकर सम्पूर्ण क्षेत्र की जांच पड़ताल की थी और उन्होंने यह पाया कि इन नदियों में रेते के अलावा और कुछ नहीं है और इस नदी पर आधारित तालाब . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जानकारी नहीं मांग रहे।

†**श्री मुहम्मद इमाम** : मद्रास और मैसूर दोनों राज्यों की सरकारें इस बात से संतुष्ट हैं कि कोई भी झगड़ा नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने भी यही एक बार नहीं दो बार कहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : २५ मार्च को समाचारपत्रों में यह समाचार छपा था कि एक प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्य मंत्री ने बताया कि १९५६ के सम्मेलन में किये गये निर्णय के अनुसार उन्होंने मैसूर सरकार से कुछ पूछताछ की है और मैसूर सरकार ने उसका उत्तर नहीं दिया है। क्या सरकार को मद्रास सरकार द्वारा मैसूर सरकार को भेजे गये ऐसे किसी पत्र के बारे में मालूम है और यदि हां, तो उसके प्रति मैसूर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। क्या सरकार को उसके बारे में मालूम है ?

†**श्री हाथी** : केन्द्रीय सरकार को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। किन्तु यदि सरकारी तौर से मद्रास सरकार केन्द्रीय सरकार से यह कहे कि उस सम्मेलन में किये गये निर्णय को कार्यान्वित किया जाना चाहिए, तो केन्द्रीय सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी।

†**श्री बाल कृष्णन्** : माननीय मंत्री ने कहा है कि एक सम्मेलन किया गया था और उस सम्मेलन में कुछ सिफारिशें और निर्णय किये गये थे और मैसूर सरकार ने उस निर्णय को मान लिया था। किन्तु मैसूर सरकार ने अभी तक उत्तर नहीं भेजा है। उस समय क्या निर्णय किया गया था ?

†**श्री हाथी** : मैं सभा पटल पर निर्णयों की एक प्रति रख सकता हूं। लम्बे लम्बे चार या पांच निर्णय हैं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : दोनों सरकारों के बीच कई सम्मेलनों व चर्चाओं के बाद माननीय मंत्री श्री इब्राहीम ने इन दोनों सरकारों के बीच समझौता कराने और कठिनाईयां दूर करने का प्रयत्न किया था।

†**श्री हाथी** : कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु यदि मद्रास सरकार केन्द्रीय सरकार से कहेगी तो हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जो निर्णय कार्यान्वित नहीं हो पाये हैं, वे कार्यान्वित किये जायें।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : पलार नदी के जल में हिस्सा बंटाने के अलावा क्या आन्ध्र सरकार ने उन पलार बेसिन नियमों को कार्यान्विति के सम्बन्ध में केन्द्र को कुछ कठिनाइयां बताई हैं, जो काफी पहले बनाये गये थे और जिन के अन्तर्गत नदी के निकट कहीं पर कुंएं भी नहीं खोदे जाते जिस के परिणामस्वरूप किसानों को बड़ी परेशानी होती है। जैसा कि आन्ध्र सरकार द्वारा संकेत दिया गया है, क्या उन नियमों में कोई संशोधन करने की आवश्यकता है ?

†**श्री हाथी**: मैं नहीं समझता कि यह बात जल के प्रयोग के बारे में मद्रास और मैसूर के बीच हुए समझौते से उत्पन्न होती है। उस का उत्तर देने के लिये मुझे पृथक सूचना की आवश्यकता है।

पूर्वोत्तर रेलवे में यात्री सुविधायें

†*१२३३. { **श्री विश्वनाथ राय** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री उमराव सिंह :
श्री सिंहासन सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की कुछ शाखा लाइनों पर जल, शौच, आदि की कुछ अनिवार्य सुविधायें जो रेलवे यात्रियों को पहिले रेलों में दी जाती थीं, अब बन्द कर दी गई हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान पूर्वोत्तर रेलवे की इन शाखा लाइनों पर रेलवे यात्रियों को होने वाली परेशानियों की ओर आकर्षित किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां, श्रीमान्, । यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की ब्रांच लाइनें पर ३० मील से अधिक न चलने वाली रेलगाड़ियों में शौचालय बन्द कर दिये गये हैं ।

(ख) १५ मार्च, १९६० तक इस के विरुद्ध चार अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : इन रेलगाड़ियों के यात्रियों को उन आवश्यक सुविधाओं से वंचित क्यों कर दिया था जिन का वे अभी तक उपयोग करते आते थे ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी**: मुख्य विचार यह है कि जब कभी डिब्बे यार्डों में खड़े रहते थे तो बाहर वाले लोग इन का दुरुपयोग करते थे और इसे रोकना कठिन था । अतः उन्हें बन्द कर दिया गया है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या सरकार को अन्दाज है कि गत वर्ष कितने यात्रियों ने इन रेलगाड़ियों से सफर किया ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मुझे खेद है, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : यात्रियों की संख्या काफी हो सकती है । किन्तु सब से अधिक विचारणीय बात यह है कि ५ मील से २३ मील तक का ही मार्ग है । यह थोड़ी दूर चलने वाली गाड़ियां हैं जिन में शौचालय बन्द कर दिये हैं ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या सरकार ने यात्रियों को इन आत्यावश्यक सुविधाओं से वंचित करने की नीति इसी रेल गाड़ी के साथ अपनाई है अथवा किसी और के साथ भी ?

†**श्री जगजीवन राम** : वस्तुतः बहुत सी उपनगरीय तथा बिजली की गाड़ियों में जिन को बहुत थोड़ी दूर चलना पड़ता है, शौचालय नहीं हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या इन स्टेशनों पर पानी की सप्लाई जारी रहेगी अथवा नहीं ।

†**श्री जगजीवन राम** : केवल शौचालय बन्द किये गये हैं । स्टेशन बन्द नहीं किये गये हैं और स्टेशनों पर किसी सुविधा को कम नहीं किया गया है ।

†**श्री जगदीश अवस्थी** : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे की किन किन ब्रांच लाइनों पर यह सुविधा बन्द कर दी गई है, और उस के साथ ही साथ इस सुविधा को हटाने के पश्चात यात्रियों को इन दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये क्या कोई दूसरा आल्टरनेटिव प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : आठ सेक्शन हैं जिन के नाम ये हैं : मथुरा छावनी से वृन्दावन—आठ मील, मनकापुर से अयोध्या घाट—२१ मील, मटनी से बरहज बाजार—२१ मील, माधो सिंह से मिर्जापुर घाट—८ मील; महाराजगंज से डरोंडा—४ मील; मिनका थोरी से नरकटियागंज—२३ मील; भागलपुर से बरारी घाट—५ मील; और रकसौल से सागौली—१९ मील ।

†**श्री जगदीश अवस्थी** : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया । मैं ने उन के स्थान पर किये प्रबन्धों के बारे में पूछा था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम**: मैं नहीं समझता कि ५, ८ अथवा २१ मील की दूरी के लिये रेलगाड़ियों में कोई दूसरा प्रबन्ध करने की आवश्यकता है। यदि किसी को लघुशंका या दीर्घशंका करने की आवश्यकता प्रतीत हो, वह स्टेशन पर कर सकता है।

†**श्री वाजपेयी** : कुछ रेलगाड़ियां प्रातःकाल चलती हैं। जबकि लगभग सभी लोगों को दीर्घ शंका व लघुशंका की आवश्यकता महसूस होती है।

†**श्री जगजीवन राम** : प्रातःकाल चलने के माने यह हैं कि यात्री रेलगाड़ियों में अवश्यमेव दीर्घशंका व लघुशंका कर के आयेंगे।

†**श्री विश्वनाथ राय** : पूर्वोत्तर रेलवे की रेलगाड़ियों की धीमी गति को देखते हुए क्या सरकार भविष्य में कुछ सुविधा उपलब्ध करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : २१ मील लम्बे सैक्शन पर चलने वाली रेलगाड़ियों के बारे में वे पुर्नविचार कर सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : औचित्य प्रश्न के हेतु मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि रेलगाड़ियों में पानी और शौचालय की सुविधायें इसलिये बंद कर दी गई हैं क्योंकि बाहर वाले उन का दुरुपयोग करते हैं। मेरे विचार में कि केवल इन सुविधाओं को खत्म कर देने से ही काम नहीं चलेगा। मैं इस सम्बन्ध में आप की राय जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी राय यह है कि इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। उन्हों ने जो कुछ कहा है, चलती गाड़ियों में उस का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। अतः जो कुछ भी सही, माननीय मंत्री श्री जगजीवन राम ने बताया है कि यह थोड़ी दूर चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। इस के अलावा १९ और २१ मील चलने वाली रेलगाड़ियों के बारे में वे पुर्नविचार करने को तैयार हैं।

†**श्री जगजीवन राम** : जैसा आप ने सुझाव दिया है उस के संबंध में तथा किसी भी ऐसे मामले के संबंध में जिसमें यात्रियों को असुविधा होनकी संभावना हो, मैं विचार करने को तैयार हूं। किन्तु जहां कोई असुविधा नहीं हैं, मैं विचार करने को तैयार नहीं।

पाकुर में पत्थर की खानों का बन्द होना

†*१२३४. { **श्री फ० गो० सेन** :
श्री झूलन सिंह :
श्री भोलानाथ विश्वास : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई सूचना मिली है कि पाकुर से माल-डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण पाकुर (बिहार) में पत्थर की खानों के मालिकों का विचार खानें बन्द करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो माल डिब्बों की कमी के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां, पाकुर की पत्थर खान मालिकों के कल्याण एसोसियेशन के पास से २-३-६० का एक पत्र इस बारे में मिला है कि प्रति दिन का माल-डिब्बों का जितना कोटा है उस के बारे में कोई आश्वासन न मिलने अथवा उन का नियमित रूप से पूरा संभरण न किये जाने पर पत्थर की खान मालिकों को विवश हो कर ९-३-६० से अपना काम बन्द कर देना पड़ेगा ।

(ख) पाकुर से पत्थर ढोने के लिये रेलवे द्वारा माल डिब्बों की मांग पूरी न कर पाने का कारण दिसम्बर, १९५९ से अचानक माल डिब्बों की मांग बढ़ जाना है जो सम्पूर्ण देश में हुई सामान्य वृद्धि के साथ हुई है । तब से स्थिति में सुधार हो गया है और जहां तक संभव होता है मांग पूरी की जाती है ।

†**श्री फ० गो० सेन** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पत्थर खान के मजदूरों की आर्थिक दशा बड़ी खराब है, रेलों द्वारा प्रतिदिन कम माल डिब्बों का संभरण करके ठेकेदार लोग न्यूनतम मजूरी अधिनियम का उल्लंघन करक और मजदूरों को कम मजूरी देकर खूब पैसा कमाते हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न यहां पर किस प्रकार उत्पन्न होता है । मूल प्रश्न तो माल डिब्बों के संभरण के बारे में है, मजूरी के बारे में नहीं ।

†**श्री फ० गो० सेन** : क्या यह सच है कि माल-डिब्बों का संभरण होने पर भी ठेकेदार लोग डिब्बों को पूरा भरवा कर नहीं भेजते हैं ।

†**श्री जगजीवन राम**: ये माल-डिब्बे या तो पश्चिमी बंगाल सरकार या बिहार सरकार अथवा कोसी परियोजना को भेजे जाते हैं । यह तो माल मंगाने वाले का काम है कि वह यह देखे कि उसे पूरा माल मिलता हैं या नहीं ?

†**श्री फ० गो० सेन** : क्या यह सच है कि पाकुर की पत्थर की खानों के मजदूर संघ ने इस बात का पता लगाया था कि माल डिब्बे पूरे भरे हुए नहीं थे और पाकुर के स्टेशन मास्टर के सामने उन्हें तोला था । यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : मुझे आशंका है कि यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री यह कैसे बता सकते हैं ?

†**श्री फ० गो० सेन** : जब माल डिब्बों का कम संभरण किया जाता है तो उन में माल पूरा नहीं भरा जाता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माल-डिब्बों को पूरा न भरने का अपराध उनका है ।

†**श्री फ० गो० सेन** : पत्थर की खरीद तो रेलवे कर रही है ।

†**श्री जगजीवन राम** : संभवतः मेरे माननीय मित्र गलत समझ बैठे हैं । माल मंगाने वाली पश्चिमी बंगाल सरकार, बिहार सरकार और कोसी परियोजना है । सब से अधिक माल ये ही मंगाते हैं । पश्चमी बंगाल सरकार की दैनिक आवश्यकता ५३ माल डिब्बे, बिहार सरकार की दैनिक आवश्यकता १२ माल डिब्बे, कोसी परियोजना की दैनिक आवश्यकता ६ माल डिब्बे, अन्य अधिमान्य उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकता २९ माल-डिब्बे तथा शेष आवश्यकता २५ माल-डिब्बे प्रति दिन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समझा यह जाना चाहिये जो भी पत्थर मंगवायेगा वह जितनी उस ने मांग की है उस से कम मात्रा क्यों ले लेगा, अतः इन प्राधिकारों को देखना चाहिये कि जितनी मात्रा की उन्हों ने मांग की थी उतनी ही मात्रा उन्हें मिलती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शरवती घाटी परियोजना

†*१२२६. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में शरवती घाटी परियोजना के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) निर्माण में कितने वर्ष लगेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) लिंगनमक्की में प्रमुख बांध

बांध के बाईं ओर ४०० फुट तक और दाहिनी ओर १८६ फुट लम्बी नाली बना कर तैयार हो चुकी है । जमीन की खुदाई और चिनाई का काम हो रहा है ।

ताला कलाले बांध

नदी के तल में तथा किनारों के हिस्से में चिनाई का काम नींव की सतह से १० फुट से ले कर २० फुट तक हो चुका है तथा नालियों के बनाने का काम भी चिनाई के बराबर ही चल रहा है ।

विद्युत, चैनेल तथा सुरंगे

लिंगनमक्की बांध से मलाली सुरंग तक खुदाई का काम हो रहा है ।

विद्युत् कार्यों का असैनिक भाग

बाहरी आंगन में खुदाई का काम हो रहा है और लगभग ६३,००० वर्ग गज मिट्टी खोदी जा चुकी है ।

(ख) पहले प्रक्रम के दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक पूरे हो जाने की आशा है ।

ग्राम सेवक और सेविकायें

†*१२२८. **श्री भ० दी० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम सेवकों तथा सेविकाओं के प्रशिक्षण के लिये चुने जाने की क्या योग्यतायें हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उन के लिये अंग्रेज़ी भाषा जानना जरूरी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

†**कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) योग्यतायें जिन की केन्द्रीय सरकार ने सिफारिश की है और जिन को राज्य सरकारों ने असूली तौर पर मंजूर किया है वे देहाती पृष्ठभूमि और शारीरिक योग्यता के साथ हाई स्कूल या उस के बराबर की परीक्षा है । राज्य सरकारें इन विद्या सम्बन्धी योग्यताओं में पिछड़ी जातियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये नरमी कर सकती हैं । ग्राम सेविकाओं के लिये इन योग्यताओं को उन क्षेत्रों के लिये भी नरम किया जा सकता है जहां पर मांगी गई विद्या सम्बन्धी योग्यताओं वाले योग्य उम्मीदवार न मिल सकें ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

जहाजों की मरम्मत की सुविधायें

†*१२३५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री पांगरकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहाज़ों की मरम्मत की विद्यमान सुविधाओं की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन पर तब से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख) समिति की सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

दामोदर घाटी निगम का तृतीय तापीय संयंत्र

†*१२३६. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा चं० माझी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चन्द्रपाड़ा में दामोदर घाटी निगम का तृतीय तापीय संयंत्र स्थापित हो गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पंजाब में रेलों पर अपराध

†*१२३७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में रेलों पर होने वाले अपराधों में पिछले कुछ महीनों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन घटनाओं को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) राज्य की पुलिस से प्राप्त जानकारी से पता लगता है कि पंजाब में रेलों पर अपराधों में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पीपली-कोणार्क सड़क (उड़ीसा)

†*१२३८. { **श्री संगण्णा** :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिपली-कोणार्क सड़क को पूरा करने के लिये उड़ीसा सरकार को तब से कोई और वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने अब तक दिये गये सम्पूर्ण धन का उपयोग कर लिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस परियोजना के लिये १८ लाख रुपये की कुल राशि मंजूर की गई है जिस में से राज्य सरकार ने अब तक कुल १२ लाख रुपये का उपयोग किया है ।

गेहूं मिशन

†*१२३९. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी गेहूं मिशन भारत आया है ;

(ख) यदि हां, तो मिशन के हमारे देश में आने का क्या उद्देश्य है ; और

(ग) क्या मिशन भारत सरकार के आमंत्रण पर आया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) गेहूं के उपभोग के रुख का और भारत की भविष्य की संभावित आवश्यकताओं का प्रमुख रूप से अध्ययन करने के लिये ।

(ग) मिशन को गेहूं उपयोग समिति द्वारा भेजा गया है जोकि फालतू गेहूं उत्पन्न करने वाले देशों के प्रतिनिधियों से मिल कर बना है और जो जापान, भारत तथा इंडोनेशिया का भ्रमण करेगा । भारत सरकार ने मिशन द्वारा भारत का दौरा करने के लिये अपनी सहमति दे दी है ।

समुद्र पार संचार सेवा रेडियो

†*१२४०. **श्री प्र० के० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र पार संचार सेवा रेडियो हाल में मद्रास में खोला गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस का किन देशों के साथ बेतार सम्पर्क होगा ; और

(ग) इस परियोजना पर कितना व्यय हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां । मद्रास में ५ मार्च, १९६० को एक रेडियो दूरसंचार केन्द्र खोला गया था ।

(ख) प्रारम्भ में लंदन से सीधी बेतार के तार की सेवा, सिंगापुर और मलाया कुआला-लम्पूर से सीधी बेतार टेलीफोन सेवा की स्थापना की गई है ।

(ग) लगभग १५.८० लाख रुपये ।

रोहतक तथा चंडीगढ़ में चिकित्सा कालिज

†*१२४१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने रोहतक तथा चण्डीगढ़ में कोई चिकित्सा कालिज खोलने के लिये कोई सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या योजनायें प्रस्तुत की गई है ; और

(ग) उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). पंजाब सरकार ने रोहतक में एक मेडिकल कालेज खोलने के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है । चण्डीगढ़ में मेडिकल कालेज खोलने के सम्बन्ध में कोई भी निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि रोहतक में मेडिकल कालेज खोलने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कुछ भी वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकती है ।

मल का बह कर यमुना में गिरना

†*१२४२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मल का बह कर यमुना में गिरना रोकने के लिय निर्माण-कार्यों के पूरे होन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३५]** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर योजना

†१६५२. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ के पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन में तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर योजना में तुंगभद्रा बोर्ड ने कौन-कौन से निर्माण कार्य शामिल करने के लिये प्रस्ताव किया है ;

(ख) इस पुनरीक्षित परियोजना से कहां तक सिंचाई करने का अनुमान है ;

(ग) इस पुनरीक्षित परियोजना से प्रत्येक कार्य के अन्तर्गत कितने एकड़ में सिंचाई करने का विचार है ;

(घ) इस परियोजना में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा कौन-कौन से कार्य शामिल नहीं किये गये ;

(ङ) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने कौन-कौन से कार्यों को शामिल करने की सिफारिश की है ;

(च) इस प्रकार की सिफारिशों के क्या कारण हैं ; और

(छ) इस परियोजना में अन्ततोगत्वा क्या रूप भेद किए गए ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) (१) ११६ मील लम्बी उच्च स्तर नहर जो कि तुंगभद्रा बांध के ऊंची सतह पर स्थित पानी निकालने के फाटक से निकलेगी ;

(२) गुंटकल शाखा जो ऊंची सतह वाली नहर के ११६वें मील से निकलेगी ;

(३) पेन्नार नदी में ऊंची सतह वाली नहर का पानी ले जाने के लिये
M F FT
116—0—64 पर उर्वकोंडा कट ।

(४) पेन्नार नदी के अर्द्ध-पेन्नार रेग्युलेटर पर ऊंची सतह वाली नहर जहां पर गिरती है उस से १९ मील नीचे पर ;

(५) मध्य-पेन्नार उत्तरी नहर ;

(६) मध्य पेन्नार दक्षिणी नहर तडपत्री शाखा को मिलाकर ;

(७) पेन्नार नदी की सहायक चित्रामती नदी के उस पार गोड्डुमनी में चित्रावती नदी बांध ;

(८) पुल्लिवेंडला शाखा ;

(९) गंडी कोटा बांध

(१०) कुडप्पा उत्तरी नहर ; और

(११) कुडप्पा दक्षिणी नहर जिस में पापाग्नि नदी से आगे की नहर शामिल है ।

(ख) ४,५८,१०५ एकड़ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

	एकड़
(ग) (१) ऊंची सतह वाली नहर मे ११६ मील	१,७१,६००
(२) गुंटकल शाखा	६२,४२५
(३) मध्य-पेन्नार उत्तरी नहर . . .	१३,५००
(४) मध्य-पेन्नार दक्षिणी नहर जिस में तडपत्री शाखा शामिल है	७०,६१५
(५) पुल्लिवेंडला शाखा	५४,९६५
(६) कुडप्पा उत्तरी नहर	५०,०००
(७) कुडप्पा दक्षिणी नहर	३५,०००
योग	४,५८,१०५

(घ) और (ङ). (१) चित्रावती बांध

(२) पुल्लिवेंडला शाखा

(३) पापाग्नि रेग्युलेटर

(४) पापाग्नि रेग्युलेटर से आगे नहर

(च) उपर्युक्त (घ) में दिखाय गए मद पेन्नार जलागम से जो अनुपूरक जल संभरण होता है उस से लाभान्वित भाग शामिल है जिसे छोड़ दिया गया था चूंकि यह परियोजना तुंगभद्रा जल के इस्तमाल तक सीमित थी ।

(छ) बाद को टेक्निकल मंत्रणा समिति की सफारिशों पर परियोजना को दो प्रक्रमों में कार्यान्वित करने का सुझाव दिया गया था। परियोजना के प्रथम प्रक्रम में १३ करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान लगाया गया है जिस में निम्न मदों का निर्माण किया जायेगा :—

(१) ऊंची सतह वाली नहर जिसके कि अभी निशान भी नहीं लगाए गए हैं आरम्भ से लेकर ११६ मील तक २३०० घन फुट पानी ले जाने और १,०३,००० एकड़ भूमि में सिंचाई करने के लिये ;

(२) उर्वकोंडा कट १००० घन फुट पानी ले जायेगी ;

(३) मध्य-पेन्नार रेग्युलेटर ;

(४) मध्य-पेन्नार उत्तरी नहर १३,५०० एकड़ की सिंचाई करेगी ; और

(५) मध्य-पेन्नार दक्षिणी नहर जिसकी क्षमता ८०० घन फुट है और जिस में तरिपात्री भी शामिल है ७०,६१५ एकड़ में सिंचाई करेगी।

शेष कार्य जो नीचे दिखाये गए हैं, के परियोजना के द्वितीय प्रक्रम में कार्यान्वित किये जाने का विचार है :—

(१) प्रमुख नहर को चौड़ा और गहरा करना जिस से उसकी क्षमता २३०० घन फुट से बढ़ा कर ४,००० घन फुट की जा सके जिस के परिणामस्वरूप ६८,६०० और अधिक एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सके।

†मूल अंग्रेजी में

(२) 'उर्वकोंडा कट' की जल ले जाने की क्षमता १,००० घन फुट से बढ़ाकर १,५८४ घनफुट करना ।

(३) गंटकल शाखा से ६२,४२५ एकड़ सिंचाई करना ।

(४) मध्य-मेन्तार दक्षिणी नहर की क्षमता ८०० घन फुट से बढ़ाकर १२९८ घन फुट करना ।

(५) गंडोकोटा बांध ।

(६) कुडप्पा उत्तरी नहर से ५०,००० एकड़ में सिचाई करना ।

(७) कुडप्पा दक्षिणी नहर से २०,१३६ एकड़ में सिंचाई करना ।

त्रिपुरा में छोटे सिंचाई कार्य

†**१६५३. श्री दशरथ देब** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा लोक निर्माण विभाग में एक छोटे सिंचाई कार्य विभाग बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है : और

(ख) यदि हां, तो वहां आवश्यक निर्माण कार्य करने के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कितने इंजीनियर नियुक्त किये गए हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का एक एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर तथा तीन असिस्टेण्ड इंजीनियर प्रतिनियुक्त किथ गए हैं ।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

†**१६५४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १९६० में अब तक (मासवार) हुई ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या कितनी थी जो दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों से हुई ; और

(ख) दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) ८६, ८० और २५ दुर्घटनाएं दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों से हुई और जिनकी रिपोर्ट पुलिस को जनवरी, फरवरी और मार्च (१५-३-१९६० तक) क्रमशः की गई थी ।

(ख) दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निम्न कार्रवाई की गई है :—

(१) दिल्ली परिवहन उपक्रम के ड्राइवरों को नियमित सेवा में लिये जाने से पहले उन्हें भली प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण काल में, जो कि दो मास का होता है, प्रशिक्षणार्थियों में सतर्क और सावधान रहने की आदत डालने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और उनकी भिन्न-भिन्न प्रकार से परीक्षा ली जाती है जिस से सार्वजनिक मोटर गाड़ियां चलाने के लिये वे कितने उपयुक्त हैं, इसकी जांच की जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(२) उपक्रम की बसों में गति नियंत्रण उपकरण (स्पीड गवर्नर) लगा दिये गए हैं जिस से ड्राइवरों द्वारा अत्यधिक तीव्र गति से बसें चलाने में सफलता नहीं मिलेगी।

(३) चलती जीपों में जिन में गति नियंत्रण उपकरण लगा रहता है विशेष पुलिस दस्ते घूमा करते हैं जो नियमित रूप से इसकी जांच करते हैं और जो लोग अत्यधिक तीव्रगति पर मोटर आदि चलाते हैं उनके खिलाफ़ अनुशासन संबंधी कार्रवाई की जाती है । यातायात पुलिस प्राधिकारियों से, जो कि निरंतर अधिक गति और खतरनाक ढंग से मोटरें आदि चलाने वालों का पता लगाने का काम किया करते हैं, विशेष सम्पर्क रखा जाता है ।

(४) दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा जो स्कूल चलाया जा रहा है उस में ड्राइवरों को अल्पकालिक प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम में थोड़े थोड़े लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता जाता है

जनगांव में ऊपरी पुल

†१६५५. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के जनगांव में एक ऊपरी पुल बनाने के बारे में कहां तक प्रगति हुई है ;

(ख) पुल पर कितना व्यय होने का अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) पुल यातायात के लिये कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश की सरकार से रेलवे प्रशासन को जनगांव स्टेशन के निकट विद्यमान रेल के फाटक के स्थान पर १९६०–६१ के रेलवे कार्यक्रम में एक ऊपरी पुल की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निवेदन प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार के परामर्श से उसकी योजना और प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।

(ग) अभी कोई तारीख नहीं बताई जा सकती क्योंकि कार्य का कार्यान्वित किया जाना योजना पर राज्य सरकार की स्वीकृति और लागत में वह कितना हिस्सा बंटायेगी, इस पर निर्भर करेगा ।

विशाखापटनम पत्तन

†१६५६. **श्री दी० चं० शर्मा** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १६ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विशाखापटनम पत्तन के विकास में अब तक और आगे किस प्रकार की प्रगति की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : चार अतिरिक्त बर्थें बनाने के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलनों के लिये मंजूरी दे दी गई है ।

आंध्र प्रदेश में औषधियों की देशी पद्धति का विकास

†१६५७. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को १९५९ में औषधियों की देशी पद्धति के विकास के लिये कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) १९६० में कितनी राशि मांगी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) आन्ध्र प्रदेश में १९५९–६० में ३०,००० रुपया दो संस्थाओं को दिया गया है । इस राशि के अलावा १९५९–६० में औषधियों की देशी पद्धति के विकास के लिये राज्य सरकार को १ लाख रुपया और आवंटित किया गया है । राज्य सरकार ने वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया यह पता नहीं है ।

(ख) राज्य सरकार ने १९६०–६१ में १.५० लाख रुपये का उपबन्ध करने के लिये कहा है ।

आंध्र प्रदेश में वन विकास

†**१६५८. श्री मं० रें० कृष्णराव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक वन विकास के लिये आन्ध्र प्रदेश को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : द्वितीय पंच वर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश को वन विकास के लिये अब तक २१,९९,४२५ रुपये की राशि आवंटित की गई है जैसी कि नीचे दिखाई गई है :—

	ऋण	अनुदान
	रुपये	रुपये
१९५६–५७	३२,३२५	१,००,५००
१९५७–५८	५,६४,४००	२८,२००
१९५८–५९	५,०४,०००	८४,०००
१९५९–६०	७,३४,०००	१,५२,०००
योग	१८,३४,७२५	३,६४,७००

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में डाक तार कर्मचारियों को पेशगी वेतन

†**१६५९. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल की बाढ़ों को प्राकृतिक विपत्तियां समझते हुए पश्चिम बंगाल के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित डाक तथा तार कर्मचारियों को पेशगी वेतन मंजूर करने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: प्रभावित कर्मचारियों को एक महीने का पेशगी वेतन देने के लिये आज्ञा जारी की जा चुकी है ।

केन्द्रीय उपचारिका सेवा

†**१६६०. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३० नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय उपचारिका सेवा (सेंट्रल नर्सिंग सर्विस) की स्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : प्रस्तावित केन्द्रीय उपचारिका सेवा (सेंट्रल नर्सिंग सर्विस) के बारे में वितीय मामले और अन्य ब्यौरा तैयार किये जा रहे हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम

†१६६१. **श्री पांगरकर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० के दौरान अन्दमान और निकोबार द्वीपों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गहन विस्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: अन्दमान और निकोबार द्वीपों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विस्तार करने के लिये की गई कार्यवाहियों को बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विस्तार करने के लिये अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों ने निम्न कार्रवाइयां की हैं :—

१. कृषि

(क) दक्षिण अन्दमान खण्ड के ११ गांवों में कृषि उत्पादन योजनायें तैयार की गई हैं ।

(ख) कार-निकोबार खण्ड में नारियल बागान में पेड़ रक्षण कार्य गहन किया गया है ।

(ग) दक्षिण अन्दमान खण्ड में धान फसल प्रतियोगिता आयोजित की गई ।

२. पंचायतें

गांवों में संविहित पंचायतें बनाने के लिये शीघ्र ही पंचायत विनियमों को लागू करने के लिये कार्रवाई की जा रही है ।

३. सहकारिता

दक्षिण अन्दमान खण्ड के सब गांवों में सेवा सहकारी संस्थायें बनाने की योजना तैयार की जा रही है ।

४. प्रशिक्षण

(क) कार-निकोबार खण्ड में सहकारिता विकास तथा प्रबन्ध के सिद्धान्तों का गैर सरकारी लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना १ अप्रैल, १९६० से चालू की जाएगी ।

(ख) किसानों की सहायता करने और उत्तम तरीकों, औजारों, बीज आदि के बारे में प्रशिक्षण देने के लिये ग्राम सहायक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये हैं ।

५. ग्राम उद्योग

(क) गांव के कारीगरों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से दक्षिण अन्दमान खण्ड में लोहारी और बढ़ईगिरी के काम के लिये एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र और बैंत तथा बांस के काम के लिये एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित किये गये हैं ।

(ख) सिलाई और कपड़े बनाने के लिये एक महिला प्रशिक्षण केन्द्र बैंत और बांस के काम के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र तथा एक वर्धा घानी तेल पेरने का यंत्र शीघ्र ही लगाने का प्रस्ताव है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

६. सामान्य

(१) कार-निकोबार से १५ निकोबारियों का दल और दक्षण अन्दमान खण्ड से ३० किसानों का दूसरा दल दिल्ली में आयोजित विश्व कृषि मेला देखने गये थे ।

(२) कार-निकोबार खण्ड से २५ निकोबारियों के दल ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों को अच्छी तरह समझने के लिये भारत दर्शन यात्रा की ।

मध्य रेलवे में चोरियां

†१६६२. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे पर १९५९ में चोरी, उठाईगीरी और सम्पत्ति की हानि के कितने मामले हुए हैं ; और

(ख) १९५८ की तुलना में ये अधिक हैं या कम ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) तथा (ख). सभा पटल पर विवरण रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष	चोरी और उठाईगीरी के मामलों की खबर मिली	राशि अन्तर्ग्रस्त	वसूल की गई सम्पत्ति की लागत
		रुपये	रुपये
१९५९	१४,५१३	८,१०,४२१	१,९७,२९२
१९५८	१२,८४३	७,८६,६५८	१,९०,०६

मध्य रेलवे के मन्माड-काचेगुडा सैक्शन के स्टेशनों पर बिजली लगाना

†१६६३. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे के मन्माड-काचेगुडा सैक्शन के रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाने के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : विवरण संलग्न है ।

विवरण

मध्य रेलवे के मन्माड-काचेगुडा सैक्शन के स्टेशनों पर बिजली लगाने की स्थिति इस प्रकार है :—

१. मन्माड
२. औरंगाबाद
३. पूर्णा
४. नांदेड़
५. निजामाबाद
६. बोलारम

†मूल अंग्रेजी में

७. बोलारुम बाजार ८. अलवल ९. अम्मागुडा १०. रामकिस्तपुरम ११. सफीलगुडा १२. मल्कजगिरि १३. लालागुडा १४. सिकन्दराबाद १५. सीताफलमंडी १६. जमाई उस्मानिया १७. काचेगुडा	इन पर बिजली लगाई जा चुकी है ।
१८. कवैलरी बैरक्स १९. जलना	शीघ्र ही बिजली लगने वाली है ।

सिकन्दराबाद डिवीजन में रेल दुर्घटनायें

†**१६६४. श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ के उत्तरार्द्ध में सिकन्दराबाद डिवीज़न में माल गाड़ी की (टक्करों **और** पटरी से उतरने से) कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) ये दुर्घटनायें किस प्रकार की थीं ;

(ग) माल गाड़ी दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितनी यात्री गाड़ियां कैंसल की गईं; **और**

(घ) उक्त अवधि में रेलवे को इन दुर्घटनाओं से कितनी क्षति हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) पन्द्रह ।

(ख) टक्कर कोई नहीं ।

पटरी से उतरना--१५ ।

(ग) केवल एक यात्री गाड़ी ।

(घ) रेलवे सम्पत्ति को इन दुर्घटनाओं से लगभग ७९,००० रुपये की हानि हुई ।

बिना टिकट यात्रा

†**१६६५.** **श्री प्र० के० देव :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० का० भट्टाचार्य :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५९ से अब तक कितने बिना टिकट यात्री पकड़े गये ;

(ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कैसे हैं ; **और**

(ग) किस रेलवे पर सब से अधिक बिना टिकट यात्री पाये गये ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) तथा (ख). १ अप्रैल, १९५९ से ३१ जनवरी, १९६० तक बिना टिकट पकड़े गये यात्रियों की संख्या ६७.३० लाख है जब कि पिछले वर्ष इसी समय में ५९.३ लाख व्यक्ति थे ।

(ग) पूर्व रेलवे ।

रेलवे के संबंध में वेतन आयोग का प्रतिवेदन

†१६६६. { **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री स० मो० बनर्जी :** }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग के प्रतिवेदन की कुछ सिफारिशों के बारे में सरकारी आदेशों से रेलवे कर्मचारियों में गम्भीर प्रतिक्रिया हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फेडरेशन ने इस आशय का कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) उस के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के कुछ निर्णयों के विरुद्ध कुछ विरोध हुआ है ?

(ख) अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फेडरेशन ने कुछ निर्णयों के विरुद्ध अभ्यावेदन भेजा है ।

(ग) वेतन आयोग की सिफारिशों सम्बन्धी वाद-विवाद के उत्तर में वित्त मंत्री ने सरकार की प्रतिक्रिया लोक सभा में १५-२-६० और राज्य सभा में १८-२-६० को बता दी थी । रेलवे मंत्री ने भी १-३-६० को लोक सभा में रेलवे बजट सम्बन्धी वदा-विवाद के उत्तर में कुछ पहलुओं की व्याख्या की थी ।

हिमाचल प्रदेश में गोदाम

१६६७. श्री पद्म देव : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा १९५९-६० में जो १६ गोदाम बनाये जाने थे, उनमें से अब तक कितने बनाये गये हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा १९५९-६० में बनाये जाने वाली प्रस्तावित संख्या में से अभी तक कोई भी गोदाम पूरा नहीं हुआ है ।

हिमाचल प्रदेश में पंचायतें

१६६८. श्री पद्म देव : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिन्हें योजनानुसार औजार प्राप्त नहीं हुए हैं ; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) व (ख). हिमाचल प्रदेश में सभी ५१८ वर्तमान ग्राम पंचायतें औजार या औजारों के लिये अनुदान प्राप्त कर चुकी हैं।

हिमाचल प्रदेश में वन

१६६९. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में किन-किन स्थानों पर सरकार बनों को काम में ला रही है ; और

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश के सभी वनों को काम में लाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) हिमाचल प्रदेश के ऊपरी बशाहर वन विभाग में बनों को विभागीय तौर पर व्यापारिक ढंग से काम में लाया जा रहा है। मंडी और चम्बा वन विभागों में मंडी, जोगेन्द्रनगर और चम्बा कसबों के स्थानीय टिम्बर डिपोओं के लिये, जहां टिम्बर को स्थानीय जनता की आवश्यकताओं के लिये बेचा जाता है, कुछ वनों को छोटे पैमाने पर विभागीय तौर से भी काम में लाया जाता है।

(ख) जी हां। दूसरे विभागों में वनों को आहिस्ता आहिस्ता विभागीय तौर से काम में लाने की एक योजना भी हिमाचल प्रदेश प्रशासन के विचाराधीन है।

जहाज बनाना

†**१६७०. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूसरे जहाज निर्माण यार्ड के लिये स्लिपवेज के स्थान पर सूखी गोदियों में जहाज बनाने के नवीन तरीके को अपनाने का विचार करती है ; और

(ख) क्या यह इंग्लैंड की मनमथशायर के नवीन पत्तन में अत्यन्त सफल और कम खर्च वाला सिद्ध हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) स्लिपवेज के स्थान पर सूखी गोदियों में जहाज बनाने के नवीन तरीके का, भारत में वाणिज्यिक स्तर पर जहाज निर्माण करने का विचार करने से पूर्व पर्याप्त अध्ययन करना पड़ेगा।

(ख) समाचारपत्रों में इसके सफल सिद्ध होने के समाचार प्रकाशित हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश में नागर नहर परियोजना

†**१६७१.** { **श्री पद्म देव** :
श्री हेम राज : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के महासू जिला की रामपुर तहसील में दित्त नगर कुहल परियोजना पूर्ण हो चुकी है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह नहर नागर और नीरथ दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन स्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) तथा (ख). दत्त नगर कूल नाम की एक पुरानी छोटी नहर थी जो केवल दत्त नगर गांव को जल दिया करती थी । यह बहुत खराब हो गयी है और अब काम नहीं करती । इसके स्थान में, ऊंची सतह पर निरसू कूल बनायी गयी है और यह दत्त नगर तथा निरसू दोनों स्थानों को सिंचाई के लिये जल पहुंचाती है । नीरथ क्षेत्र की आवश्यकता दूसरी चैनल से पूरी की जाती है, जिसे नीरथ कूल कहते हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्दमान की इमारती लकड़ी

†१६७२. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पक्की लकड़ी, अन्दमान की दियासलाई बनाने की लकड़ी, और प्लाईवुड (गुरजन, बादाम, सफेद चुगलम, लालधूप) के कलकत्ता में विक्रय के लिये प्रति टन, दिसम्बर, १९५७ तक के पिछले तीन वर्षों में मासवार पृथक पृथक क्या मूल्य निर्धारित किये हैं और कलकत्ता में यह इमारती लकड़ी कितनी बेची गई है और किन दामों पर ; और

(ख) अन्दमान के वन विभाग का प्रत्येक मद पर (मासवार) उत्पादन लागत, स्वामित्व; भाड़ा तथा ढुलाई खर्चा और डिपो व्यय क्या हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) प्लाईवुड और दियासलाई की लकड़ी के भारत सरकार ने कलकत्ता में विक्रय के लिये पिछले तीन सालों में (१-४-५७ से) प्रति टन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये हैं :

माल का नाम	१-४-५७ से ३०-९-५७ तक	१-१०-५७ से २८-२-५९ तक	१-३-५९ से ३१-७-५९ तक	१-८-५९ से ३०-११-५९ तक
प्लाईवुड				
गुरजन .	२४९.००	२५२.००	२५२.००	२५५.५०
बादाम और सफेद चुगलम .	१९१.५०	१९४.५०	२०३.००	२०६.५०
लाल धूप .	१८१.५०	१८४.५०	२०३.००	२०६.५०
दियासलाई लकड़ी सब प्रकार की	१८७.००	१९०.००	१९३.००	१९६.५०

३०-११-५९ के पश्चात् प्लाईवुड और दियासलाई लकड़ी के मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न अन्दमान प्रशासन की सलाह के साथ सरकार के विचाराधीन है । सरकार ने कलकत्ता

†मूल अंग्रेजी में

बाजार में पक्की लकड़ी के विक्रय के लिये कोई अनुसूचित मूल्य निर्धारित नहीं किया। वह सार्वजनिक नीलामी से बेची जाती है क्योंकि उनकी बिक्री हमेशा नहीं होती। कलकत्ता में बेची गई मासवार प्लाईवुड दियासलाई लकड़ी और पक्की लकड़ी की मात्रा सम्बन्धी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) कलकत्ता तक प्रति टन कुल लागत :

	१९५७–५८ रुपये नये पैसे	१९५८–५९ रुपये नये पैसे
उत्पादन लागत . . .	९२.४६	८४.२६
स्वामित्व . . .	१८.७५	१८.७५
भाड़ा	*७०.००	**८३.००
*१–४–५७ से ३०–९–५७ तक		
**१–१०–५७ से अब तक		
ढुलाई व्यय	५.००	५.०० लगभग
‡डिपो व्यय	१५.००	१५.००
	२११.२१	२०६.०१

१९५९–६० के लिये कलकत्ता तक की कुल लागत अभी उपलब्ध नहीं क्योंकि १९५९–६० वर्ष के वाणिज्यिक लेखे तैयार नहीं हुए हैं।

‡१–८–५९ से डिपो व्यय १५ रुपये प्रति टन से बढ़ कर रुपये १८.५० नये पैसे प्रति टन हो गये हैं।

रेलवे स्लीपर

†१६७३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :]

(क) क्या पंजाब ने १९५९ में कोई स्लीपर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) २१,०६७ बी० जी० फर स्लीपर।

रेलवे में महिलाओं की भरती

†१६७४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :]

(क) रेलवे की सेवाओं, अर्थात् क्लर्कों, स्टैनोग्राफरों, टाइपिस्टों, टैलीफोन आपरेटरों और ड्रेसरों के रूप में विशेषकर रेलवे के भोजन व्यवस्था विभागों में, महिलाओं की भरती को तेज करने के लिये क्या विशेष कार्रवाइयां की जा रही हैं ; और

(ख) इस विषय में रेलवे अधिकारियों की क्या नीति है ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). हिदायतें ये हैं कि उन श्रेणियों की नौकरियों की सूचना में जिन में बाहर का काम नहीं या असुविधाजनक समय का काम नहीं, स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया जाना चाहिये कि महिलायें पुरुषों के साथ समान रूप से उन के लिये अभ्यर्थी बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो महिलायें न्यूनतम निर्धारित योजनायें पूरी करती हैं, उन्हें संबद्ध परीक्षा/इन्टरव्यू के लिये बुलाया जाता है।

केन्द्रीय तिलहन समिति

†१६७५. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति का दफ्तर हैदराबाद चला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी इमारत के निर्माण के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां, १ अक्टूबर, १९५३ से।

(ख) भूमि की लागत समेत १३,६६,२०६ रुपय।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स

†१६७६. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन में इंजन बनाने के काम में लगे हुए कर्मचारी काम के अनुसार वेतन प्रणाली पर रखे हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको अपने मूल वेतन का ५० प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जाता है ; और

(ग) क्या दिसम्बर, १९५९ के लिय उनकी कुल मूल वेतन और उस पर बोनस को पृथक् पृथक् दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सीधे इंजन बनाने का काम करने वाले चार्जमैन के दर्जे तक कर्मकरों और सुपरवाइजरों को उत्प्रेरक बोनस योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कर्मकर अपने मूल वेतन का अधिकतम ५० प्रतिशत तक बोनस कमा सकता है।

(ग) दिसम्बर, १९५९ के लिए मूल वेतन और बोनस आय की कुल मात्रा नीचे दी जाती है :—

उत्प्रेरक योजना पर कर्मकरों के कुल मल वेतन	कर्मकरों की मूल बोनस आय
२,२४,००० रुपये	८९,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी खेती

†१६७७. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री भारत में सहकारी खेती सम्बन्धी डा० **ओटो** शिचलर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के बारे में २३ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या **३८१** के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उन सिफारिशों को **स्वीकार** कर लिया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : सहकारी खेती की **समस्याओं** पर डा० ओटो शिचलर का प्रतिवेदन जून १९५९ में प्राप्त हुआ था जब **भारत सरकार ने** प्राप्त अनुभव पर आधारित, इस उद्देश्य के लिये कार्यक्रम बनाने में सहायता देने **के लिय** सहकारी खेती पर एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था। डा० शिचलर के प्रतिवेदन **की प्रतियां** कार्यकारी दल में परिचालित की गई हैं। कार्यकारी दल के प्रतिवेदन से प्रतीत **होता है** कि उस ने अपने सिफारिशें तैयार करते समय डा० शिचलर को उपपत्तियों को ध्यान **में रखा था** । कार्यकारी दल की सिफारिशें विचाराधीन हैं **और** निकट भविष्य में सरकार **द्वारा** अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ।

मेडिकल कालेज

१६७८. { **श्री क० भे० मालवीय :**
श्री खादीवाला :
श्री मानिक भाई अग्रवाल :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितन मेडिकल कालेजों (औषध-विज्ञान महाविद्यालय) में **आधुनिक चिकित्सा** प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जा रही है और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) इन कालेजों में पाठ्यक्रम की अवधि क्या है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक कालेज में शुल्क की दरें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) आधुनिक चिकित्सा **प्रणाली** के **अनुसार** शिक्षा **देने वाले** ५५ मेडिकल कालेज हैं, वे निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं :—

१. आन्ध्र मेडिकल कालेज, विशाखापत्नम ।
२. गांधी मेडिकल कालेज, हैदराबाद ।
३. मेडिकल कालेज, गुण्टूर ।
४. मेडिकल कालेज, कुरनूल ।
५. उसमानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद ।
६. मेडिकल कालेज, काकीनाडा ।
७. मेडिकल कालेज, वारंगल ।
८. मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़ ।
९. दरभंगा मेडिकल कालेज, लहेरिया सराय ।

†मूल अंग्रेजी में

१०. मेडिकल कालेज, रांची ।
११. प्रिंस ग्राफ वेल्ज मेडिकल कालेज, पटना ।
१२. वी० जे० मेडिकल कालेज, पूना ।
१३. वी० जे० मेडिकल कालेज, ग्रहमदाबाद ।
१४. ग्राण्ट मेडिकल कालेज, बम्बई ।
१५. मेडिकल कालेज, बड़ौदा ।
१६. मेडिकल कालेज, ग्रौरंगाबाद ।
१७. एम० पी० शाह मेडिकल कालेज, जामनगर ।
१८. सेठ जी० एस० मेडिकल कालेज, बम्बई ।
१९. टी० एन० मेडिकल कालेज, बम्बई ।
२०. मेडिकल कालेज, नागपुर ।
२१. ग्रखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली ।
२२. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली ।
२३. मौलाना ग्राजाद मेडिकल कालेज. नई दिल्ली ।
२४. मेडिकल कालेज, कोजिकोड ।
२५. मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम ।
२६. मेडिकल कालेज, इन्दौर ।
२७. मेडिकल कालेज, भोपाल ।
२८. मेडिकल कालेज, ग्वालियर ।
२९. मेडिकल कालेज, जबलपुर ।
३०. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैलोर
३१. मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास ।
३२. मदुरई मेडिकल कालेज, मदुरै ।
३३. स्टैनले मेडिकल कालेज, मद्रास ।
३४. तन्जौर मेडिकल कालेज, तन्जौर ।
३५. बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर ।
३६. मेडिकल कालेज, हुबली ।
३७. मेडिकल कालेज, मनीपाल ।
३८. मेडिकल कालेज, मैसूर ।
३९. एस० सी० वी० मेडिकल कालेज, कटक ।
४०. मेडिकल कालेज, बरला ।
४१. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना ।
४२. मेडिकल कालेज, ग्रमृतसर ।
४३. मेडिकल कालेज, पटियाला ।
४४. मेडिकल कालेज, पाण्डिचेरी
४५. सवाई मान सिंह मेडिकल कालेज जैपुर ।
४६. मेडिकल कालेज, बीकानेर ।
४७. जी० एस० वी० मेमोरियल मेडिकल कालेज, कानपुर
४८. किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ ।
४९. सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, ग्रागरा ।
५०. बंकुरा सम्मिलानी मेडिकल कालेज, बंकुरा ।

५१. कलकत्ता नैशनल मेडिकल इन्स्टीटयूट, कलकत्ता ।

५२. मेडिकल कालेज, कलकत्ता ।

५३. नीलरतन सरकार मेडिकल कालेज, कलकत्ता ।

५४. आर० जी० कार मेडिकल कालेज, कलकत्ता ।

५५. मेडिकल कालेज, श्रीनगर ।

(ख) और (ग). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

भेषज तथा चमत्कारिक उपचार अधिनियम

†१६७६. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने नई दिल्ली के मेसर्स हमदर्द दवाखाना के मुकदमे का फैसला सुना दिया है जिससे भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, की धारा ३ का खण्ड (घ) का एक अंश और धारा ८ को अवैधानिक घोषित कर दिया गया है ; और

(ख) मंत्रालय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकट किये गये विचारों के अनुसार अधिनियम का संशोधन कब करेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : जी हां। मेसर्स हमदर्द दवाखाना और अन्य लोगों द्वारा दाखिल की गयी १९५६ की लेख-याचिका संख्या ८१, ६२, ६३ और ३ पर १८ दिसम्बर, १९५६ के अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, १९५४ की धारा ८ को और धारा ३ (घ) के संविधान की शक्ति से बाहर ठहराया है ।

(ख) अधिनियम में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुरूप संशोधन करने के प्रश्न पर विधि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के शिष्टमण्डल का प्रतिवेदन

†१६८०. **श्री तंगामणि** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सामुदायिक विकास के कार्यकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के शिष्ट मण्डल का प्रतिवेदन राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिये भेज दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किन किन राज्यों ने अपने विचार केन्द्रीय सरकार के पास भेजे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० ष्ठ० मूात)** : (क) जी हां। राज्य सरकारों के विचार केवल उन्हीं मामलों के बारे में मांगे गये थे जिनकी राज्यों के स्तर पर जांच और क्रियान्वय अपेक्षित था।

(ख) अभी तक किसी राज्य ने अपने विचार नहीं भेजे हैं।

स्नोडन स्टेट अस्पताल, शिमला

१६८१. श्री पद्म देव: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्नोडन स्टेट अस्पताल, शिमला, की इमारत का निर्माण कब आरम्भ हुआ था, और वह कब पूरा होगा ;

(ख) उस पर अब तक कितना खर्च हो चुका है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) स्नोडन अस्पताल, शिमला, की इमारत का निर्माण अप्रैल, १९५७ में आरम्भ हुआ था और वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के अन्त तक उसके पूरे हो जाने की आशा है।

(ख) १०·७७ लाख रुपये।

(ग) २२·५० लाख रुपये।

मध्य प्रदेश में भाण्डागार

१६८२. श्री राधे लाल व्यास: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में किन किन स्थानों पर अनाज रखने के लिये भांडागार बनाने का विचार है, उनमें से प्रत्येक पर कितनी लागत आयेगी और कितना अनाज रखा जा सकेगा ;

(ख) इन भांडागारों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) क्या इन भांडागारों के निर्माण पर होने वाले खर्च में राज्य सरकार कोई अंशदान देगी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) केन्द्रीय भांडागार व्यवस्था निगम ने निम्न भांडागारों के निर्माण का कार्य अपने ऊपर लिया है:—

केन्द्र	क्षमता	अनुमानित लागत
	टन	(लाख रु० में)
भाटापारा .	५,०००	६·५६
मुरैना	४,५००	५·४०
इन्दौर . . .	३,०००	४·६७

†मूल अंग्रेज़ी में

इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य भांडागार व्यवस्था निगम का रु० २५,००,००० की अनुमानित लागत पर २० भांडागार, जिनमें प्रत्येक की क्षमता १००० टन होगी, निम्नलिखित केन्द्रों में बनाने का विचार है ।

१. हरदा
२. पिपारिया
३. दमोह
४. सतना
५. रायगढ़
६. राजनन्दगांव
७. अशोकनगर
८. खरगोन
९. ग्वालियर
१०. दुर्ग
११. धमतरी
१२. बिलासपुर
१३. बालाघाट
१४. शुजालपुर
१५. भेलसा
१६. नीमिच
१७. खंडवा
१८. गडरबांडा
१९. दतिया
२०. हरपालपुर

(ख) मुरैना में भांडागार का निर्माण कार्य नवम्बर, १९६० के अन्त तक और भाटापारा तथा इन्दौर में मार्च, १९६१ के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है । राज्य भांडागार व्यवस्था निगम का (क) में बताये गये भांडागारों का निर्माण कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक पूरा करने का विचार है ।

(ग) राज्य सरकार केन्द्रीय या राज्य भांडागारों के लागत में कोई सीधा अंशदान नहीं देती है । फिर भी, राज्य निगम की आधी अंश पूंजी राज्य सरकार देती है और शेष आधी केन्द्रीय भांडागार व्यवस्था निगम ।

मनीपुर में पुलों का निर्माण

†**१९८३. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या यह सच है कि शहतीरों के न मिलने के कारण मार्च, १९६० के पहले हफ्ते में मनीपुर में पुलों के निर्माण का कार्य बन्द कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो यह शहतीरें समय रहते क्यों नहीं प्राप्त कर ली गयीं थीं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) और (ख). जी नहीं। मनीपुर में आठ पुलों का निर्माण विभिन्न प्रक्रमों में चल रहा है। केवल एक पुल के निर्माण में इतनी प्रगति हुई है जिसमें डेकिंग[1] के लिये शहतीरों की जरूरत पड़े। आशा है कि ये शहतीरें अप्रैल, १९६० के दौरान में आ जायेंगी।

दिल्ली में पैदल-सड़क पार करने के सिग्नल

†१६८४. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में पैदल सड़क पार करने के सिग्नलों का प्रयोग सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो पैदल सड़क पार करने के ये सिग्नल किन किन स्थानों पर लगाये जाने वाले हैं;

(ग) इन पर कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी; और

(घ) इनको लगाने में कितना समय लगेगा?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था ने हाल ही में नयी दिल्ली के जनपथ पर रोशनी फेंकने वाला पैदल सड़क पार करने का एक सिग्नल लगाया है और उसके कार्यकरण का पर्यवेक्षण किया जा रहा है। अब तक तो उत्साहप्रद परिणाम ही निकले हैं।

(ख) आगे और भी पर्यवेक्षण के लिये दरयागंज इर्विन अस्पताल के निकट, कश्मीरी गेट आदि स्थानों पर कुछ और पैदल सड़क पार करने के सिग्नल लगाये जायेंगे।

(ख) रोशनी फेंकने वाले पैदल सड़क पार करने के एक सिग्नल की कीमत लगाने के खर्च के अलावा लगभग १००० रुपये बैठती है। कुल लागत इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने सिग्नल लगाये जायेंगे।

(घ) अन्य स्थानों पर सिग्नल लगाने में जो समय लगेगा वह इस बात पर निर्भर करेगा कि जनपथ के सिग्नल के कार्यकरण के क्या परिणाम निकलते हैं।

बिहार में रेलवे की आउट एजेंसियां

†१६८५. **श्री अनिरुद्ध सिंह**: क्या **रेलवे** मंत्री १७ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५९–६० में बिहार में जितनी रेलवे की आउट एजेंसियां खोलने की मंजूरी दी गयी थी फरवरी १९६० के अन्त तक उनमें से वास्तव में कितनी आउट एजेंसियां खोली गयी हैं; और

(ख) नयी खुली कौन कौन सी रेलवे आउट एजेंसियां वास्तव में कार्य कर रही हैं?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). प्रश्न ६४ के उत्तर में दी गयी सूची में से सिमराही और त्रिवेनीगंज की आउट एजेंसियां खोली गयी हैं।

इनके अलावा, बिहार के भभुआ नगर में एक और आउट एजेंसी खोली गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

1. Decking

सभा पटल पर रखे गये पत्र

निजामुद्दीन के भूमिगत नाले में हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) १९ दिसम्बर, १९५९ को निजामुद्दीन के भूमिगत बड़े नाले में हुई दुर्घटना के बारे में, जिसमें चार व्यक्ति मारे गये थे, वक्तव्य ।

(२) १९ दिसम्बर, १९५९ को निजामुद्दीन के निकट भूमिगत नाले की खुदाई के समय मिट्टी का ढेर आ पड़ने के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन ।

(३) दिल्ली नगर निगम की जल संभरण तथा गन्दगी सफाई समिति द्वारा पारित संकल्प ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी २०५९/६०]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अनुसूचित जाति के लोगों को कुएं से पानी लेने से रोकना

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ (नासिक) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें :—

> "दिल्ली के हरताल गांव में अनुसूचित जाति के लोगों को एक सार्वजनिक कुएं से पानी लेने से कथित रोका जाना ।"

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : दिल्ली प्रशासन से पूछे जाने पर पता लगा है कि यह मामला 'हस्थसाल' गांव से संबंधित है, न कि "हरताल" से । ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में श्री जय नारायण सैनी की जमीन में एक कुआं बना हुआ है और इस कुएं से अनुसूचित जाति के व्यक्ति पीने का पानी लेते थे । कुएं के स्वामित्व के बारे में झगड़ा उठ गया था और फिर उस पर मुकदमे-बाजी हुई । हरिजनों ने आपत्ति की थी कि भूमि का मालिक कुएं का उपयोग सिंचाई के लिये न करे । हरिजन मुकदमा हार गये और अपील भी ।

हरिजनों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल २८ मार्च, १९६० को दिल्ली के उप-आयुक्त से मिला और यह शिकायत की कि श्री जय नारायण ने कुएं के निकट एक दीवार बनाकर उनको पानी लेने से रोक दिया है । न्यायालय के फैसले के बाद अब जिला अधिकारी सिर्फ यह प्रयत्न कर सकते हैं कि कोई सर्वसम्मत हल निकल आये और वे ऐसा कर भी रहे हैं ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या यह सच है कि दस वर्ष पूर्व ९०० रुपये लगाकर स्थानीय बोर्ड ने कुएं की मरम्मत कराई थी और यदि हां, तो यह कुआँ सार्वजनिक कुआं कैसे नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : मुझे इसका पता नहीं है। परन्तु अनुसूचित जाति के लोग इसको इस्तेमाल करते थे। मैं बताना चाहता हूं कि गांव में एक और सार्वजनिक कुआं है।

तारांकित प्रश्न संख्या ३४८ के उत्तर की शुद्धि

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: तारांकित प्रश्न संख्या ३४८ के संबंध में श्री हेम बरुआ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था, "एक बड़े ही प्रतिष्ठित, उच्च स्तर के अधिकारी, वैज्ञानिक परामर्शदाता ने एक जांच करके एक विचार प्रकट किया था।" इस बात से ऐसा लगता है कि दो जांचें की गई थीं और इस वैज्ञानिक परामर्शदाता ने उनमें से एक जांच की थी। पर वास्तविक स्थिति यह नहीं है। अतः मैं चाहता हूं कि उत्तर को निम्न प्रकार से शुद्ध कर लिया जाये।

> "....एक बड़े ही प्रतिष्ठित, उच्चस्तर के अधिकारी, वैज्ञानिक, परामर्शदाता ने एक प्रतिवेदन का समर्थन करते हुए एक विचार प्रकट किया था।"

बम्बई पुनर्गठन विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री गोविन्द बल्लभ पन्त द्वारा ३१ मार्च, १९६० को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा होगी :—

> "कि बम्बई राज्य के पुनर्गठन तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें ३० सदस्य अर्थात्, श्री श्रीपाद अमृत डांगे, श्री ब० ना० दातार, श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़, श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी, श्री नारायण गणेश गोरे, श्री अरुण चन्द्र गुप्त, श्री हजरनवीस, श्री हेडा, श्री अजित प्रसाद जैन, श्री गुलाब राव, श्री केशवराव जेधे, डा० गोपालराव खेडकर, श्री भवनजी ए० खीमजी, श्री बलवन्तराय गोपाल जी मेहता, श्री नरेन्द्र भाई नथवानी, श्री घनश्याम लाल ओझा, श्री शामराव विष्णु परुलेकर, कुमारी मणिबेन वल्लभभाई पटेल, श्री ना० नि० पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० पटेल, श्री उत्तमराव ल० पाटिल, श्री शिवराम रंगो राने, श्री अजित सिंह सरहदी, श्री शंकरैया, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री दिग्विज नारायण सिंह, श्री सुगन्धि, श्री न० रा० मुनिस्वामी, स्वामी रामानन्द तीर्थ, श्री बालकृष्ण वासनिक, और श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक इस सभा के हों और १५ सदस्दय राज्य सभा के हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक के गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को १४ अप्रैल, १९६० तक प्रतवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितयों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तन और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।''

श्री अणे अपना भाषण जारी रखें ।

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)**: चूंकि इस विधेयक के लिये कोई समय नहीं निश्चित किया गया है इसलिये मैं चाहता हूं कि सभा की राय ले ली जाये । मेरा विचार है कि इसको साढ़े तीन बजे तक समाप्त कर देना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, सभा की क्या राय है ?

†**माननीय सदस्य** : हमें स्वीकार है ।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : कल जब सभा विसर्जित हुई थी तो मैं यह कह रहा था कि विदर्भ के लोग अपना पृथक् राज्य चाहते हैं । आज मैं उसके सम्बन्ध में दो एक तर्क उपस्थित करना चाहता हूं ।

संविधान के अनुच्छेद ३ में कहा गया है कि राज्यक्षेत्र के पृथक्करण आदि से सम्बन्धित विधेयकों के मामले में कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी । मेरा निवेदन है कि इस मामले में वे शर्तें कानूनी दृष्टि से तो पूरी की गई हैं परन्तु वास्तव में पूरी नहीं हुई हैं । यह ठीक है कि इस मामले की सिफारिश राष्ट्रपति ने की थी और वह मामला बम्बई के विधान मण्डल को भी निर्दिष्ट किया गया था । परन्तु इन शर्तों के रखे जाने का उद्देश्य क्या था ? मेरा निवेदन है कि संविधान के निर्माताओं ने ये शर्तें इसलिए रखी थी कि संसद् इस प्रकार के विधेयक पर तभी विचार कर सकेगी जबकि उसे विधेयक के प्रस्तावों से प्रभावित होने वाली जनता अथवा उसके प्रतिनिधियों के विचार मालूम हो जायें । अतः हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या इस मामले में विदर्भ की जनता के विचार बम्बई विधान-मण्डल के वाद-विवाद में प्रतिबिम्बित होते हैं जो सभा के समक्ष हैं ?

मेरा निवेदन है कि बम्बई विधान मण्डल के विदर्भ से निर्वाचित वर्तमान सदस्य द्विभाषी राज्य के समर्थक हैं क्योंकि निर्वाचन उसी के आधार पर हुआ था । चुनाव की घोषणा में यह स्पष्ट कहा गया था कि वे द्विभाषी राज्य का समर्थन करेंगे । अतः जब यह एकभाषी राज्यों का प्रस्ताव उनके सामने आया तो उनके सामने दो ही विकल्प थे कि या तो वे उसे स्वीकार कर लें या त्यागपत्र दे दें । यह एक सर्वथा नया प्रस्ताव था जिसके लिये वे तैयार नहीं थे । इसके लिये मैं किसी को दोष नहीं देता वरन् यथार्थ स्थिति का चित्रण कर रहा हूं । अतः जब यह प्रस्ताव आया तो कुछ सदस्यों ने विदर्भ के पृथक् राज्य के पक्ष में मत व्यक्त किया और कुछ सदस्यों ने त्याग पत्र भी दे दिये । परन्तु जब कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो कांग्रेसी सदस्यों के लिए वह आदेश सा बन गया और अनुशासन के नाम पर उन्हें स्वीकार करना पड़ा । उस प्रस्ताव से सहमत न होने पर भी सच्चे कांग्रेसियों की तरह उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि वे कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे । हम सदा से सच्चे कांग्रेसी रहे हैं और इसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं । उनके सामने बड़ा धर्म संकट था---निर्वाचकों के प्रति कर्तव्य और कांग्रेस के प्रति स्वामिभक्ति । अतः उन्होंने दोनों को निभाया । उन्होंने विदर्भ की जनता का मत भी व्यक्त कर दिया और कांग्रेस के आदेशानुसार उस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसी परिस्थिति में क्या उनके मत को विदर्भ की जनता का सही प्रतिबिम्ब माना जा सकता है ? मैं माननीय गृह मंत्री और सभा के नेता से अपील करता हूं कि वह इसके सम्बन्ध में विचार करें । मैं समझता हूं कि जैसी परिस्थिति में विदर्भ के सदस्यों ने अपना मत व्यक्त किया था वह बड़ी असाधारण थी । अतः उसको विदर्भ की जनता का प्रामाणिक मत नहीं समझा जा सकता है । वैधानिक दृष्टि से वह भले ही ठीक हो परन्तु नैतिक दृष्टि से वैसा नहीं माना जा सकता । वास्तव में वह विदर्भ जनता की भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि विदर्भ की जनता की सही भावनाओं को किसी अन्य प्रकार से मालूम किया जाय । अभी जिन परिस्थितियों में विदर्भ के सदस्यों ने अपना मत व्यक्त किया है उसे विदर्भ की जनता के मत का सही प्रतिनिधित्व नहीं माना जा सकता । अतः विदर्भ की जनता का सही मत जानने का कोई अन्य तरीका निकाला जाना चाहिए ।

दूसरी बात जिसका निर्देश मैं करना चाहता हूं वह सत्याग्रह के सम्बन्ध में है । कुछ लोग उस सत्याग्रह को अनुचित मानते हैं । परन्तु मैं उसको सर्वथा उचित समझता हूं । जब वैधानिक ढंग से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं कराया जा सका तभी सत्याग्रह का तरीका अपनाया गया है । वे सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनमें से अनेक वर्षों तक कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं । अब तक आप उन्हें जनता का प्रतिनिधि मानते रहे हैं । क्या अब उनसे परामर्श नहीं किया जा सकता ? यह ठीक है कि वे अहिंसा के पथ से डिग रहे हैं परन्तु मेरा निवेदन है कि उनके सामने अन्य कोई चारा नहीं रहा था । सत्याग्रह को अन्तिम अस्त्र के रूप में ही अपनाया गया है । इस सत्याग्रह के दौरान जो कुछ दुर्घटनायें हुई हैं उसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर ही है क्योंकि उसके उपेक्षापूर्ण व्यवहार से जनता की भावनायें भड़क उठी हैं । जब जंगल में सत्याग्रह किया गया था तो सरकार को उसकी पूर्वसूचना दी गई थी परन्तु सरकार ने कोई भी प्रबन्ध नहीं किया । वह एक भी पुलिस का अधिकारी उपस्थित नहीं था । ऐसी स्थिति में यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी उन अधिकारियों पर ही आती है ।

जहां तक सत्याग्रह का सम्बन्ध है उसको जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त है । केवल पुरुष ही नहीं वरन् संभ्रान्त परिवारों की महिलायें भी सत्याग्रह में सहयोग दे रही हैं । हजारों लोग दूर दूर से सत्याग्रहियों को उत्साहित करने के लिये आ रहे हैं । जब तक भारत सरकार विदर्भ की जनता का मत जानने के लिये कोई कदम नहीं उठाती तब तक यह सत्याग्रह जारी रहेगा । इसके सम्बन्ध में कोई आश्वासन अवश्य दिया जाना चाहिए । यदि जनमत संग्रह द्वारा अथवा अन्य प्रकार से जनता महाराष्ट्र में सम्मिलित होने का निर्णय करती है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा । परन्तु जनता का मत जानने का प्रयत्न अवश्य किया जाना चाहिये । अतः वर्तमान व्यवस्था को अन्तःकालीन माना जाना चाहिये और कोई समय निश्चित किया जाना चाहिए जब कि जनता का मत जानकर तदनुसार व्यवस्था की जाय । यदि सरकार ऐसा कोई आश्वासन नहीं देती है तो मैं नहीं जानता कि जनता क्या कर बैठे । उस सब की जिम्मेदारी सरकार पर ही होगी ।

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : कुछ दिन पूर्व भी हमने इसी प्रकार की चर्चा यहां की थी और यह मामला भी संयुक्त समिति को भेजा गया था । उस समय भी दोनों सदनों के कुछ सदस्यों ने अपना यह कर्तव्य समझा कि वे सभा के नेता के सामने संसद् सदस्यों तथा जनता के कुछ वर्गों में व्याप्त व्यापक असंतोष को रखें । उन दिनों लोगों में भाषायी मतान्धता थी और वर्ग से अलग होने एवं विकेन्द्रीकरण की मांग आ रही थी । अतः देश के नेताओं ने रोजाना की गतिविधियों को लेकर

†मूल अंग्रेजी में ,

[श्री ब० गो० मेहता]

सभी समस्याओं पर विचार किया और एक ऐसा समाधान निकाला जो सभी को सन्तुष्ट करने वाला नहीं था तो कम से कम कुछ लोगों को तो सन्तुष्ट करने वाला था ।

संयुक्त समिति ने भी तीन सूत्रीय फार्मूला की सिफारिश विधेयक में की । लेकिन सदस्यों ने यह देखते हुए कि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा नेता के पास जाकर अभ्यावेदन किया कि सारी स्थिति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है और कोई दूसरा ही समाधान ढूंढना चाहिए ।

कुछ सुझाव रखे गये जिनमें से कुछ एक पक्ष को मान्य नहीं थे तो कुछ दूसरे पक्ष को मान्य नहीं थे । अतः दोनों सदनों के सदस्यों ने द्विभाषी राज्य बनाने का परामर्श दिया । अमृतसर सम्मेलन में भी कांग्रेस ने इसी बात का समर्थन किया । देश ने इसको स्वीकार कर लिया लेकिन क्रियान्वित करते समय कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई अतः इसको क्रियान्वित नहीं किया गया ।

उन वर्गों ने जो आपस में महत्वपूर्ण मामलों के बारेमें परस्पर मतभेद रखते थे मिलकर इस बात पर विचार किया और बम्बई राज्य को द्विभाषी राज्य बनाना स्वीकार कर लिया। उस समय यह समझा गया कि चलो अच्छा हुआ इस से देश की समृद्धि होगी और लोग मिल जुल कर कार्य करेंगे । इस निर्णय तक पहुंचने में सभी ने साथ दिया सभी ने इस के बारे में प्रसन्नता प्रकट की । इस सिद्धान्त को उस समय चाहे सब ने पसन्द किया हो अथवा नहीं लेकिन इस दृष्टि से फार्मूला के रूप में स्वीकार कर लिया कि इस से बहुत बड़ा विवाद समाप्त हो जायेगा । गुजरात और महाराष्ट्र के नेताओं ने इस फार्मूला को स्वीकार किया । बम्बई में बहुत से महाराष्ट्रियों को यह स्वीकार नहीं था । गुजरात में भी एक वर्ग विशेष को यह मान्य नहीं था अतः वहां बहुत से झगड़े हुए ।

बम्बई राज्य केवल बन जाने के बाद, वहां के मुख्य मंत्री द्वारा कुछ दिनों तक शासन करने के बाद यह अनुभव किया गया कि दोनों की भावनाएं एक साथ नहीं मिल सकी हैं जो द्विभाषी राज्य के लिये नितान्त आवश्यक है । हालांकि मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि उन्हें गुजराती सभासदों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ ऐसी है जो कि दोनों को नहीं मिला पा रही है । अतः उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस पर फिर से विचार किया जाये । इसी आधार पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया ।

विदर्भ बनाने का प्रश्न भी उठाया गया है । लेकिन गृह मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई ९ सदस्यों की जो समिति बनाई गई थी उस ने इस को स्वीकार नहीं किया । हो सकता है कि इस समिति के निर्णय से सभी सहमत न हों । लेकिन मैं कहूंगा कि इस निर्णय से अधिकांश जनता सहमत है । सरकार ने भी इस निर्णय का समर्थन किया है । लेकिन अब भी कुछ लोगों को भ्रान्ति है । ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये ।

इस पर विचार करते समय हमारे सामने कई समस्यायें हैं जैसे, सीमा, वित्तीय प्रश्न, तथा गुजरात का यह दावा कि वह कमी वाला राज्य है, तथा अन्य बहुत सी बातें ।

यह शिकायत की गई है कि हमने कुछ सिद्धान्तों को नहीं अपनाया है । लेकिन यह बात गलत हैं । क्योंकि भट्टाचार्य समिति और बाद को श्री रंगा चारी ने इन प्रश्नों पर विचार किया और सुझाव दिये जो दोनों इकाइयों के नेताओं ने स्वीकार कर लिये । इसलिये यह कहना कि इस प्रबन्ध के पीछे कोई सिद्धान्त नहीं था, यह तो तदर्थ प्रबन्ध था, भूल होगी । यह ठीक है कि इस पर कुछ दिनों में ही विचार किया गया, इस पर विचार करने में सालों खर्च नहीं किये गये, लेकिन इसका

अभिप्राय यह नहीं है कि इस पर अच्छी तरह विचार नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि इस पर अच्छी तरह विचार किया गया है । बहुत से विवादास्पद दावों पर पूर्णतः विचार किया गया। एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ की सलाह मान ली गई और दोनों पक्षों के बीच एक करारनामा हो गया। मेरा निवेदन है कि सभा उस करारनामे की पुष्टि कर दे क्योंकि उसका अभिप्राय एकता और एकाधिकार है । अतः बम्बई विधान मंडल के नेता तथा उपनेता ने जो निर्णय किया है उसे स्वीकार करने के लिये मैं सिफारिश करता हूं। श्री गोरे का कहना है कि सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों को जो कमी वाले क्षेत्र हैं महाराष्ट्र पर थोपा जा रहा है। लेकिन यह बात नहीं है । इन क्षेत्रों को भारत सरकार बराबर आर्थिक सहायता दे रही है। अतः उनको कमी वाला क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है । बम्बई के वित्त मंत्री ने अपने भाषण. में कहा है कि ये दोनों राज्य १५० वर्ष तक आपस में साझेदार रहेंगे। ऐसी स्थिति में दोनों भागीदारों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे इस बात को देखें कि किसी राज्य विशेष को कोई हानि तो नहीं हो रही है। अब तक बम्बई का दोनों ने, अर्थात् महाराष्ट्र एवं गुजरात, लाभ उठाया है। लेकिन विभाजन के बाद यह लाभ समाप्त हो जायेगा । गुजरात वाले बम्बई चाहते थे लेकिन जब यह देखा कि बम्बई के महाराष्ट्र में जाने से महाराष्ट्र वाले सन्तुष्ट हो जाते हैं और इससे आपसी कटुता समाप्त हो जाती है तो वे इस बात से सहमत हो गये कि बम्बई महाराष्ट्र में रहे। लेकिन इसका परिणाम यह होगा कि महाराष्ट्र को ६ करोड़ रुपये का घाटा रहेगा।

गुजरात में अब १७ जिले हैं। कच्छ और सौराष्ट्र पिछड़े क्षेत्र हैं। गुजरात में आदिवासियों तथा हरिजनों की भी काफ़ी संख्या है । गुजरात के उत्तर में बानसकंथा भी बड़ा पिछड़ा है । मध्य गुजरात और कैम्बे का क्षेत्र का इतना पिछड़ा है कि वहां न तो सड़कें हैं, न सिंचाई की योजनाएं, और न खनिज विकास के साधन। हमने गुजरात की राजधानी अहमदाबाद न बनाकर साबरमती के निकट बनाने का निश्चय किया है।

इस प्रकार वास्तव में देखा जाय तो कच्छ तथा सौराष्ट्र के क्षेत्र बम्बई के ऊपर कोई भार नहीं हैं। गुजरात राज्य के बनते ही यह संभव नहीं है कि हम वहां के निवासियों पर ५ करोड़ अथवा ६ करोड़ रुपये के कर लगायें । बम्बई राज्य के विभाजन के लिये जैसा कि तै किया गया गुजरात ने सभी कुछ सहन किया। हालांकि गुजरात वाले जानते थे कि उन्हें यह महंगा पड़ेगा।

आशा है कि बम्बई के स्तर पर के बारे में ६ सदस्यों की समिति की सिफारिशों को माना जायेगा। यही बात बम्बई के मुख्य मंत्री ने कही है और इसी का समर्थन श्री पंत जी ने किया है ।

विदर्भ में दो परस्पर विरोधी बातें चल रही हैं लेकिन इसके होते हुए भी विदर्भ निवासियों से मैं निवेदन करूंगा कि इस समय वे इस निर्णय को मानकर इसे क्रियान्वित करने का एक अवसर दें। सारा मराठी भाषी क्षेत्र मिला कर एक स्थान पर रख दिया गया है। महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र का सुधार करने के लिये बम्बई के पास काफी अतिरिक्त राशि है। अतः इसका परीक्षन इस दृष्टि से किया जाये कि इसे सफलता मिल जाये।

कच्छ की जनता ने वहां की समस्याओं के बारे में एक अभ्यावेदन गृहमंत्री को दिया है । उनके इस अभ्यावेदन का आधार अपना है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी इस पर दृष्टि इस से विचार किया था कि कच्छ का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है । अब इस क्षेत्र के बम्बई में जाने का अभिप्राय यह नहीं कि केन्द्र अपना दायित्व हटा लेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस स्थिति पर विचार किया था और कहा था कि बम्बई तथा केन्द्रीय सरकार निरंतर इसके लिये कुछ न कुछ करते रहेंगे। योजना आयोग ने भी इसी विचार का समर्थन किया। पहली संयुक्त समिति ने भी यही

[श्री ब० गो० मेहता]

निर्णय किया था । गुजरात में अनुसूचित जातियां एवं आदिम जातियां हैं और वे वहीं बनी रहेंगी । फिर यह समस्या तो सम्पूर्ण राष्ट्र की है कि सभी पिछड़े वर्गों की उन्नति कर के उन्हें उन्नति शील वर्गों के समकक्ष लाया जाये । इस दृष्टि से ही गुजरात के बारे में विचार किया जाना चाहिये ।

आशा है कि इस प्रस्ताव को सर्व सम्मिति से स्वीकार किया जायेगा ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर): आज गुजरात की राजनीति में गुजरात को ही महत्व देने की भावना बढ़ गई है और इसी कारण हमें जनता की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का पता नहीं चलता । इस राजनीति की रूप रेखा के आधार पर ही वहां वाले जनता की लोक तंत्रीय भावनाओं को नहीं समझते ।

मैं समझता हू कि राज्यों के पुनर्गठन के बारे में अंतिम निर्णय हो गया है । मेरा विचार है कि हमारे देश के भाग्य विधाताओं ने इस समस्या को विशेष महत्व नहीं दिया । इस बारे में न तो उन्होंने कोई सिद्धान्त बनाया और न कोई योजना ही तैयार की कि किस प्रकार इसको क्रियान्वित किया जायेगा । भाषायी आधार पर सब से पहला निर्णय आंध्र प्रदेश के बारे में किया गया । भाषाई आधार पर किये जाने वाले निर्णय की कमियों को मैं अच्छी तरह जानता हूं । मेरा निवेदन है कि भाषा के आधार पर देश का विभाजन करने से पूर्व इस बात का भी निर्णय किया जाये कि देश की एकता और उसका हित अक्षुण्ण रहे।

कांग्रेस की उच्च सता ने इस समस्या पर कभी भी गम्भीरता से विचार नहीं किया और न इस के बारे में कोई सिद्धान्त हो बनाया । जनता की भावना यह है कि कांग्रेस की उच्च सता ने इस बारे में बड़ा भारी अन्याय किया है ।

मैंने इस विधेयक को देखा है और दो राज्य बनाने के लिये उन्होंने जो साहसिक पग उठाया है उस के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं ।

अम्बरगांव के बारे में तदर्थ निर्णय कर लिये गये हैं । इस में कोई सिद्धान्त की बात नहीं है । कभी कभी झूंठी अफवाहों का उपयोग किया जाता है । आठ ग्राम पंचायतों में से जो कि नामनिनिर्देशित हैं केवल चार पंचायतें गुजरात बनाने के पक्ष में हैं । डांग को गुजरात में रखने का निर्णय किया गया है । यह डांग का क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है । इसलिये इनका हित सभी लोगों के लिये विशेष चिंता की बात है । इसकी बड़ी विचित्र स्थिति है । अगर इस के बारे में कुछ अंतिम निर्णय नहीं हुआ है तो आदिम जातियों के हित की दृष्टि से क्यों न इसे केन्द्र के आधीन रखा जाये । बाद को फिर निर्णय किया जा सकता है । इस क्षेत्र में बड़े बड़े जंगलात हैं जिनका प्रतिवर्ष क्षयण हो रहा है । फिर क्यों न इन जंगलों को जो राष्ट्रीय सम्पत्ति है तथा वहां रहने वालों को केन्द्र के के अधीन रखा जाये । इसलिये मेरा निवेदन है कि डांग के बारे में कोई निर्णय जल्दी में नहीं किया जाना चाहिये ।

सीमा का निर्णय करते समय ऐसे स्थानों को नहीं छोड़ना चाहिये जहां के लोग जो असन्तुष्ट रह जायें क्योंकि बाद को चल कर वे कष्ट ही देते हैं । इसलिए विभाजन के समय कोई सिद्धान्त बना लेना चाहिये ,और उसी आधार पर निर्णय किया जाना चाहिये । इस में कोई

---

†मूल अंग्रेजी में

लाभ नहीं है कि जब झगड़े हो तभी आप उस क्षेत्र विशेष के बारे में कोई निर्णय करें। जैसा कि आप अब तक करते रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** चूंकि इस समय केवल बम्बई और गुजरात की चर्चा हो रही है इसलिये अन्य राज्यों से सम्बन्धित प्रश्नों को यहां न उठाया जाये। अगर किसी सदस्य ने ऐसी बातों का उल्लेख कर भी दिया है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाये।

†**श्री खाडिलकर** : उकई के बारे में जो निर्णय किया गया है वह संविधान की भावना के प्रतिकूल है। उकई परियोजना में १५६ गांवों में से ९७ गांव पानी में डूब जाते हैं। अगर पानी में डूबने वाले गावों के बारे में इस प्रकार का निर्णय किया गया तो बहुत बुरा पूर्वोदाहरण बन जायेगा। सब से पहले उकई परियोजना को सिंचाई परियोजना के रूप में लिया गया था। अब कहा जाता है कि यह विद्युत् परियोजना होगी। विद्युत् परियोजना बनने से पानी एक ऐसे स्थान पर भरा रहेगा जहां कि इसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिये गृहमंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इस पर फिर से विचार करें। वरना इसी प्रकार की मांग रिहन्द परियोजना आदि के बारे में की जायेगी।

दोनों राज्यों के हित के लिये पहले दो वर्षों के हेतु जो वित्तीय प्रबन्ध किये गये हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। नई राजधानी बनाने के लिये धन की भी व्यवस्था की गई है जो अच्छी बात है। लेकिन एक बात यह है कि आप किस प्रकार यह उपबन्ध कर सकते हैं कि अमुक राज्य दो वर्ष बाद भी कमी वाला क्षेत्र रहेगा। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि पांच वर्ष में एक वित्त आयोग की स्थापना की जायेगी जो धन सम्बन्धी सभी बातों पर विचार करेगा।

सिद्धान्त के रूप में यहां मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस करार को लागू करने से भी आप संविधान की भावना का हनन कर रहे हैं। किसी करार को करते समय गुजरात को संविधान के प्रति कुछ अधिक सम्मान प्रदर्शित करना चाहिये था। लेकिन उस ने ऐसा नहीं किया।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यदि उस करार का आप यहां समर्थन करेंगे जो जनता की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता और जो संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध है तो यह निश्चय है कि एक दिन जनता उस करार को चुनौती देगी। यही खतरा इस करार के बारे में है। मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि कोई भी राज्य कमी वाला राज्य न हो—कमी वाले राज्य तो अवश्य हों लेकिन सभी बराबर बराबर हों।

विभाजन से एक चीज जो हम खो रहे हैं उसका उल्लेख भी मैं कर देना चाहता हूं। बम्बई में लगे हुए मूलधन का ९५ प्रतिशत जो धन वाणिज्यिक और औद्योगिक संस्थापनों में लगा हुआ है वह गैर महाराष्ट्र वालों का है और उसमें भी अधिक संख्या गुजरातियों की है। वहां की प्रत्येक दुकान, कारखाना, मिल, बड़े तथा छोटे उपक्रम में गुजरातियों का पैसा लगा हुआ है। लेकिन मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके धन को कोई जब्त नहीं करना चाहता अथवा उन संस्थानों से उन्हें निकालना नहीं चाहता। इसलिए उनके हित में यह अच्छी बात नहीं है कि वे यह तर्क उठायें। अब भी उनके लिए काफी क्षेत्र है वह बम्बई आकर अपना काम बढ़ायें और उद्योगों की स्थापना करें। उनमें ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए मानो हम कोई विदेशी राज्य की सत्ता हैं। वह आयें और हमारे साथ मिल कर काम करें।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खाडिलकर]

समिति तथा महागुजरात परिषद दोनों ने ही अपनी अपनी शक्तियों का परिचय कुछ अवसरों पर दिया है। उनका विकास आपसी तनातनी के आधार पर हुआ। जब मूल बात अर्थात् विभाजन की बात ही समाप्त हो गई है तो इनका आधार भी वह नहीं रहना चाहिए। महाराष्ट्र और गुजरात में अब इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये कि इन क्षेत्रों में स्वस्थ लोकतंत्रीय जीवन स्थापित किया जाये और एकता का एक नया आधार ढूंढना चाहिये। अब इसके लिये उपयुक्त समय आ गया है।

श्रीमती जयाबेन शाह (गिरनार) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में इस विषय पर चार साल के बाद फिर चर्चा हो रही है। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इस बिल के बारे में ठीक तरह से कह दिया है और माननीय बलवन्त भाई जी ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। तो मुझे इसके बारे में कुछ खास कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमारे दिल में ऐसा हो रहा है कि जब हमारी स्टेट्स का सेपेरेशन हो रहा है तो हम प्रेम से अलग हों। लेकिन हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उससे मालूम होता है कि वह अभी तक सही रास्ते पर नहीं आए हैं और सही रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं। जो बात है उसको यहां पर उलट कर बताया जाता है और सारे सदन को चक्कर में डालने का प्रयत्न किया जाता है।

कल माननीय डांगे साहब ने बताया कि गत समय जो निर्णय इस सदन ने लिया था उसमें कुछ कमर्शियल और कैपीटलिस्ट इंटेरेस्ट ने विजय पायी। यह जाहिर बात है कि वह निर्णय किसने किया था। यह निर्णय तो सारे सदन के अगुए सदस्यों ने और पार्टी लीडर्स ने मिलकर किया था, तो वहां पर कैपीटलिस्ट और कमर्शियल इंटरेस्ट कहां से आ गए, उनको तो पता भी नहीं था जब कि यहां पर वह निर्णय स्वीकार किया गया। गुजरात वाले तो सोए हुए थे और यहां पर वह निर्णय रातों रात पलट दिया गया था। तो मैं समझती हूं कि इस प्रकार बातों को ट्विस्ट करने से कोई फायदा नहीं है।

गोरे साहब ने बतलाया कि हम को तो पहले से ही मंजूर नहीं था। लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि उसका सदन को कैसे पता चल सकता। माननीय अशोक मेहता जो उनके लीडर थे उन्होंने इनीशिएटिव लेकर सारे सदन के सदस्यों का सिगनेचर लेकर माननीय पंडित जी को दिया था। जब उनके लीडर ने यह किया तो उसका वरडिक्ट उनके फालोअर्स पर बाइंडिंग था। लेकिन अब पता चला कि वह तो लीडर विदाउट फालोइंग हैं महाराष्ट्र में।

जब यहां चर्चा हो रही थी तो हम सौराष्ट्र के लोग भी अपने यहां बैठ कर इस पर चर्चा करते थे और जब यहां से सन्देश गया कि निर्णय पलट दिया गया है तो हमारे बीच ऐसी चर्चा हुई कि यह बहुत बड़ा स्टेट होने से हमको एडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टी होगी, तो ऐसा होना अच्छा नहीं है। मगर बतलाया गया कि यह देश की सालीडैरिटी के लिए है, यूनिटी के लिए है, नैशनलिज्म के लिए है, जैसा कि अभी बलवन्त भाई जी ने बतलाया, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। इस निर्णय पर गुजरात के कुछ लोग नाराज हुए और भाई भाई में इस विषय पर झगड़ा चल पड़ा।

फिर भी हमने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। यह हमारा कुसूर है या किसी और का, यह तो तवारीख को तय करना पड़ेगा। मैं तो समझती हूं कि जो निर्णय यह सदन करता है या इसके सदस्य करते हैं उसकी पूरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसको पूरा गौरव दिया जाना चाहिए। हम गुजरात वालों ने यह निर्णय होने के बाद उसका विरोध नहीं किया, उसके प्रति इनडिसिप्लिन नहीं दिखाया। और हम चले और वह स्टेट कैसे आगे बढ़े और कैसे सफल हो इसके तरीके हम

ढूंढने लगे। मगर मुझे कहने में थोड़ा संकोच भी होता है और दुःख भी होता है कि जो निर्णय इस पार्लियामेंट ने लिया पार्लियामेंट के सदस्यों ने लिया और जिसमें हमारे लीडर शामिल थे, कायम करने की सब ने पूरी कोशिश नहीं की। किसी ने तो ऐसा कहा कि लोकमत में कुछ भी अन्तिम नहीं है। और ऐसा भी कहा गया कि भूगोल की दृष्टि से बम्बई महाराष्ट्र का अंग है। सही है। यह कोई नई बात नहीं है। मगर एक ओर हम चाहते थे कि बाईलिंग्वल स्टेट चले और दूसरी ओर ऐसा बोलते रहे जिससे जनता के दिल में पूरा विश्वास नहीं हुआ। जब हमारे देश में लिंग्विस्टिक फैनेटिसिज्म चल रहा है तो इस मामले में सहयोग होना जरूरी था। तो हमने इस बात को समझते हुए इसको मंजूर किया। उन्होंने भी इस निर्णय को स्वीकार किया था, वह तो नेशनल इश्यू बन गया था। उसमें सभी शामिल थे अब वह उसमें से अलग नहीं हो सकते।

यहां पर कुछ पैसे की और बाउंडरी की बात कही गई है। मैं कहना चाहती थी कि ऐसे मौके पर जब कि हम अलग हो रहे हैं, अगर हम इन झगड़ों में न पड़ते तो अच्छा होता। मगर ऐसा होता है कि अगर कोई नहीं बोलता तो उसकी बात का किसी को पता नहीं लगता। मैं गोरे साहब का बहुत आदर करती हूं। मैं चाहती थी कि वह इन छोटी बातों को न उठाएं। मगर उन्होंने डांग की और उमरगांव की छोटी मोटी बातें लेकर खड़ी कीं। उन दिनों जब वह फैसला करना चाहते थे और चाहते थे कि बम्बई और गुजरात में कम्प्रोमाइज हो जाए और हम बम्बई को छोड़ दें, उस समय तो जो आज हालत है उससे भी वह आगे जाना चाहते थे, आज तो ४५ करोड़ में भी नाराज हैं। और जहां तक बाउंडरी का सवाल है उस समय वह खानदेश के जो ६ ताल्लुक हैं उनके बारे में भी वह सोचना चाहते थे। पर उसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। मगर हमारे याज्ञिक साहब के साथ इस बारे में वह बातें कर रहे थे, उनको ज्यादा पता होगा लेकिन अब वह आसानी से उन बातों को भूल सकते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि ये बातें कहां तक सही हैं।

मैं आपसे कहना चाहती हूं कि बम्बई में किसी ने यहां तक कहा कि गुजरात के लोग तो शाईलाक हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि कौन शाईलाक है।

अब प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। उनके लिये जब फायदा होता है तो कहते हैं कि यह प्रिंसिपल की बात है, और जब फायदा नहीं होता तो उसमें प्रिंसिपल नहीं होता। मैं समझती हूं कि ये सारी बातें गलत हैं और इस तरह सदन को भ्रम में डालना ठीक नहीं है। माननीय डांगे जी कह रहे हैं कि हम तो प्रिंसिपल पर चल रहे हैं। बाउंडरी के लिये उनके दिल में भी दुःख हो रहा है और न जाने क्या क्या वह छोटे मोटे गांवों की बातें कर रहे हैं उसकी उनके मन में बड़ी चिन्ता है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि चीन ने हमारे देश के इतने बड़े भाग पर कब्जा कर लिया है पर उसके बारे में उनके मन में इतनी चिन्ता नहीं है जितनी कि उमरगांव के लिये होती है।

यहां पर उकाई डैम का जिक्र किया गया। मैं तो इस झगड़े की बात भी नहीं करना चाहती लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने यहां ये बातें कीं। उन्होंने जान बूझ कर ये बात यहां उठायी मगर असल में बात यह है कि जो गांव डूबने वाले हैं उनका कैसे रिहैबिलिटेशन हो उसके एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीज्योर कैसे जल्दी से तै हो। उनके लिये दो मील की पट्टी मांगी गई है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय होम मिनिस्टर साहब को बतलाना चाहती हूं कि जब दो माइल की पट्टी देने के बारे में तय किया गया था, तो उसमें जितने गांव आते हैं, उनमें से कई गांव निकाल दिये गये हैं। यह बहुत छोटी बातें हैं, इसलिए मैं इनके बारे में कुछ अधिक नहीं कहना चाहती हूं। लेकिन जब कुछ माननीय सदस्य इनका जिक्र करने पर तुल गए हैं तो ऐसी स्थिति में मेरा यह फर्ज है कि मैं भी अपना दृष्टिकोण यहां पर रखूं।

[श्रीमती जयाबेन शाह]

जहां तक स्टेट के नाम का सम्बन्ध है, मैं पहले से कह दूं कि महाराष्ट्र नाम से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, कोई एतराज नहीं है लेकिन यदि इस विषय पर आबजेक्टिव तौर पर विचार किया जाये, तो प्रश्न उठता है कि क्या हम हर एक प्राविंस को राष्ट्र—नेशन— कहना चाहते हैं। नेशन तो एक ही है और वह है भारत देश हमारा। यदि महाराष्ट्र बने, गुर्जर राष्ट्र बने—जैसा कि पहले गुजरात को कहा जाता था— बंग राष्ट्र बने, कलिंग राष्ट्र बने, तो फिर बाकी क्या रह जाता है। यदि इन फ़ीलिंग्ज़ को हम हम छोड़ते नहीं हैं और पास्ट हिस्ट्री की ऐसी बातों को हम अपने दिमाग़ से निकाल ते नहीं तो फिर हमारे देश की एकता कैसे कायम रह सकती है? लेकिन इस नाम पर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है और मैं इसको फुल्ली एनडार्स करती हूं। इसके साथ ही साथ हमें यह देखना चाहिए कि पहले हमारा देश है और फिर प्रदेश आता है।

जहां तक फिनान्शियल एडजस्टमेंट्स का सम्बन्ध है, आप चाहते हैं कि हम बम्बई असेम्बली की डिबेट्स पर न बोलें। इस बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर हमने उनका ज़िक्र नहीं करना है, तो फिर वे डिबेट्स हम लोगों में क्यों बांटी गई है। उन दिनों मैं बम्बई में थी और मैंने उस डिबेट्स को बहुत ग़ौर से सुना। इस सम्बन्ध में बहुत बड़े बड़े लोगों, लीडर्ज़ की बातें सुनने के बाद मैं तो यह समझती हूं कि वे चाहते हैं कि हम नंगे पैर बम्बई से चले जायें, तो उनको बहुत खुशी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या उनको सलाह दे रही हैं कि वे सब कुछ भूल जायें, तो फिर वह खुद ऐसी बात क्यों कहती हैं?

श्रीमती जयाबेन शाह : ठीक है। वे यह कहना चाहते हैं कि बम्बई पर हमारा कोई हक ही नहीं है। यह बात तो इतिहास की है, हमारी अपनी नहीं है। ऐसी बातें करने से क्या होने वाला है कि इतना नहीं देना, उतना नहीं देना। चाहेहमें वह भी न दिया जाये। जो कुछ हमें दिया गया है वह हमारा हक है अगर हमारा हक नहीं होता है, तो जो कुछ हमें दिया गया है, चाहे उसे भी वापस ले लिया जाये। जो हम मांगते ह, वह अपना हक मांगते हैं और हम कोई डोनेशन या भिक्षा नहीं मांग रहे हैं।

आखिर में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि अब जब कि बम्बई राज्य का विभाजन हो रहा है, तो मैं चाहती हूं कि हम सब बातें भूल जायें। ऐसी कई बातें भूल जाने से फायदा होता हैं। मैं भी उनको भूलना चाहती हूं। आज हमारे दिलों में ऐसी बातें नहीं हैं। जो बातें यहां पर कही गई हैं, मैं तो उनका जवाब देना चाहती थी, क्योंकि सदन में कहीं यह न समझ लिया जाये कि उनका जवाब देने वाला कोई नहीं है और इसलिए वे सही हैं। इसलिए मैंने उनका ज़िक्र किया है। अब यही उचित है कि हम भाई भाई और अच्छे पड़ोसी बन कर रहें और भविष्य में एक दूसरे की मदद करें।

माननीय त्यागी को श्री बलवन्तराय जी ने बताया है कि गुजरात की क्या स्थिति है। बहुत से लोग हम को कहते हैं कि गुजरात तो धनी है, वह पिछड़ा हुआ नहीं है, इसलिये उसको सहायता की क्या जरूरत है। यह भी कहा जाता है कि वहां पर चीनी—मिलों वाले हैं। ऐसे कुछ लोग हमारे यहां हैं। यह नहीं कि नहीं हैं। वे बड़े देश-प्रेमी और साहसिक भी हैं। उनका कांट्रीब्यूशन रहा है, है, और आगे भी रहेगा। मगर उन को देख कर यह तय न कर लिया जाये कि गुजरात धनी है। मैं आप को बताना चाहती हूं कि हमारे यहां २६ लाख तो आदिवासी हैं और १५ लाख हरिजन हैं, जिनका परसेंटेज आबादी में सारे देश में सबसे अधिक है। तब भी कहा जाता है कि वे धनी हैं, उनको पैसा देने की क्या

ज़रूरत है । मैं तो यह कहती हूं कि उनका शुभाशिष हो और वे धनी हो जायें, तो फिर हमको पैसे की ज़रूरत नहीं रहेगी । हमारे दिल में तो यही कामनायें हैं कि हम उनका कल्याण करें, जो हमारे पिछड़े हुए लोग हैं । जैसा कि बापू ने बतलाया था, हमारे सामने कौन है । दरिद्र-नारायण ही हमारा इष्टदेव है । गुजरात में बापू पैदा हुए थे । इसलिये हम समझते हैं कि उनकी ओर हमारा ख़ास ऋण है । हम चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट बने ग़रीबों, पिछड़े हुए आदिवासियों और हरिजनों की ओर निगाह रखे ।

श्री क० उ० परमार (अहमदाबाद-रक्षित-अनुसूचित जातियां): गुजरात में हरिजनों की जो दशा है, वह सारे भारत में नहीं है । उनके लिये आपने क्या कदम उठाया है ? मैं गुजरात से आता हूं और मैं यह जानता हूं ।

श्रीमती जयाबेन शाह : इसी लिये तो हम यह कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यही तो चाह रहे हैं कि स्टेट होगी, तो वे कदम उठायेंगे । यही तो वे कह रहे हैं ।

श्रीमती जयाबेन शाह : दरिद्र-नारायण हमारा इष्टदेव हो । उसकी याद इस मौके पर गुजरात के दिल में भर जाती है । हम चाहते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसके काबिल हों और हम उसकी ख़िदमत कर सकें, इतनी ताकत और शक्ति हम को ईश्वर दें । आज हमारे दिल में कोई और बात नहीं है । हम सब भूल रहे हैं। हम एक्सपेंशनिस्ट भी नहीं हैं कि हम औरों का मुल्क ले लेना चाहते हैं । हम अपनी आबादी आर्टिफिशियली बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं । जो कुछ हमारा हो, उसी से हमें काफ़ी सन्तोष है । इतना ही मैं कहना चाहती हूं और आपने मुझे जो समय दिया है, उसके लिये आप को धन्यवाद देती हूं ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): मैं संयुक्त समिति द्वारा इस विधेयक पर विचार किये जाने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं । पिछले कुछ समय में इस समस्या पर काफी विवाद हो चुका है । कोई समय ऐसा भी आया था कि दोनों पक्षों में काफी खिंचाव भी पैदा हो गया था । आज सारे देश को इस बात की प्रसन्नता है कि इस समस्या का हल निकाल लिया गया है । दोनों ही राज्य बहुत अच्छे हैं और दोनों के नेता बहुत योग्य हैं । मुझे पूरी आशा है कि दोनों राज्य सारे देश के लिये आदर्श प्रस्तुत करेंगे । प्रशासन चलाने वाले बहुत ही अच्छे व्यक्ति उनके पास हैं । दोनों की आर्थिक स्थिति भी काफी सुधर जायेगी । दोनों ने पिछली घटनाओं से काफी शिक्षा ग्रहण की है ।

मैं तो आरम्भ से ही भाषावार राज्यों के निर्माण के विरुद्ध रहा हूं । हमें वे दिन याद हैं, जब महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने देश भर में एकता की एक भारी लहर पैदा कर दी थी । भारत और ५०० रियासतें एक झण्डे तले एकत्रित हो गये थे । परन्तु आन्ध्र के श्री रामूलू जी की भूख हड़ताल और अन्त में उनकी मृत्यु से मामला पुनः देश में भड़क गया । मुझे विश्वास है कि यदि हमने राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग का डट कर मुकाबला किया होता तो शायद हमें अपनी आंखों से इन परिस्थितियों को न देखना पड़ता, जो कि हमने देखीं । अब सरकार को सचेत होना चाहिये और इस विभाजन कार्य को सदा के लिये समाप्त कर देना चाहिये । यदि हमने ऐसा न किया तो हमारा राष्ट्रीय विकास का कार्य रुक जायेगा । अतः संविधान में यह व्यवस्था कर देनी चाहिये कि अब देश में राज्यों का निर्माण समुचित ढंग से हो चुका है इसलिये आगे और किसी राज्य का निर्माण नहीं होगा । ऐसा न हुआ तो कभी भी बहुमत के निश्चय से सब कुछ उथल पुथल किया जा सकेगा । आने वाले लोग यह कहेंगे कि हम सब स्थिति का ठीक ढंग से मुकाबला नहीं कर सके ।

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री त्यागी]

भाषा का नारा लगा कर हमें देश की एकता को खतरे में नहीं डालना चाहिये। हमें तो धर्म, जाति और सम्प्रदाय के भी सब भेदभाव दूर कर देने चाहियें।

इस समय देश की सारी शक्ति राज्यों में निहित है। वही जनता से सीधा सम्पर्क रखते हैं। यह बड़ा ही आवश्यक है कि केन्द्र को शक्तिशाली बनाया जाय ताकि कभी भी राष्ट्र की एकता को कोई खतरा हो तो उसका मुकाबला किया जा सके। मेरा यह मतलब नहीं कि राज्यों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाये। मेरा कहना है कि राज्यों और केन्द्र के सम्बन्धों को इस प्रकार स्थापित किया जाना चाहिये कि सब की यही इच्छा रहे कि देश में एकता रहे।

विधेयक अच्छा है। इसमें एक विवादास्पद समस्या को हल किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही दृष्टिकोण से इस पर विचार करेगा। परन्तु मेरा विचार है कि बहुमत इसका स्वागत ही करेगा। गुजरात से बम्बई का छिन जाना दुःख की बात है। बम्बई नगर में गुजरातियों की विशेष स्थिति चली आई है। परन्तु इस पर भी कुछ चिन्ता नहीं होनी चाहिये। बम्बई में तो पंजाबी बंगाली सभी तरह के लोग रहते हैं और सभी प्रेम और मेल जोल से अपना अपना व्यवसाय करते हैं। इससे गुजरातियों की व्यापारिक गतिविधियों पर कोई आघात नहीं होगा। मुझे यह भी विश्वास है कि यह विधेयक इस सदन में एक मत से पारित होगा और हम सब की शुभ कामनायें गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों के साथ होगी। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री शिवराज** (चिंगलपट-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा इस मामले में यही कहना है कि 'अन्त भला, सो भला।' इसके लिये मैं गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपनी लड़ाई बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी। शासक दल को भी मेरा मुबारकबाद है कि आखिर उन्होंने जनमत के आगे नतमस्तक होकर यह बात मान ली। यह अच्छी लोकतन्त्रीय परम्परा है जो कि देश में निर्माण की गयी है। और अन्त में मेरा गृहकार्य मन्त्री को भी मुबारकबाद है क्योंकि उनकी योग्यता और अनुभव से ही सारा काम अच्छे ढंग से होना सम्भव हो सका। उनके प्रयत्नों से ही महाराष्ट्र और गुजरात के दोनों पक्ष किसी एक निश्चय पर पहुंच सकें। मेरे उनसे मौलिक मतभेद है, परन्तु इस मामले में मैं और मेरा दल उनकी सराहना करने में पीछे नहीं रह सकता।

कुछ मामले जो दोनों पक्षों के माननीय मित्रों ने प्रस्तुत किये हैं, उस पर संयुक्त समिति विचार करेगी और पूरा प्रयत्न करके उन्हें हल करने का प्रयत्न किया जायेगा। डा० अणे ने विदर्भ की बात की है, वह देश के पुराने और उच्चकोटि के नेता रहे हैं। मुझे उनकी मांग से पूर्ण सहानुभूति है, परन्तु आज समय की दिशा कुछ और ही है। उनकी मांग को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं। मैं श्री त्यागी की इस बात का समर्थन करता हूं कि अब देश में भाषा को राजनीतिक कार्यों के लिये प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों के बारे में विवाद है, यदि वे पिछड़े हुए हैं तो उन्हें महाराष्ट्र को दे देना चाहिये, क्योंकि हमारे व्यापारी गुजराती भाई उनकी देख रेख ठीक ढंग से न कर सकेंगे।

इन शब्दों से मैं विधेयक को संयुक्त समिति के सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री वाल्वी** (पश्चिम खान देश, रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : विधेयक के सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि यह आदिवासी क्षेत्रों के लिये बहुत हानिकारक है। आदिवासी क्षेत्रों को दोनों

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों में सम्मिलित करते समय किसी सिद्धान्त को समक्ष नहीं रखा गया । उकाई परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप जो आदिवासी लोग बेघर हो जायेंगे, उनके पुनर्वास का भी विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है । नर्मदा परियोजना की बांट के कारण जो स्थिति पैदा होगी, उससे भी आदिवासियों के लिये कई एक जटिल समस्यायें पैदा हो जायेंगी । आदिवासी लोग देश के बड़े कमजोर अंग के समान है, अतः उनकी समस्याओं की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये । संकीर्णता के दृष्टिकोण से इस मामले को नहीं देखा जाना चाहिये । उनकी इच्छा के बगैर उनके क्षेत्रों के बारे में कोई निर्णय नहीं किया जाना चाहिये ।

मेरा यह मत है कि राजनीतिक कारणों से आदिवासी क्षेत्रों का विभाजन नहीं होना चाहिये । यदि ऐसा हुआ तो आदिवासियों की तो राजनीतिक मृत्यु हो जायेगी । आदिवासियों के क्षेत्रों का प्रशासन सीधा केन्द्र के हाथ में रहना चाहिये ।

†**श्री महागांवकर** (कोल्हापुर) : कुछ कहने से पूर्व गुजरात और महाराष्ट्र के लिए बलिदान करने वालों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । इच्छा है कि अन्त में बम्बई राज्य को विभाजित करने का निर्णय हो गया तथा तत्सम्बन्धी विधेयक सभा के समक्ष है । यह भी सराहनीय है कि नये राज्य के लिए 'महाराष्ट्र' नाम का सुझाव बम्बई विधान मंडल ने दे दिया है । अब संयुक्त समिति इस पर विचार करेगी । यह सब कुछ होते हुए भी मैं दो बातों का विरोधी हूं । एक यह कि कुछ मराठी बोलने वाले क्षेत्रों को गुजरात में रखा गया है और दूसरा यह कि महाराष्ट्र द्वारा ५० करोड़ देने की बात भी कही गयी है । यह दोनों बातें महाराष्ट्र के साथ अन्याय है । ऐसा करते हुए किसी सिद्धान्त को सामने नहीं रखा गया । जब हम भाइयों की तरह अलग हो रहे हैं तो फिर यह सौदा-बाजी क्यों की जा रही है । छोटी-छोटी चीजों को भी जनसंख्या के आधार पर बांटा जा रहा है ।

मैं यह चाहता हूं कि क्षेत्रों का विभाजन करते समय किसी सिद्धान्त को तो सामने रखा जाना चाहिए । मुझे यह बात भी समझ में नहीं आई कि पाटस्कर सिद्धान्त को इस मामले में क्यों नहीं अपनाया गया ? सारा मामला शीघ्रता से हल करने का प्रयत्न किया है । महाराष्ट्र को कुछ दिया नहीं गया, उससे तो केवल छीनने का ही प्रयत्न किया गया है । गृह कार्य मंत्री महोदय को भी यह बात देखनी चाहिए कि हमारे साथ कितना अत्याचार हो रहा है ।

मुझे इस पर भी खेद है कि डा० अणे जैसे मित्र विदर्भ की वकालत करते हुए हम पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं । वास्तविकता यह है कि वह स्वयं साम्प्रदायिक लोगों के हाथों में खेलते रहे हैं । यद्यपि मुझे बहुत प्रसन्नता नहीं है फिर भी मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि संयुक्त महाराष्ट्र समिति जिस लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रही थी, वह अन्त में सफल हो गया । यद्यपि कुछ मराठी बोलने वाले क्षेत्रों को गुजरात में रखा गया है, परन्तु हम अपने गुजराती मित्रों को यह बता देना चाहते हैं कि हमें गुजरात का एक गांव भी नहीं चाहिए । गृह कार्य मंत्री महोदय से भी मेरा यही निवेदन है कि सभी गुजराती बोलने वाले क्षेत्र गुजरात को और मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र को दिये जाने चाहिएं ।

†**स्वामी रामानन्द तीर्थ** (औरंगाबाद) : लोगों की इच्छानुसार बम्बई राज्य दो राज्यों में विभाजित हो रहा है । इस पर मुझे प्रसन्नता है । जिन लोगों ने इस लक्ष्य के लिए कार्य किया, वे हमारी मुबारकबाद के अधिकारी हैं । इस सम्बन्ध में मुझे बम्बई विधान सभा के उपनेता और मुख्य मंत्री को भी अपनी श्रद्धा के फल भेंट करने हैं । उनकी राजनीतिक सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से मामला शान्ति से हल हो गया ।

[स्वामी रामानन्द तीर्थ]

इस विधेयक के सम्बन्ध में, मैं इस बात पर जोर दूंगा कि विधेयक पर विचार करते हुए हमें इसे सामूहिक दृष्टि से देखना चाहिए। उसके विभिन्न अंगों को देखने से हो सकता है आपको कहीं स्थिति असन्तोषजनक दिखाई दे, परन्तु सामूहिक तौर पर यह इस समस्या का सब से उत्तम हल है। रचनात्मक दृष्टि से इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती थी। हमारे गृह-कार्य मंत्री ने देश की बहुत बड़ी उलझनें सुलझाई हैं। अब उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात की समस्या भी हल कर दी।

यह कहना कि गुजरात को जो कुछ दिया जा रहा है वह उचित नहीं मैं इसे नहीं मानता। बम्बई नगरी का निर्माण गुजरातियों ने अपने प्रयत्नों से किया है। उसको प्रयोग करने से उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हमें उदार दृष्टि से देखना चाहिए। यदि महाराष्ट्र के थोड़े बलिदान से भी गुजरात फलता फूलता है, तो हमें कोई दुःख नहीं होना चाहिए। गुजरात और महाराष्ट्र के महापुरुषों ने ही तो आधुनिक भारत का निर्माण किया है। आज के युग के सब से बड़े महापुरुष को गुजरात ने ही पैदा किया है। हमें बड़ी शांति और गम्भीरता से स्थिति को सम्भालना चाहिए। पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। सब को मिल कर भारत के गणराज्य के महान अंगों के रूप में गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार हमें लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठा कर अपने देश को वास्तविक अर्थों में एक समाजवादी देश बनाना चाहिए।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इस अवसर पर महाराष्ट्र और गुजरात के लिए शहीद हुए लोगों के प्रति अपनी तुच्छ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्हें सरकार की गलत नीतियों के कारण इस बड़े उद्देश्य के लिए शहीद हो जाना पड़ा। इस विधेयक में कुछ व्यवस्थाओं के बारे में हमारे महाराष्ट्री भाइयों को कुछ शिकायतें हैं। ये शिकायत हमेशा रह सकती हैं जब हम भाषावार प्रान्तों का निर्माण करते हैं। भाषावार प्रान्तों का निर्माण जहां कुछ उद्देश्यों को ले कर शुरू किया गया था जो कि एक सही कदम था, वहां आज अपने राष्ट्र में उसने कुछ ऐसी प्रवृति भी अख्त्यार की है जिससे के बड़े हितों को हानि पहुंच सकती है। लेकिन क्योंकि हमने इस सिद्धान्त को मान लिया इसलिए 'देर आयद दुरुस्त आयद' वाली बात यहां पर लागू होती है। मैं समझता हूं कि शुरू में ही अगर सरकार ने इस चीज़ को मान लिया होता तो इस तरह की जो शहादतें हुई हैं, लोगों को शहीद होना पड़ा है, वह न होना पड़ता। मैं इस अवसर पर चाहता हूं कि अगर देश में इस तरह की और भी कोई समस्यायें हों तो गवर्नमेंट को तथा देश की जनता को और कम से कम उन लोगों को जो कि देश के प्रबन्ध के लिए जिम्मेदार हैं, बिना ऐसी परिस्थितियों को निमंत्रण दिए हुए जिन में कि कभी भी शान्ति और व्यवस्था कायम करने के नाम पर नर-हत्या करनी पड़े, पहले ही से विचार कर लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस तरह के कार्य के लिए, भाषावार प्रान्तों के निर्माण के लिए, कोई इस तरह का आन्दोलन नहीं चलाया जाना चाहिये जिस से इस तरह की कोई समस्या पैदा हो, ला एंड आर्डर की समस्या पैदा हो। मैं यह भी मानता हूं कि जब भी इस समस्या को आगे रखा जाता है तो उससे हमारी दूसरी समस्यायें, हमारी रोटी कपड़े की समस्या, हमेशा पीछे हट जाया करती है और जनता का दिमाग, जनता से सम्बन्ध रखने वाली मुख्य समस्याओं से पीछे हट जाता है और यही एक समस्या उसके सामने रहती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि देश के दूसरे हिस्सों में भी यदि कहीं पर इस तरह की बात उठ रही हो तो हमें, इस बात का इंतिज़ार किये बिना कि जिस तरह कहीं पर एक व्यक्ति शहीद हुआ और उसकी वजह से आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ और सैंकड़ों लोग महाराष्ट्र और गुजरात में शहीद हुए, इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण होने जा रहा है, उन समस्याओं पर भी शान्तिपूर्वक ढंग से विचार कर लेना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि देश के जिन हिस्सों में भाषायी प्रश्न को ले कर नए प्रदेशों के निर्माण की कोई मांगें उठ रही है तो उन लोगों को जो कि इस तरह की मांगें उठा रहे हैं कोई ऐसा आन्दोलन खड़ा नहीं करना चाहिये जिससे शान्ति और व्यवस्था कायम रखने का प्रश्न उठे या इस तरह का प्रश्न उठे जिसमें किसी को शहीद होना पड़े। कारण और कार्य को देश की जनता के सामने रख कर हम उन समस्याओं को हल कर सकते हैं। इस वास्ते मैं दोनों पक्षों से, एक पक्ष तो वह है जिस के ऊपर जिम्मेदारी आती है देश के शासन को चलाने की और दूसरा पक्ष वह है जो कि इस तरह की मांग को उठाता है, नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वे कोई ऐसा कार्य न करें जिससे देश की जनता का ध्यान मुख्य समस्याओं से पीछे हटे। इसलिए यदि कोई इस तरह का प्रश्न है तो उस प्रश्न का समाधान किया जा सकता है, शान्तिपूर्ण तरीकों से मिल बैठ किया जा सकता है, एक दूसरे से बातचीत करके किया जा सकता है, आपस में आर्गू करके, दलीलें दे कर किया जा सकता है और आन्दोलन खड़ा करने को या धमकिया देने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये और जब इस किस्म की बातें होती हैं तो देश को नुक्सान पहुंचाता है। देश को नुक्सान पहुंचाने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्तव्य किसी एक सूबे से नहीं है।

अगर कोई भाषावार प्रान्त के निर्माण की मांग करता है तो मैं समझता हूं कि उससे उसकी देश-भक्ति पर कोई आंच नहीं आती है, उस पर अविश्वास करने का प्रश्न नहीं उठता है। इस देश के रहने वाले सभी लोगों का यह परम कर्त्तव्य है कि वे इस देश के प्रति वफादार हों, वे सभी देश की रक्षा करना चाहते हैं, देश को उठाना चाहते हैं और इसलिए इस प्रश्न को अगर कोई लोग उठाते हैं तो हमें यह नहीं देखना चाहिये कि कोई खास वर्ग के लोग इसे उठा रहे हैं, इसलिए हम उस पर विचार न करें। इस सम्बन्ध में मैं और कुछ विशेष कहना नहीं चाहता हूं और मैं यही आशा करता हूं कि भविष्य में कोई भी पक्ष, चाहे वह जनता का पक्ष हो, भले ही वह वक्त को सरकार का विरोधी रहा हो या हो, या सरकारी पक्ष हो, कोई ऐसा कदम नहीं उठायेगा। जिससे शान्ति और व्यवस्था भंग हो और सरकार को यह कहने का मौका मिले, यह बहाना बनाने का मौका मिले कि उसे शान्ति तथा व्यवस्था के नाम पर गोली चलानी पड़ रही है, हत्या लोगों को करनी पड़ रही है। हत्यायें सरकार को भी नहीं करनी चाहियें। इस तरह की परिस्थितियां जब पैदा हो जाती हैं तो दूसरे प्रश्न जो हैं, जो मुख्य प्रश्न हैं, उन पर से उनका ध्यान हट जाता है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा इत्यादि जो कि मुख्य प्रश्न हैं, उनसे ध्यान हट जाता है और जनता दूसरी तरफ बह जाती है। मैं समझता हूं कि सरकार भी इससे शिक्षा लेगी और वे लोग भी लेंगे जिन के ऊपर जन-जीवन को आगे बढ़ाने को, जनता की राजनीति को चलाने की जिम्मेदारी है। कभी भी कोई ऐसा सवाल नहीं उठना चाहिये, चाहे वह भाषावार प्रान्तों की रचना का सवाल हो या दूसरे किसी प्रान्त के निर्माण का सवाल हो, जिस में कोई आन्दोलन खड़ा करने की बात उठे क्योंकि इससे आपस में कटुता उत्पन्न होती है। अगर कोई प्रश्न है तो उसको हल किया जा सकता है आपस में बैठ कर, विचार विमर्श करके, गोष्ठी करके और एक दूसरे को दलीलें दे कर, समझा बुझा कर। एक बार फिर मैं महाराष्ट्र और गुजरात के निर्माण पर वहां की जनता को, जिसने कि यह महसूस किया कि कुछ गलती हो गई थी और उस गलती को दुरुस्त कराने के लिए कुर्बानियां कीं और उसकी वजह से कुछ लोगों को शहीद होना पड़ा, बधाई देता हूं और जो शहीद हुए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि महाराष्ट्र और गुजरात में एक ऐसे जीवन का पदार्पण इससे होगा जिससे वहां की जनता सुखी और समृद्धिशाली हो सकेगी।

[श्री ब्रजराज सिंह]

अन्त में मैं एक चेतावनी देना चाहूंगा कि केवल भाषावार प्रान्तों के निर्माण से ही जनता की जो समस्यायें हैं वे हल नहीं होती हैं। हो सकता है कि इससे उसमें कुछ मदद मिले क्योंकि जब एक भाषा हो जाती है तो वहां के प्रशासन को चलाने में उससे कुछ मदद मिलती है। लेकिन एक विदेशी भाषा को हम प्रशासन की भाषा बनाये रखें तो उससे कोई विशेष फायदा नहीं होता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जो दो नए प्रान्त बन रहे हैं, वे भी हिन्दुस्तान के अन्य भाषावार प्रान्तों की तरह ऐसे नहीं बन जायेंगे जिसमें जनता की समस्याओं का समाधान न हो सके बल्कि ऐसे कार्य करेंगे जिन से वहां की जनता की समस्याओं का, दूसरे प्रदेशों से अधिक अच्छी तरह समाधान हो सके।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : हमें इस बात को प्रसन्नता है कि गृह कार्य मंत्री ने गुजरात और महाराष्ट्र को नाजुक समस्या को हल कर दिया है। मेरे माननीय मित्र इस मामले में सिद्धान्त की बात करते हैं। सिद्धान्त इसमें एक ही है कि लोगों की इच्छा को पूरा कर दिया गया है। विस्तार से संयुक्त समिति इस पर विचार करेगी। पाटस्कर का सिद्धान्त गांव को एक इकाई मानता है, इससे लोगों की इच्छा का पता नहीं लग सकता। वह ऐसा सूत्र ही नहीं है, जिससे कि यह समस्या हल हो सकती। श्री पाटस्कर स्वयं इस सूत्र को मद्रास और मैसूर के मामलों में लागू नहीं कर सके, क्योंकि मद्रास ने इसे मानने से इन्कार कर दिया। अतः इसे गुजरात और महाराष्ट्र के मामले में भी लागू नहीं किया गया। श्री चावन ने बम्बई विधान सभा में कहा भी था कि हमारे समक्ष प्रश्न महाराष्ट्र गुजरात बनाने का है न कि सीमा विवाद है, जिसके लिए इस सिद्धान्त की उपयोगिता देखी जाये।

श्री त्यागी और श्री अणे का अब यह कहना, कि राज्य पुनर्गठन करना ही गलत था, ठीक नहीं बैठता। जब भाषा का प्रश्न हल हो गया, तो सौदे बाजी होने लगी। सभी ने भाषावार राज्य निर्माण की कोशिश की। फिर भी केवल भाषा का सिद्धान्त रख कर ही राज्यों का निर्माण नहीं किया गया और कई बातों का ध्यान रखा गया है।

अन्त में, मैं इस बात पर जोर दूंगा कि हमें पुरानी बातें भूल कर देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाना चाहिए। हमें विजेता और विजित की भावना नहीं लानी चाहिए।

श्री खादीवाला (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन वर्षों के बाद हम फिर यहां विचार कर रहे हैं कि एक प्रदेश के दो प्रदेश बनाये जायें। सोचना यह है कि जितने भी नये प्रदेश बने उन प्रदेशों में और जो प्रदेश पहले से चल रहे थे उन में, उन की चाल में, कितनी गति आई है और जनता के हित की दृष्टि से वे कितने ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। यह मुख्य बात है। जो बम्बई का एक प्रदेश बना था वहां के रहने वाले गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों ने पिछले समय में क्या उन्नति की, और क्या इसी लिये आज यह विचार करना पड़ा कि उस प्रदेश को दो प्रदेशों में बांटा जाय कि वे दोनों एक साथ नहीं चल सकते थे? मैं कहना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश बना उस मध्य प्रदेश में तो कई प्रदेश मिलाये गये और वह प्रदेश ज्यादातर देशी रियासतों से ही बना। जब आज यह सवाल हमारे सामने विचार के लिये आया तो मुझे यह कहना पड़ता है कि कई इस प्रकार की डिफिकल्टीज़ शासन के चलाने में जिस प्रदेश में भी आती हों, हमारे लिये उन पर विचार करना बहुत जरूरी है: क्योंकि सवाल हमारे सामने यह है कि जो भी प्रदेश बने उन के बनने के बाद चूंकि वहां पर

†मूल अंग्रेज़ी में

एक सूत्रता, एकता, एक कायदे और कानून का रूप अभी तक नहीं आ सका है इस लिये वहां पर हर बात में कई मुश्किलात आती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मेम्बर साहब दूसरे सवाल पर चले जा रहे हैं । मैं ने उन को रोका भी था, स्पीकर साहब ने भी कह दिया है कि दूसरे सूबों का झगड़ा नहीं उठाया जायेगा । इस लिये मेम्बर साहब के लिये और मेरे लिये भी यह पाबन्दी आती है । और वे इस में न जायें ।

श्री खादीवाला : मैं यह बात मानता हूं कि यह सवाल बम्बई प्रदेश का है । लेकिन जो सवाल आज हमारे सामने आ खड़ा हुआ है वह एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी लिये मैं ने यहां पर अपने प्रदेश की बात कही । लेकिन जब आप ने हुक्म दे दिया है तो मैं ज्यादा न कहते हुए यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ बम्बई प्रदेश में हुआ वह सूरत किसी और प्रदेश में न आये । इसी लिये मैं ने यह . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : इस लिये क्या बम्बई को तकसीम न किया जाय ?

श्री खादीवाला : नहीं, जरूर किया जाय । मैं तो कहता हूं कि जहां के भी लोग जो कुछ कहें उस के ऊपर जरूर विचार किया जाय । मेरा यह कहना नहीं है कि बम्बई का विभाजन न किया जाय । जो निर्णय किया गया है मैं उस का स्वागत करता हूं । छोटे छोटे प्रदेश जितने अच्छे चल सकते हैं उतने अच्छे बड़े प्रदेश नहीं चल सकते । जो बड़े प्रदेश चल रहे थे उन के सम्बन्ध में यह अनुभव हुआ है कि बड़े प्रदेश के बनने के बाद कई मुसीबतें हमारे सामने प्रदेश को चलाने में आईं हैं, और उन्हीं का नतीजा है कि आज एक बम्बई प्रदेश के दो प्रदेश बनाये जा रहे हैं । आप ने जब मुझे मना कर दिया है कि तब मुझे कुछ और नहीं कहना है । आप से केवल इतना ही कहना है कि यदि इस पर विचार किया जा रहा है तो दूसरे प्रदेशों में ऐसी नौबत आये, इस के पहले ही हमें दूसरे प्रदेशों के लिये सोचना चाहिये ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बम्बई की ही बात करूंगा ? मैं दूसरे सूबे का प्रश्न, पंजाबी सूबे का या हरियाना का बीच में नहीं लाऊंगा ।

मैं इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की ताईद करता हूं, लेकिन ऐसा करते हुए यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि अभी जो कुछ श्री ब्रजराज सिंह जी ने कहा, वह एक सबक हमारे सीखने के लायक है कि जिस देश के अन्दर प्रजातंत्रवाद की हुकूमत हो और प्रजातंत्र की पद्धति मानी गई हो वहां पर बड़े बड़े सत्याग्रह या बड़े बड़े लड़ाई झगड़े कराना सही नहीं है, चाहे वह महागुजरात समिति हो या महाराष्ट्र समिति हो । और कुछ भाइयों ने कहा कि यहां इस देश के अन्दर कुछ दोस्तों ने बम्बई सूबे को बनाने के लिये कुर्बानियां की । मैं उन लोगों के साथ हमदर्दी रखता हूं जिन की इस देश में किसी वजह से, कुछ लोगों के बहकावे में आने से, इस चीज के लिये जानें गईं ।

श्री प्र० सिं० दौलता (झज्जर) : वह आप की गोलियों से गईं ।

चौ० रणवीर सिंह: वही मैं बतलाना चाहता हूं । मेरे साथी के नेता ने जो बात कही थी वह उसे भूल गये । मैं वही बात दोहरा रहा हूं । यों तो सद्भावना के साथ एक फार्मूला तय हुआ था और उस में उस वक्त कम से कम इस सदन के जितने सदस्य थे वे शामिल थे । यह बदकिस्मती हो सकती है कि डांगे साहब पिछले एलेक्शन में हार गये और वे यहां पर अपनी राय न दे सके लेकिन इस में तो उन के एलेक्टोरेट का ही कुसूर हो सकता है, इस सदन का तो कोई कुसूर नहीं था ।

[चौ० रणवीर सिंह]

मैं कहना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि श्री ब्रजराज सिंह जी की तरफ से, जो कि हमारी खिलाफ पार्टी के मेम्बर हैं, यह सुझाव आया। मैं खुद भी वही बात कहना चाहता था जो कि उन्होंने सही तौर पर यहां कहा। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि जब खांड या गन्ने की कीमत का सवाल आता है तो वे भूल जाते हैं इस चीज को कि सत्याग्रह को इस चीज के लिये भी चलाना आवश्यक नहीं है क्योंकि इस सदन के अन्दर जब वक्त आया तो गन्ने की कीमत बढ़ी भी और घटी भी और जैसा भी वक्त आये उस के मुताबिक फैसला हो सकता है। फैसलों को बदलने के लिये सत्याग्रह करना या गोली चलवाना, लोगों में जोश पैदा करना ठीक नहीं है। जब मेरे साथी यह कहते हैं कि बम्बई में जो दूसरे भाई बसते हों उन के संरक्षण का सवाल क्यों पैदा हो, तो वे इस चीज को भूल जाते हैं। कौन नहीं जानता कि बम्बई के अन्दर कुछ साल पहले क्या हालत हुई थी और जिन भाइयों के हाथों में राजतंत्र को चलाने की जिम्मेदारी है वे कैसे इन बातों को भूल सकते हैं।

गोरे साहब ने कहा कि जहां तक गुजरात के घाटे का ताल्लुक है, उन्हें कोई गिला नहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वह घाटा पूरा करे। लेकिन वे भूल जाते हैं कि बम्बई शहर में, जिस को पहले एक अलाहदा रियासत बनाने का फैसला इस सदन ने तकरीबन कर लिया था, २५ करोड़ रु० का सर्प्लस पाया जाता है।

श्री पु० र० पटेल (मेहसाना) : २७ करोड़ का।

चौ० रणवीर सिंह : जैसा कि पटेल साहब कहते हैं २७ करोड़ रु० का सर्प्लस पाया जाता है। अगर उस सर्प्लस को बम्बई वाले और महाराष्ट्र वाले भाई रखना चाहते हैं तो उन को मुबारक हो, लेकिन गुजरात वाले भाइयों को जो घाटा है उस को देश के दूसरे हिस्से क्यों बर्दाश्त करें? अगर वे बम्बई को सेंट्रली ऐडमिनिस्टर्ड एरिया बनाना चाहें, केन्द्रीय सरकार के नीचे लाना चाहें तो मैं समझता हूं कि पन्त जी को इस में कोई एतराज नहीं होगा कि गुजरात का घाटा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करे।

इस के अलावा त्यागी जी ने एक बात कही थी और मैं उस की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भाषावार सूबों के नाम से इस देश की एकता में बाधा पड़ने का डर है, और यह बात सही है। अगर इस डर का हमें मुकाबला करना है तो मैं चाहता था कि इस के लिये त्यागी जी कोई सुझाव रखते, लेकिन उन्होंने तो उल्टा दूसरी तरह से कुछ "न" कह कर पंजाबी सूबे और हरियाना बनने की तरफ इशारा किया। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि चाहे कुछ हो, इस देश के अन्दर लोगों को इकट्ठा रखने के लिये अगर किसी चीज की आवश्यकता है, जिस को हमें बढ़ावा देना चाहिये, तो वह हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है।

हिन्दी के सरकारी प्रशासन में अधिकाधिक प्रयोग व व्यवहार के लिए होम मिनिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च करना चाहिए। हिन्दी रूपी मंत्र को अपना कर हम अपने देश की एकता को बनाये रख सकते हैं। हिन्दी ही देश को एकता के सूत्र में जकड़े रख सकेगी और इसलिए सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हिन्दी को हर तरह से बढ़ावा दे। आज भी हमारे प्रशासन में ऐसे आई० सी० एस० और आई० ए० एस० के अफसरान और हम में से सदस्य हैं जो कि हिन्दी भाषा नहीं जानते हैं और यह खेद का विषय है कि वह उस की प्रगति के रास्ते में रोड़ा बनना चाहते हैं। इसलिए उन को हिन्दी पढ़ाने के लिए अगर होम मिनिस्ट्री ३ या ४ करोड़ रुपया खर्च करेगी तो वह देश को एकता को बनाये रक्खेगा और एकता की जंजीर को मजबूत करेगी।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : श्रीमान्, इस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के बाद से अब तक मैं ने माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये उन प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं है जिन पर बहस के दौरान कुछ विवाद उठ खड़े हुए थे। मेरी इच्छा यही थी कि ऐसे प्रश्नों को और अधिक संयम और गंभीरता से यहां पर उठाया जाना चाहिये था। आरम्भ में ही मैं ने माननीय सदस्यों से अपील की थी कि वह इस समस्या पर उसी भावना से विचार करें जिस भावना से महाराष्ट्र तथा गुजरात के नेताओं ने इस विषय में समझौता किया है।

जैसाकि मैं ने बताया था यह विधेयक इन नेताओं के बीच हुए समझौते के आधार पर बनाया गया है इसलिये इस का यहां स्वागत ही किया जाना अपेक्षित था परन्तु फिर भी कुछ माननीय सदस्य इस समझौते से सहमत नहीं हो सके हैं। लेकिन यह विधेयक केवल स्वीकृत समझौते के आधार पर ही नहीं बनाया गया है अपितु इस को बम्बई विधान मंडल की दोनों सभाओं ने भी स्वीकार कर लिया है।

इस विधेयक में कुछ संशोधन किये गये थे जिन में से दो महत्वपूर्ण संशोधनों को संयुक्त समिति के परामर्श के लिये छोड़ दिया गया है और अब सभा यदि चाहे तो उन्हें स्वीकार कर सकती है। अन्य संशोधन मामूली हैं। बम्बई विधानमंडल के दोनों सदनों में जब विधेयक को मतदान के लिये रखा गया तो जहां तक मुझे मालूम है, वह बिना किसी विरोध के पास किया गया था। मेरा यह सब ताने से यह मतलब नहीं है कि विधेयक पर सभा के सदस्य इस कारण अपने विचार प्रकट न करें परन्तु जब हम को बताया जाता है कि हमारा कोई सिद्धान्त नहीं है, हम लोकतंत्र के सिद्धान्तों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं तब मुझे कुछ आश्चर्य होता है क्योंकि हम ने सर्वदा अपने आंख और कान खोले रख कर काम करने का प्रयत्न किया है। जहां भी हमें यह लगा कि अमुक कार्य से देश के करोड़ों व्यक्तियों को लाभ होगा हम उसे करने से नहीं हिचके हैं। इस में प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है ; यह सरकार प्रतिष्ठा को अपना आधार नहीं मानती ; वह अपनी ग़लती मानने के लिये हमेशा तत्पर है और अपनी राय बदलने को तैयार है अगर वह समझती है कि उस ने वह राय ठीक नहीं बनाई है।

जब द्विभाषी योजना सभा के सम्मुख रखी गई थी उस समय मैं ने बताया था कि मुझे प्रसन्नता है कि इस समस्या का हल निकल आया है। आप सभा की कार्यवाही का रिकार्ड देख सकते हैं कि मैं ने क्या कहा था। मैंने कहा था कि मेरी दिलचस्पी समस्या के आदर्श हल में नहीं है, अपितु स्वीकृत हल में है। मैं ने कहा था कि मेरे ख्याल में कोई हल सिद्धान्ततः कितना भी संतोषजनक क्यों न हो परन्तु यदि उस को सभी पक्षों ने स्वीकार नहीं किया या स्वीकार्य सिद्ध न हुआ तो व्यक्तिगत रूप से मुझे संतोष नहीं होगा। मैं समस्या का हल तभी समझूंगा जब दोनों पक्षों में सद्भावना पैदा हो जाये, जब दोनों का भावनात्मक एकीकरण हो जाये और दोनों में भाईचारे का व्यवहार हो। यह बातें मैं पहले कह चुका हूं।

इस विधेयक को इस सभा के समक्ष रखते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। वास्तव में यह विधेयक परस्पर सद्भाव और एक दूसरे की सहायता करने की भावनाओं का प्रतीक है।

मतभेद के छोटे-छोटे प्रश्नों के बारे में हमें यही देखना है कि क्या उन में कोई सिद्धान्त निहित है। श्री डांगे ने कहा है कि यह तो ठीक है कि गुजरात का घाटा पूरा किया जाये परन्तु जब तक इस के बारे में विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं है और न ही अन्य ब्यौरों को तय किया गया है। जब उन्हों ने ब्यौरों को तय नहीं किया है तो यह हमारा कर्तव्य था कि उस सिद्धान्त को क्रियान्वित करें जो वे स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा ह कि उम्बेरगांव के कुछ भाग गुजरात को मिलने चाहियें लेकिन उसे कुछ ज्यादा गांव दे दिये गए हैं। मैं समझता हूं कि इस में कोई सिद्धान्त का प्रश्न निहित

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गो० ब० पन्त]

नहीं है ; इस प्रश्न की जांच दोनों पक्ष स्वयं कर सकते है कि कौन से गांव गुजरात में रहें तथा कौन से महाराष्ट्र में ।

उकई परियोजना के बारे में उन्होंने कहा कि जब यह परियोजना बन जाये उस समय जल-मग्न क्षेत्र गुजरात को दे दिये जायें । यहां भी सिद्धान्त तो मान ही लिया गया है । हमें बताया गया है कि परियोजना स्वीकार कर ली गई है और कुछ निर्माण आरम्भ भी कर दिया गया है । इसलिये वह बात तो काफ़ी हद तक पूरी हो गई है ; इसलिये मैं नहीं समझता कि हम ने सिद्धान्त का उल्लंघन किया है ।

माननीय सदस्य ने दो तीन बातें कहीं जो दुर्भाग्यपूर्ण थीं और उन्हें नहीं कहनी चाहिये थीं । उन्हों ने कहा कि द्विभाषी राज्य बनाने के सम्बन्ध में संसद् को धनिकों ने प्रभावित किया था । उन्हों ने कहा कि नीति निर्माताओं ने दबाव में आ कर ऐसा किया है । नीति निर्माता कौन थे ? विदर्भ को छोड़ कर बम्बई का द्विभाषी राज्य बनाने की सिफ़ारिश राज्य पुनर्गठन आयोग ने की थी जिस में तीन स्वतंत्र सदस्य थे और जिस के सभापति उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश थे । मैं नहीं जानता कि पैसे वालों का उन के निर्णयों पर प्रभाव पड़ा था ।

इस के अतिरिक्त इस बात को भी सभी जानते हैं कि इस सभा के १८० सदस्यों ने प्रधान मंत्री को पत्र भेजा था जिस में कहा गया था कि वह बम्बई का एक द्विभाषी राज्य बनाये जाने पर सहमत हों । सभा में कुछ स्वतंत्र सदस्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उस को लगभग सभी ने एकमत हो कर स्वीकार कर लिया था । मैं नहीं जानता कि प्रधान मंत्री को पत्र को भेजने वाले सदस्यों या प्रस्ताव को रखने वाले सदस्यों अथवा उसे स्वीकार करने वाले ४०० से अधिक सदस्यों पर पैसे वालों का किस तरह दबाव पड़ा था । इस प्रकार मैं समझता हूं कि इन की बातों में कुछ कठोरता थी, जो नहीं होनी चाहिये थी ।

फिर उन्हों ने कहा कि हमें यह याद रखना चाहिये कि हम से ग़लतियां हो सकती हैं । मैं बताना चाहता हूं कि हम ने यह दावा तो कभी नहीं किया कि हम से ग़लतियां नहीं होतीं । यह दावा तो उन का दल ही करता है कि वह ग़लतियां नहीं करते हैं, सिद्धान्तों के अनुसार काम करते हैं ; लोक-तंत्र के समर्थक हैं और हम जैसे अन्य लोग ही देश में लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं और देश को तहस नहस करना चाहते हैं । यह सभी दावे उन का ही दल करता है ।

उन्होंने यह भी कहा कि वह यह चाहते हैं कि बम्बई और अहमदाबाद में जो दुर्घटनायें हुई हैं उन्हें लोग भूल जायें । उन के अनुसार इन घटनाओं को भूल जाने का सब से अच्छा तरीका यही है कि लोगों को बार बार उन की याद दिलाई जाये इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि गृह-मंत्री ने अहमदाबाद और बम्बई में इतने लोगों को मार डाला । उन्हें शायद पता है कि कुछ ही हफ्तों की अवधि में केरल पुलिस को १० बार गोली चलानी पड़ी थी जिस में १७ आदमी मारे गये थे और सैंकड़ों घायल हुए थे ; इस के अलावा कोई २०० बार लाठी चार्ज हुए थे । अब अगर मैं यह कहूं कि वहां के गृह मंत्री या मुख्य मंत्री ने इतने लोगों को मार डाला या जख्मी किया तो क्या यह कहना ठीक होगा ?

केरल की साम्यवादी सरकार ने श्री एन० सी० चटर्जी के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की थी जिस ने बताया था कि साम्यवादी सरकार की नीति ग़लत नीति थी । इस के बारे में मैं इस से अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर–मध्य) : केरल में गोलीकांड के लिये जांच समिति नियुक्त की गई थी ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : कोई जांच समिति नियुक्त नहीं की गई थी । यह कहा गया था कि जन आन्दोलन में जब लोग मरते हैं तो जांच की क्या ज़रूरत है । अन्य राज्यों के मामले में साम्यवादी दल के लोग हमेशा कहा करते थे कि गोलीकांड की न्यायिक जांच होनी चाहिये लेकिन जब अपने राज्य का सवाल आया तो कहा गया कि जांच की कोई ज़रूरत नहीं है । हां, एक दो बार, जब साम्यवादी दल के मज़दूरों पर गोली चलाई गई तो जांच हुई थी । इस जांच समिति के अध्यक्ष, एक न्यायाधीश ने समिति के प्रतिवेदन में बताया कि पुलिस ने ठीक गोली चलाई । सरकार की ओर से पहले ही यह कह दिया गया था कि गोली चलाना ग़लत था और उन्होंने कुछ पुलिस वालों का तबादला भी कर दिया । लेकिन बाद में क्या हुआ ? उन्हों ने कहा कि अब कोई जांच नहीं हुआ करेगी ।

फिर उन्होंने इस सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं का उल्लेख किया । अभी कुछ दिन हुए हम इस के बारे में एक संकल्प पर विचार कर चुके हैं । वहां पर जो लोग मारे गये हैं वे दूसरे वर्ण तथा जाति के लोग थे परन्तु यहां पर ऐसी कोई बात नहीं थी ; अतः उन की राय में यह एक आन्तरिक समस्या थी ।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : मैं ने यह कहा था कि इस गोलीकांड की तुलना दक्षिण अफ्रीका के गोलीकांड से नहीं की जा सकती है तथा सरकार को उन की तुलना नहीं करनी चाहिये थी ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : कुछ बातें बड़ी चतुराई से कही जाती हैं और यह भी एक वैसी ही बात है । खैर दक्षिण अफ्रीका में पास न दिखाने पर गोलीकांड हुआ परन्तु यहां हमारे लोकतंत्रात्मक विचारों का विकास इस सीमा तक हो चुका है कि हमारे सौभाग्य से आज श्री डांगे और उन के साथी सभा के सदस्य हैं । हम चाहते हैं कि वह हमारी सहायता करें परन्तु हमें अधिक उदारता से काम लेना चाहिये और यह नहीं सोचना चाहिये कि हम ठीक काम करने में समर्थ नहीं हैं । हम सहयोग चाहते हैं लेकिन साथ ही हमारे कुछ सिद्धान्त हैं और उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार काम कर के हम ने अब तक सफलता प्राप्त की है, हालांकि इस अरसे में सब से अधिक बोझ हमारे नेता, प्रधान मंत्री पर पड़ा है । श्री डांगे साम्यवादी दल के गत बीस वर्ष के इतिहास का अध्ययन करें तो उन को मालूम होगा कि हम कुछ सिद्धान्तों पर खड़े रहे हैं या वे ।

फिर उन्होंने कहा कि हम को डर है कि महाराष्ट्र में शायद अगली सरकार कांग्रेस की न बन सके । मुझे उन से हमदर्दी है, क्योंकि महाराष्ट्र में उन की सरकार बनने की कोई संभावना ही नहीं है । जो उन के साथी थे वे भी उन से सहमत नहीं हो सके । कल ही वाद विवाद में श्री याज्ञिक ने श्री डांगे द्वारा कही गई समस्त बातों का विरोध किया था जबकि इस मामले में हमारे खिलाफ उन में दोस्ती थी । श्री गोरे ने कहा कि इन के साथ का हमें बहुत अनुभव हो चुका है और अब हमारा और उन का साथ आगे नहीं हो सकता है । इस से स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग उन के साथ रहे हैं उन के क्या अनुभव हैं ।

श्री वाल्वी ने नौ व्यक्तियों की समिति को एक अभ्यावेदन भेजा था जिस में उन्हों ने तथा अन्य लोगों ने सुझाव दिया था कि खानदेश के छः तालुकों यानी शहादा, अंकरानी, अक्कलकूवा, तालोदा, नावापुर तथा नंदुरकर को गुजरात को दिया जाना चाहिये । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आदिवासियों के हितों में जितनी उन की दिलचस्पी है, उस से कहीं ज्यादा मेरी दिलचस्पी उन

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

[श्री गो० ब० पन्त]

में है। मैं यह मानता हूं कि आदिवासियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिये चाहे वे किसी राज्य में रहें। उकई परियोजना के लिये उन की कोई ज़मीन ली जाये तो उन को उचित प्रकार से पुनर्वासित किया जाना चाहिये और उन की ज़रूरतों की तरफ़ पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। आदिवासियों या किसी और से ज़मीन लेने की पहली शर्त यही होनी चाहिये।

जो और छोटे छोटे प्रश्न हैं उन पर संयुक्त समिति में विचार किया जायेगा तथा बाद में सभा भी उन पर विचार कर लेगी। वित्त आयोग का भी उल्लेख किया गया और मद्रास से आन्ध्र के अलग होने के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया। मद्रास तथा आन्ध्र दोनों घाटे के राज्य हैं अलग होने के समय मद्रास में ५ करोड़ रुपये से अधिक का घाटा था और आन्ध्र में ३ करोड़ रुपये का घाटा था। मैं मानता हूं कि भिखारी दूसरों को दान नहीं दे सकते। दोनों को केन्द्र द्वारा सहायता दी गई थी। इसलिये यह बात यहां पर लागू नहीं की जा सकती है।

वित्त आयोग उस समय की दशा का ध्यान रखेगा। तथा जो आवश्यक समझेगा वह व्यवस्था करेगा।

जो भी व्यवस्था हम ने की है वह दोनों पक्षों की सहमति से ही की है और हम ने इस विधेयक को स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर ही बनाया है।

मैं आशा करता हूं कि बम्बई में जो कुछ हुआ है और स्वयं बम्बई विधान मंडल ने जो फैसला किया है, उन का संयुक्त समिति इन विषयों पर विचार करते समय उचित ध्यान रखेंगी।

[1]उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बम्बई राज्य के पुनर्गठन तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिस में ३० सदस्य अर्थात् श्री श्रीपाद् अमृत डांगे, श्री ब० ना० दातार, श्री भाऊ राव कृष्ण राव गायकवाड़, श्री माणिक लाल मगनलाल गांधी, श्री नारायण गणेश गोरे, श्री अरुण चन्द्र गुह, श्री हजरनवीस, श्री हेडा, श्री अजित प्रसाद जैन, श्री गुलाब राव केशवराव जेधे, डा० गोपाल राव खेडकर, श्री भवन जी ए० खीमजी, श्री बलवन्त राय गोपालजी मेहता, श्री नरेन्द्र भाई नथवानी, श्री घनश्यामलाल ओझा, श्री शामराव विष्णु परूलेकर, कुमारी मणिबेन वल्लभ भाई पटेल, श्री ना० नि० पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० पटेल, श्री उत्तम राव ल० पाटिल, श्री शिवराम रंगो राने, श्री अजित सिंह सरहदी, श्री शंकरया, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री दिग्विजय नारायण सिंह, श्री सुगन्धि, श्री न० रा० स्वामी, स्वामी रामानन्द तीर्थ, श्री बाल कृष्ण वासनिक और श्री इन्दु लाल कन्हैया लाल याज्ञिक इस सभा के हों और १५ सदस्य राज्य सभा के हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक के गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को १४ अप्रैल, १९६० तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तन और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा दिये जायें; और

[1]मूल अंग्रेजी में

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

इकसठवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : श्रीमान्, मैं प्रस्तप्व करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इकसठवें प्रतिवेदन से, जो सभा में ३० मार्च, १९६० को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदह्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इकसठवें प्रतिवेदन से, जो सभा में ३० मार्च, १९६० को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

न्यायालय अवमात विधेयक

†**श्री बि० दास गुप्त** (पुरुलिया) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यायालय के अवमान से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि न्यायालय के अवमान से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री बि० दास गप्त** : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा में अब श्री हेम राज द्वारा १८ मार्च, १९६० को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा होगी :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री हेम राज अपना भाषण जारी रख सकते है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैं निवेदन कर रहा था कि इस सभा में हिमाचल और पंजाब के कांगड़ा चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य पिछली बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर पाये, जो कि उन का महत्वपूर्ण अधिकार है। यदि यह बात आकस्मिक होती तो हमें इस की चिन्ता न होती किन्तु लगता है कि यह बात हमेशा ही हुआ करेगी क्योंकि जैसा कि निर्वाचन आयोग का कहना है कि इन चुनाव क्षेत्रों में निर्वाचन अन्य चुनाव-क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न होने के पश्चात् ही हुआ करेंगी। निर्वाचन आयोग ने द्वितीय सामान्य निर्वाचनों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में भी इस बात को दुहराया है कि जल-वायु सम्बन्धी कठिनाइयों वश इस बात की बहुत कम सम्भावना है कि इन स्थानों के निर्वाचन सारे देश के अन्य भागों में होने वाले निर्वाचनों के साथ साथ हो जाया करेंगे।

भविष्य में जब जम्मू और काश्मीर भी निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आ जायेंगे तो वहां के लद्दाख किश्तवार और भद्रवाह आदि क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

और यह बात केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन पर भी लागू होती है। इसलिये मेरा सनम्र निवेदन है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से हमें वंचित न किया जाये।

संविधान के अनुच्छेद ५४ में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा। मेरा यह कहना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय लोक-सभा का निर्वाचन पूर्णतया सम्पन्न नहीं हुआ था क्योंकि हिमाचल प्रदेश के तीन और पंजाब के दो चुनाव क्षेत्रों में निर्वाचन समाप्त नहीं हुआ था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ७३ के द्वारा इस अर्हता को दूर करने का प्रयत्न किया गया था किन्तु मेरे विचार में यह बात संविधान के विरुद्ध जाती है। संविधान द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को संसद् के किसी अधिनियम द्वारा छीना नहीं जा सकता।

संविधान में ऐसी कोई शर्त नहीं दी गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नयी लोक-सभा के सदस्य ही करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उन की पांच वर्षों की अवधि समाप्त होने पर, पुरानी लोक सभा के सदस्यों द्वारा भी, जिस का विघटन न हुआ हो, हो सकता था। इस बात की पुष्टि निर्वाचन आयोग ने भी अपनी दूसरी रिपोर्ट में की है।

ऊपर जिन चुनाव क्षेत्रों का जिक्र किया गया है, भविष्य में भी जब वहां से लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हो कर आयेंगे तब तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो चुका करेगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि उन चुनाव क्षेत्रों के पुराने सदस्यों को यह सीमित अधिकार दिया जाना चाहिये कि वे राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकें। निर्वाचन आयोग ने भी इस बात का सुझाव दिया है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुबीर सहाय** (बदायूं) : मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं कि मैं श्री हेम राज द्वारा पेश किये गये बिल की भावना से पूर्णतया सहमत हूं ।

स्थिति यह है कि इन चुनाव क्षेत्रों से चुने गये लोक सभा के ६ सदस्य और पंजाब विधान सभा के २ सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते । क्योंकि इन का निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन के पश्चात् होता है ।

प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण इन चुनाव क्षेत्रों में निर्वाचन सारे देश में होने वाले निर्वाचनों से कुछ देर के पश्चात् होता है । यह कठिनाइयां तो सदैव ही बनी रहेंगी । इस का तात्पर्य यह हुआ कि इन स्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने मूलभूत संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने से हमेशा और स्थायी रूप से वंचित रहेंगे जो कि एक बड़ी अनुचित बात है ।

सामान्यत: एक सदस्य की पदावधि पांच वर्ष की होती है अतः इस अवधि के दौरान उसे अपने स्वाभाविक अधिकारों का प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में एक कठिनाई यह है कि लोक सभाओं के विघटन के पश्चात् इन चुनाव क्षेत्रों के प्रतिनिधि सदस्यों की स्थिति क्या होगी ? मेरा यह सुझाव है, जैसा कि श्री हेम राज ने भी कहा है, कि विघटन के घोषणा में इस बात की व्यवस्था कर दी जाये कि यह घोषणा इन चुनाव क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों पर लागू नहीं होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब चेयरमैन साहब, मैं ने इस बिल को पढ़ा और अपने लायक दोस्त की तकरीर भी सुनी । जिस वक्त यह ऐक्ट सन् १९५१ की सिलेक्ट कमेटी में गया था । उस सिलेक्ट कमेटी का चेयरमैन मैं था । उस वक्त यह तकलीफ हमारे सामने आयी थी, और इस तकलीफ का जो हल था उससे यह मालूम होता था कि यह इलेक्शन्स भी कैसे हो सकेंगे इस दिक्कत को दूर करने के वास्ते दफा ७३ की तजवीज की गयी है । दफा ७३ इसलिए पास किया गया था कि अगर किसी कांस्टीट्यूएंसी का इलेक्शन उस वक्त तक कम्प्लीट न हो तब भी यह करार नहीं दिया जाएगा कि हाउस कम्प्लीट नहीं है । वरना इसके मानी यह होते कि अगर हिन्दुस्तान में किसी कांस्टीट्यूएंसी का इलेक्शन पूरा न हो तो उस वक्त तक सारा हिन्दुस्तान का इलेक्शन कम्प्लीट नहीं हो सकेगा और हाउस कम्प्लीट नहीं हो सकेगा । इस वास्ते मेरे लायक दोस्त की यह शिकायत कि इन ६ मेम्बर साहिबान को अपने हक से महरूम किया गया इसमें भी वक्त है । हम नहीं चाहते कि हिन्दुस्तान की कोई कांस्टीट्यएंसी इस बात की शिकायत कर सके कि उसके इलेक्टेड मेम्बर को ऐसे इम्पारटेंट काम में जैसे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा नहीं दिया गया । हमारे ख्याल में अगर मौजूदा कानून के मुताबिक इलेक्शन दुरुस्त भी हो तब भी मैं समझता हूं कि यह एक ब्लैक स्पाट है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते । मैं चाहता हूं कि हर मेम्बर का हक बराबर हो, किसी के हक में फर्क नहीं होना चाहिए । लेकिन जो तजवीज हमारे लायक दोस्त ने रखी है उससे मुझे इत्तिफाक नहीं है । लेकिन मुझे उनके बिल से हमदर्दी है और मैं चाहता हूं कि इसका कोई साल्यूशन निकाला जाए और जो भी मेम्बर किसी भी कांस्टीट्यूएंसी से इलेक्ट हो कर आए उसका हक जायल न किया जाए । एक तजवीज यह हो सकती थी जो कि मेरे लायक दोस्त ने रखी है कि हाउस खत्म होने के बाद भी इन ६ मेम्बर साहिबान को मेम्बर समझा जाए लेकिन यह तजवीज मुझ को पसन्द

†मूल अंग्रेज़ी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

नहीं है क्योंकि जब सारा हाउस ही खत्म हो जाता है तो इन मेम्बरों को क्यों एक खास पोजीशन रखी जाए, जो हक दूसरे मेम्बर नहीं रखते वह उनको क्यों दिया जाए, इसलिए मेरी यह तजवीज है, और यह तजवीज प्रिसिडेंट से भी कवर्ड है, कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब इन ६ मेम्बरों का इलेक्शन उस वक्त तक करालें—मसलन सितम्बर में या अक्तूबर में करा लें जिस वक्त कि हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर साहब का या हमारे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जी के इलेक्शन से पहले हो, ताकि वह उस इलेक्शन में हिस्सा ले सकें।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : हाउस के डिजाल्व होने से पहले उनका इलेक्शन कैसे हो सकता है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप यहां कैसे बैठे थे। हाउस डिजाल्व हो चुका था और उसके बाद इलेक्शन हुए और उसके बाद भी आप यहां आए। हमारे यहां इलेक्शन का रिजल्ट डिकलेअर हो गया था उसके बाद भी हम यहां आए और हमने काम किया। लेकिन हिमाचल का इलेक्शन उस वक्त नहीं हो सकता था क्योंकि वहां बर्फ पड़ती थी और वहां का इलेक्शन बहुत पहले हुआ। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जहां हिली इलाका हो और जहां इस किस्म की दिक्कतें हों, वहां पहले इलेक्शन कर लिया जाए ताकि जितने वोटर हैं वह आसानी से आ सकें और सहूलियत के साथ इलेक्शन हो सके। उस वक्त भी जब १९५१ का एक्ट बना हमने यह चीज सोची थी लेकिन मुझे याद नहीं कि क्या हालात थे कि जिनकी वजह से हम ऐसा नहीं करा सके। इस वास्ते दफा ७३ आखिर में पास की गयी कि कहीं सारे देश का इलेक्शन बन्द न हो जाए। इसलिए मेरी गुजारिश है ला मिनिस्टर साहब की खिदमत में कि अगर वह श्री हेमराज की तजवीज को पसन्द न करें तो मेरी तजवीज को आल्टरनेटिव की शक्ल में मंजूर फरमा लें। लेकिन अगर मेरी तजवीज आपको पसन्द न हो तो मैं यह पसन्द करूंगा कि आउटगोइंग मेम्बर को जो श्री हेमराज चाहते हैं वह हक दे दिया जाए। लेकिन असूलन यह दुरुस्त नहीं है कि आउटगोइंग मेम्बर ऐसा जानवर बनाया जाए जैसा कि सारे हिन्दुस्तान में न हो। मैं चाहता हूं कि सब मेम्बरान का हक बराबर हो। इसलिए इन मेम्बर साहिबान का इलेक्शन पहले ही हो सकता है, और यह चीज प्रिसिडेंट से कवर्ड है और इसमें कोई ऐब नहीं है कि इनका इलेक्शन पहले हो जाए। उसके बाद जनरल इलेक्शन हो सकता है और जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर साहब का या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जी का इलेक्शन हो उस वक्त वह दफा ५४ व दूसरे आर्टिकल के मुताबिक अपने हक का इस्तैमाल कर सकें। मेरी गुजारिश है कि मेरी तजवीज को भी एग्जामिन कर लिया जाए। अगर यह फीजिबिल हो तो इसको मंजूर कर लिया जाए क्योंकि असेम्बली खत्म होने के बाद आउटगोइंग मेम्बर को इस तरह का हक देना मैं पसन्द नहीं करता जैसा कि इस बिल में चाहा गया है। मैं चाहता हूं कि इस चीज पर गौर किया जाए।

मैं इस बिल के प्रिंसिपल की सपोर्ट करता हूं, लेकिन जो प्रेक्टिकल तजवीज दी गयी है उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। लेकिन अगर मेरी तजवीज को मंजूर न फरमाया जाए, तो मैं चाहूंगा कि जो तजवीज पेश की गयी है उसको ही मंजूर कर लिया जाए।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता पूर्व) : सभापति महोदय, मैं विधेयक के उस भाग अथवा इस में अन्तर्निहित भावना का समर्थन करता हूं, जिसका उद्देश्य यह है कि उन चुनाव क्षेत्रों के, जो

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष के अन्तिम महीनों में बर्फ से आच्छादित रहते हैं, प्रतिनिधियों को मतदान के अधिकार से वंचित न किया जाये । राष्ट्रपति के पिछले निर्वाचनों में लोक सभा के आठ सदस्य इस बात से प्रभावित हुए थे और काश्मीर में नियमित रूप से निर्वाचन होने पर और भी सदस्यों पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है । किन्तु सवाल सदस्यों की संख्या का नहीं, किन्तु मूलभत अधिकारों के प्रयोग का है ।

मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के निर्वाचन में अपने अधिकार का प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए किन्तु माननीय सदस्य ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो सुझाव पेश किया है उससे मैं सहमत नहीं हूं । यह कहना ठीक नहीं कि वर्तमान व्यवस्था संविधान के विरुद्ध है । संविधान के अनुच्छेद ५४ को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ७३ के प्रकाश में नहीं देखना चाहिए । अनुच्छेद ५४ में लोक-सभा के पूर्ण अथवा अपूर्ण गठन के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया । लोक-सभा अथवा राज्य विधान सभाओं के गठन के लिए हमें अनुच्छेद ३२७ और ३२८ का अध्ययन करना पड़ेगा । इन अनुच्छेदों के अनुसार धारा ७३ संविधान के विरुद्ध नहीं है किन्तु श्री हेमराज द्वारा प्रस्तुत सुझाव संविधान के विरुद्ध अवश्य है ।

वर्तमान बिल में की गयी व्यवस्था के सम्बन्ध में इस कानूनी आपत्ति के अतिरिक्त एक बहुत बड़ी आपत्ति और भी है । आज शिकायत यह है कि इन चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं होता, किन्तु यदि बिल में दिये गये सुझाव को मान लिया जाये तो हो सकता है कि उन चुनाव क्षेत्रों में लोगों के राजनैतिक विचारों में परिवर्तन होने की स्थिति में उनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल गलत किया जाये । यह तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा ।

किन्तु इस समस्या के हल करने में हमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं है, यदि पंडित ठाकुर दास भार्गव के सुझावों को मान लिया जाये तो इस समस्या का उचित समाधान हो सकता है ।

कानून में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि उन चुनाव-क्षेत्रों में निर्वाचन सारे देश के निर्वाचनों के साथ ही हों । वहां की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वहां पर बर्फ गिरने से पहले ही निर्वाचन कराये जा सकते हैं ।

जहां तक मुझे याद है, पहले सामान्य निर्वाचन में इसी तरीके को अपनाया गया था । हिमाचल और कांगड़ा तथा कुल्लू में सितम्बर-अक्तूबर १९५१ में निर्वाचन करा लिये गये थे जब कि शेष स्थानों के लोगों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन मार्च १९५२ में हुआ था । यदि इस विधि का अवलम्बन किया जाये तो बिल पेश करने का उद्देश्य पूरा हो जायेगा ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : सभापति महोदय, मैं श्री हेमराज को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह बिल पेश करके सरकार और निर्वाचन आयोग का ध्यान इस गलत स्थिति की ओर आकर्षित किया है जिसके अन्तर्गत सभा के ८ सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते । किन्तु इस बिल से समस्या का पूरा हल नहीं प्राप्त होता । इस बिल के पास होने पर भी वे सदस्य लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकेंगे । अत : सरकार को पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तुत और कलकत्ता के माननीय सदस्य द्वारा समर्थित सुझाव पर विचार करके उसे कार्यान्वित करना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अजित सिंह सरहदी]

मेरे पूर्ववक्ता ने यह कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ७३ संविधान के विरुद्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते। किंतु हमें इन सूक्ष्म कानूनी बातों में न पड़ कर यह देखना चाहिए इन चुनाव क्षेत्रों से चुन कर आने वाले सदस्यों को मतदान के प्रयोग का अवसर किस प्रकार उपलब्ध किया जा सकता है।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : चेयरमैन साहब, जहां तक इस बिल के प्रिंसिपल का ताल्लुक है, मैं उस की हिमायत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं नहीं समझता कि इस आनरेबल हाउस का कोई भी मुअज़्ज़िज़ मेम्बर इस राय का हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश के चार मेम्बरों और कांगड़ा ज़िले के दो लोक सभा के मेम्बरों और दो पंजाब विधान सभा के मेम्बरों को जो मौजूदा तरीके की वजह से राय का इस्तेमाल करने के हक़ से डिप्राइव किया गया है, वह हक़ उन को न मिले। जो कुछ अर्ग्युमेंट्स मुझ से पहले मेरे बुजुर्ग दोस्त, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने या आनरेबल मेम्बर फ्राम कलकत्ता ने दी हैं, मैं उन को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, यह कोई उस तक्लीफ का सही इलाज नहीं है। एक तो यह बिल नाकाफी है, क्योंकि इस में इस बात की कोशिश तो की गई है कि हमारे जून और जुलाई में चुने हुए मेम्बरों को प्रेज़िडेंट और वाइस-प्रेज़िडेंट के अगले इलैक्शन के लिये मेम्बर तसव्वुर किया जाये, लेकिन इस में इस सवाल का कोई हल पेश नहीं किया गया है कि उन को लोक सभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलैक्शन में भी राय देने का मौका दिया जाये। नये इलैक्शन के बाद हाउस अप्रैल या मई में मिलता है। अगर इस बिल को एक्सेप्ट भी कर लिया जाये, तो भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के मामले में हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा जिले के दो मेम्बरों को राय देने का कोई हक नहीं मिलता है। इसलिये उन की कुछ तक्लीफ़ हल होगी और कुछ बाकी रहेगी। इसलिये यह बिल नाकाफी है। जैसाकि कलकत्ता के आनरेबुल मेम्बर ने कहा है, मैं खुद इस बात को मुनासिब समझता हूं कि जो मेम्बर अब हैं, हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश उन को अगली दफा इलैक्ट न करे और इस-लिये यह उसूल ग़लत होगा कि हाउस के डिज़ाल्व होने के बाद भी उन को मेम्बर तसव्वुर कर लिया जाये। इस सवाल का यह सही इलाज नहीं है।

मुझे तो यह ग़लती इलैक्शन कमीशन की मालूम होती है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि १९५२ में हिमाचल प्रदेश का इलैक्शन फ़रवरी, १९५२ से पहले, यानी सितम्बर अक्तूबर, १९५१ में खत्म हो गया था। रिप्रैज़ेन्टेशन आफ़ दि पीपल्ज़ एक्ट, १९५१ के सैक्शन ३० के तहत इलैक्शन कमीशन को यह अख्तियार है कि वह किसी कांस्टीच्युएन्सी को दावत दे कि वह अपने नुमायन्दे इलैक्ट करे। जहां तक हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा ज़िला का ताल्लुक है, वही इलैक्शन कमीशन उस को इस सिलसिलेमें पहले दावत दे सकता है। अगर सारे रिज़प्रेज़ेन्टेशन आफ़ दि पीपल्ज़ एक्ट का अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचें या ला मिनिस्टर इस नतीजे पर पहुंचें कि उस में एक अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जिस की वजह से इलैक्शन कमीशन को यह हक हो कि वह हाउस के पूरे तरीके से डिज़ाल्व होने से पहले हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा के वोटर्ज़ को अपने मेम्बर इलैक्ट करने की दावत दे, तो फिर उस एक्ट में उस किस्म की अमेंडमेंट हो सकती है। मेरे लायक दोस्त ने इस सैक्शन में जो अमेंडमेंट पेश की है, इस से और पेचीदगी पैदा होगी और वह मसला हल नहीं होगा।

मैं समझता हूं कि मेरे लायक दोस्त श्री हेम राज इस बिल को विदड्रा करें और साथ ही साथ मैं ला मिनिस्टर से यह उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा के मेम्बरों को सरटेन राइट्स से जो डिप्राइव किया गया है, वह उस का लाज़िमी तौर पर इलाज करें और आज ही इस हाउस में एशोरेंस दें कि वह इस तरीके से इस का इलाज कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ में इस बिल के प्रिंसिपल की हिमायत करता हूं और वैसे मैं ग्रानरेबुल मूवर से दरख्वास्त करता हूं कि वह इस को वापस ले लें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : जहां तक इस विधेयक के संवैधानिक ग्रौचित्य का प्रश्न है, इस बारे में दो मत नहीं हो सकते । मुझ से पहले बोलने वाले लगभग सभी सदस्यों द्वारा यह बात मानी जा चुकी है, यद्यपि उन्हों ने इस बात का प्रतिपादन बड़ा रुक रुक कर और संकोच के साथ किया है ।

श्रीमान् ! यदि हम संविधान को ग्रमली रूप नहीं देंगे तो उस का महत्व निर्जीव शब्दों के समान रह जायेगा । प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तुत करने वाले सदस्य के उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त किया जाये । जो सुझाव पंडित ठाकुर दास भार्गव ने दिया और जिस का समर्थन कुछ ग्रन्य सदस्यों ने किया है, उस को मानने से तो निर्वाचन ग्रायोग पर ग्रनावश्यक रूप से भार बढ़ जायेगा ।

श्री हेमराज द्वारा पेश की गई तजवीज़ व्यवहारिक भी है और विधि-सम्मत भी । ग्राखिर संविधान हवा में नहीं रहता और कानून का पालन ग्राकाश में नहीं हो सकता । इन सब बातों की ग्रोर हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण ग्रपनाना चाहिय । श्री हेम राज ने जो सुझाव दिया है वह संविधान की मूल धाराग्रों के ग्रनुरूप है और कानून के सामान्य सिद्धान्तों से भी उस का कोई विरोध नहीं है ।

इस विधेयक द्वारा कुछ सीमित व्यक्तियों को एक सीमित समय के लिये एक सीमित सा ग्रधिकार दिया जा रहा है, जिस पर कोई ग्रापत्ति नहीं होनी चाहिये ।

इस प्रश्न का एक पहलू और भी है । मेरा विचार है कि भारत में हिमाचल और कांगड़ा ग्रादि के ग्रतिरिक्त और भी ऐसे स्थान है जो हिमाच्छादित रहते हैं । उन के सम्बन्ध में निर्वाचन ग्रायोग ने क्या व्यवस्था कर रखी है । फिर संसार में ग्रन्य भी देश हैं जहां बर्फ गिरती है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वहां पर निर्वाचनों के सिलसिले में क्या प्रबन्ध किये जाते हैं । जहां तक मुझे ज्ञात है, इंग्लैण्ड में इन भौगोलिक कठिनाइयों का हल निकाल लिया गया है । बुद्धिमत्ता तो यही है कि सारे देश में सर्वत्र एक साथ ही निर्वाचन हों । किन्तु यदि यह सम्भव न हो तो श्री हेम राज द्वारा पेश किये गये व्यवाहारिक, युक्तियुक्त, संविधान की दृष्टि से मान्य और काननी रूप से उचित सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

चौ० रणवीर सिंह : सभापति महोदय, श्री हेमराज जी के संशोधक विधेयक के पीछे जो भाव है, उस की मैं ताईद करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद वह भी ग्रपने दिल में मानते हैं कि यह कानून बदलने के लिये इस की कोई ग्रावश्यकता नहीं है और वह तो चाहते थे कि यह जो मसला है, वह देश के सामने ग्राये और इस की ग्रहमियत सदन को पता चले । जैसाकि मेरे पूर्व-वक्ताग्रों ने कहा है, जहां तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलैक्शन में खड़ा होने का वास्ता है, वह तो ग्रादमी बग़ैर सदस्य बने भी हो सकता है। मेरे प्रतिद्विंद्वी चौ० हरीराम १९५२ में भी मेरे खिलाफ इलैक्शन में लड़े और १९५७ में भी मेरे खिलाफ इलैक्शन लड़े और दोनों चुनावों में हारे, लेकिन फिर भी वह दोनों दफा राष्ट्रपति के इलैक्शन का चुनाव लड़े । जहां तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का वास्ता है, वह ग्रधिकार तो हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा के मेम्बरों को है, लेकिन उस इलैक्शन में राय देने का हक उन को नहीं है । इसी तरह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलैक्शन में भी न तो उन को खड़ा होने का ग्रधिकार है और न ही वोट देने का ग्रधिकार है । मैं समझता हूं कि जो सन् १९५२ में हुग्रा, वह ग्रागे १९६२ में भी हो सकता है और दस साल के बाद वही १९५२ वाला तजुर्बा दोहराया जा सकता है और दोहराया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणवीर सिंह]

लेकिन मैं जानता हूं कि रिप्रेजेन्टेशन आफ़ दि पीपल्ज़ एक्ट में तब्दीली आयेगी और वह इसलिये कि ज्यों ही हम बम्बई के री-आर्गनाइजेशन बिल को, जोकि इस वक्त हमारे सामने है, पास करेंगे, तो उस के तहत मौजूदा बम्बई राज्य की जो राज्य सभा की निशस्तें हैं, उन को बढ़ा कर दो निशस्तें गुजरात को दी जायेंगी। मैं समझता हूं कि जिस तरफ़ श्री हेम राज को ध्यान दिलाना चाहिये था, वह उन्हों ने नहीं दिलाया, क्योंकि वह बहुत ज्यादा कांस्टीच्यूशनल नुक्ताए-निगाह में फंस गये, जिस की यहां के वकील बहुत ज्यादा ताईद नहीं कर पाये। मेरा मंशा है कि पंजाब में जो ज़िलों की री-आर्गनाइजेशन हुई है, उस के तहत लाहौल और स्पिति के इलाके को एक ज़िला माना गया है और मैं समझता हूं कि यह बहुत ज़रूरी होगा कि जो संशोधक विधेयक हम लायें उस में यह भी रखा जाये कि पंजाब विधान सभा का जहां तक वास्ता है, वहां दो सीटें बढ़ाई जायें—एक लाहौल को दी जाये और एक स्पिति को दी जाये। आज चीन ने इस देश के लिये जो खतरा पैदा किया है, उस के नुक्ता-ए- निगाह से भी यह बहुत ज़रूरी है कि उन के नुमायन्दे पंजाब असेम्बली में आयें। यही नहीं, पंजाब के १८ नुमायंदे पहले इस सदन में होते थे और ५ पैप्सू के होते थे और जिस वक्त पंजाब और पैप्सू को मिला कर हम ने डीलिमिटेशन की, तो २३ के बजाय २२ मेम्बर कर दिये मैं चाहता हूं कि उस को दोबारा २३ कर दिया जाये और लाहौल और स्पिति स भी एक मेम्बर इस सदन में आये। मैं समझता हूं कि इस वजह से हमें इस कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी और जो बिल आये, उस में इन दोनों चीजों का अवश्य ज़िक्र हो। जहां तक उन की आपत्ति का वास्ता है, मैं समझता हू कि उस का तो हल होना चाहिये। पिछली दफा जब इलैक्शन का प्रोग्राम बना, तो उस के तहत चुनाव पहले खत्म हो जाना चाहिये था और उस के लिये वे तैयार भी भी हुए, लेकिन अचानक उस चुनाव को रोक दिया गया और उस चुनाव के प्रोग्राम में फर्क डाल दिया गया। पता नहीं कि इलैक्शन कमीशन को इस में क्या मुश्किलात थीं। लेकिन पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो सुझाव दिया है, मैं समझता हूं कि उस को मानने में न तो इलैक्शन कमीशन को कोई एतराज़ हो[illegible] और न ही विधि मंत्रालय को होना चाहिये।

श्री शि० न० रामौल (महासू): जनाब चेयरमैन साहब, यह जो बिल हमारे सामने है और जिस को मेरे दोस्त श्री हेम राज ने पेश किया है, इस के बारे में मुख्तलिफ कानूनी रायें यहां पर रखी गई हैं। श्री दी० चं० शर्मा जी ने कहा है कि दूसरे इलाके भी, जहां पर कि बरफ पड़ती है, इस में शामिल कर लिये जाने चाहियें। मैं समझता हूं कि इस बिल की जो भावना है वह यही है, इस का जो मतलब है, वह यही है कि जिन इलाकों में बरफ पड़ती है, मसलन हिमाचल प्रदेश के ऊपर का इलाका है, पंजाब के ऊपर का इलाका है और भारतवर्ष में अगर और कोई ऐसे इलाके हैं जहां बरफ पड़ती है वहां पर इलैक्शन का कौन सा तरीका अपनाया जाये। यह निहायत ज़रूरी चीज़ है कि वहां के लोगों को, वहां के नुमाइंदों को, प्रेजीडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इत्यादि की इलैक्शन में पूरा हिस्सा मिले। यह उन का अधिकार है, यह उन का हक है जोकि उन को मिलना चाहिये और उस हक को कायम रखना ही इस बिल का मकसद है। यही चीज़ है, जोकि इस हाउस को, गवर्नमेंट को, ला डिपार्टमेंट को और इलैक्शन कमिशन को सोचनी है। यह चीज़ पंजाब और हिमाचल तक ही सीमित नहीं है बल्कि सभी इलाकों पर लागू होती है जहां कि बरफ पड़ती है। यह कहा गया है कि जिन लोगों का इलैक्शन खत्म हो चुका है हाउस डिज़ाल्व हो चुका है उन को यह हक नहीं दिया जा सकता है कि वे प्रेज़ीडेंट, स्पीकर इत्यादि की इलैक्शन में हिस्सा लें और यह चीज़ अवैध हो सकती है। इस के बारे में एक सुझाव पंडित ठाकुर दास जी ने दिया है जिस पर विचार हो सकता है। एक घटना जो घटित हो चुकी है, मैं आप को बतलाना चाहता हूं। १९५२ का जो इलैक्शन था, हिमाचल प्रदेश ने उसे अक्तूबर १९५१ में ही खत्म कर दिया था और जब वह वहां खत्म

हो चुका, उस के बाद जा कर तमाम भारतवर्ष में दूसरी जगहों पर इलैक्शन हुआ। इस तरह से अगर कानूनी और कांस्टीट्यूशनली कोई सहूलियत हो सके स्नोबाउंड एरियाज़ के लिये तो यह बहुत अच्छी बात होगी।

मैं आप को यह भी बतलाना चाहता हूं कि जहां तक हिमाचल का ताल्लुक है, वहां पर जो बरफानी इलाकों हैं, वहां से तमाम लोग बरफ के दिनों में मैदानी इलाकों में आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। दूसरे मुल्कों में बरफ के दिनों में इलैक्शन करना सम्भव हो सकता है लेकिन वहां संभव नहीं हो सकता है। इस का कारण यह है कि वहां रहने वाले लोग बरफ के दिनों में गरम इलाकों में चले जाते हैं और अपने कुन्बों के साथ और अपनी भेड़-बकरियों के साथ और इसलिये बरफ के, दिनों में वहां इलैक्शन होना ना-मुम्किन है। इस वास्ते सितम्बर-अक्तूबर में अगर कोई अड़चन न हो तो वहां इलैक्शन करने की तजवीज़ हो जाय, तो बहुत अच्छा होगा और जो मंशा इस बिल का है वह इस तरह से पूरा हो सकेगा और जो समस्या है, उस का समाधान हो सकेगा।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मुझे खेद है कि मुझे इस विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है। मैं ऐसा अनिच्छा से कर रहा हूं क्योंकि सरकार विधेयक के सिद्धान्त से सहमत है। जब संविधान ने मतदान का अधिकार किसी सदस्य को दिया है, तो उस को वंचित नहीं किया जाना चाहिये। परन्तु भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र के लोग चुनाव में मतदान नहीं कर पाते हैं। कारण यह कि चुनाव के समय यह क्षेत्र बर्फ से ढका होता है और सदस्यों के चुन कर आने तक विभिन्न चुनाव खत्म हो चुके होते हैं जिन में हिस्सा लेना इन का हक है मैं ने इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया है। इस का हल निकालने के लिये पूरे ध्यान से प्रयत्न किया जा रहा है और मुझे पूरी आशा है कि आगामी चुनावों तक हम इस समस्या का हल सदन के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ हो जायेंगे। माननीय सदस्य ने जो इस मामले की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करवाया है, उस के लिये सरकार उन का आभार मानती है।

परन्तु इस में एक कठिनाई है जिस की ओर कि पंडित ठाकुर दास भार्गव तथा श्री साधन गुप्त ने ध्यान आकृष्ट किया है। प्रस्तावक महोदय जो इस समस्या का हल बता रहे हैं वह ठीक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद ८३(२) कि सभा के विघटन से या निर्धारित अवधि की समाप्ति पर सभा विघटित हो जायेगी जब लोक सभा विघटित हो जायेगी तो फिर उस के सदस्यों के बने रहने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। मुझे खेद है कि जिस अवस्था में विधेयक को प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस बात का आश्वासन मैं देने को तैयार हूं कि इस मामले पर जो जो सुझाव माननीय सदस्यों ने रखे हैं उन का बड़ी गम्भीरता से परीक्षण किया जायेगा, विशेष रूप से श्री साधन गुप्त तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा सुझाई गई इस बात पर विचार किया जायेगा कि अन्य चुनावों से पूर्व इन का चुनाव करवा लेना सम्भव है या नहीं। यदि यह सम्भव हो सका, तो यह समस्या का बहुत अच्छा हल होगा। मुझे विश्वास है कि इस आश्वासन के बाद माननीय सदस्य अपना विधेयक वापस ले लेंगे।

†**श्री हेम राज** : मैं बड़ा आभारी हूं कि सरकार तथा माननीय सदस्यों ने विधेयक में निहित सिद्धान्तों का समर्थन किया है और हमारी कठिनाइयों को समझा है। मुझे विश्वास है कि सरकार

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री हेम राज]

इस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न करेगी और चुनाव आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेगी । मैं सभा से इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहूंगा ।

विधेयक, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

कैथोलिक चर्च परिसर और पादरी संघ (राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबन्ध) विधेयक, १९५९

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर): इस विधेयक को, जो श्री त० ब० विट्ठलराव के नाम में है, विचार के लिये प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं । श्री विट्ठलराव को आज कार्यवश दिल्ली से बाहर जाना पड़ा ।

इस विधेयक का उद्देश्य है देश के धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्र को दृढ़ बनाना और उस की रक्षा करना । उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में बताया गया है कि इस के लिये कैथोलिक चर्च के पादरियों की राजनीतिक गतिविधि पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है । संविधान के अनुच्छेद २५(२)(क) में इस की व्यवस्था की गई है ।

प्रतिबन्ध राजनीतिक गतिविधि पर ही होंगे, धार्मिक पर नहीं । धार्मिक नेताओं का राजनीति में हस्तक्षेप करना अवांछनीय है । धर्म के मामले में हर नागरिक को पूरी-पूरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है । लेकिन धर्म के राजनीति पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जाती । एक धर्म मानने वाले लोग विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं को अपना सकते हैं । यही हमारी परम्परा रही है । लेकिन कैथोलिक चर्च इसे नहीं मानता । वह कैथोलिक धर्म के अनुयायियों के राजनीतिक विचारों में भी हस्तक्षेप करता रहा है । यह धर्म हमारे देश में एक ऐसे समय में आया था जबकि संसार में साम्राज्यवाद दृढ़ होता जा रहा था ।

लेकिन आज मुख्य प्रश्न यह है कि हमारे देश में इस धर्म को प्रेरणा कौन देता है और रूपया कहां से मिलता है । 'टाइम्स आफ इंडिया' के अनुसार हमारे देश में स्थित विदेशी मिशनों को १६५६ में ६.२८ करोड़, १६५७ में ६.५३ करोड़, और १६५८ के पहले छः महीनों में ५ करोड़ रुपये विदेशों से सहायता के रूप में मिले हैं । कैथोलिक मिशनों ने हमारे देश में ४,५०० से अधिक विदेशी मिशनरियों को पंजीयित कराया है । उस की गतिविधि का संचालन एक ऐसा संगठन करता है जो विदेशी है ।

मैं स्वयं भी एक कैथोलिक कालेज में पढ़ा हूं । १६३४ में मेरे ऊपर एक बार जुर्माना इसलिये किया गया था कि मैं श्री जवाहरलाल नेहरू की एक सभा सुनने गया था । मेरा एक अपराध यह था कि मैं स्मिथ की लिखी हुई इस बात को नहीं मानता था कि मुहम्मद बिन तुग़लक एक पागल बादशाह था ।

१६५३ में मेरे भाई पर इसलिये जुर्माना किया गया था कि वह 'ब्लिटज़' पत्र पढ़ता था । इस प्रकार लोगों के दिमाग़ों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं । उन कालेजों में कैथोलिक पत्रों को ही

---

†मूल अंग्रेजी में

पढ़ा जा सकता है । १९३६ में कैथोलिक चर्च ने हमारे देश में स्पेन की तानाशाही के समर्थन में प्रचार किया था । कैथोलिक चर्च ने गोवा की स्वतंत्रता के संग्राम में भी हस्तक्षेप किया ।

इसी तरह १९५५ में आन्ध्र के चुनावों में कैथोलिक चर्च ने हस्तक्षेप किया । नैल्लोर के बिशप ने उस समय एक परिपत्र भेजा था, जिस में राजनीतिक हिदायतों के अतिरिक्त यह भी लिखा गया था कि यदि सरकारी अधिकारी विदेशी मिशनों की सम्पत्ति के बारे में कुछ पूछताछ करने आयें, तो उन को कोई उत्तर न दिया जाये । उन को बिशप के पास भेज दिया जाये । पुलिस के प्रश्नों के उत्तर व्यक्तिगत तौर पर न दिये जायें । मैं पूछता हूं कि वे अपनी सम्पत्ति को इतना गुप्त क्यों रखना चाहते हैं ? सचाई से इतना क्यों घबराते हैं ? यह परिपत्र २० जनवरी, १९५५ को भेजा गया था ।

धर्म से बहिष्कृत करने की धमकियों के बारे में मैं इस सभा में कई बार बता ही चुका हूं । केरल में चुनावों के समय लोगों को बहिष्कृत किया भी गया है । इस ढंग से तो किसी भी अन्य धर्म ने हमारे दैनिक राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया ।

और देखिये । रेव० मारिया डौस ने न्यायालय में एक जिरह के सिलसिले में कहा था कि कैथोलिकों को हिज़ होलीनैस (पोप) की बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास करना चाहिये, उन के निर्णयों के बारे में वे कोई शंका नहीं कर सकते । यदि पोप भारत के कैथोलिको को आदेश दें कि प्रधान मंत्री नेहरू को वोट न दें, तो कैथोलिकों को उसे मानना पड़ेगा । इस से आप स्वयं ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं ।

हमारे देश में कैथोलिक चर्च ने हमेशा ही प्रतिक्रियावाद का समर्थन और प्रगति का विरोध किया है । उस ने शुरू ही से प्रधान मंत्री की नीतियों का विरोध किया है । आज भी वे समाजवाद के विरोधी हैं । कल यदि स्वतंत्र पार्टी सत्तारूढ़ हो जाये, तो वे कहने लगेंगे कि पंडित नेहरू एक प्रच्छन्न कम्युनिस्ट हैं । तब पोप का आदेश होगा कि स्वतंत्र पार्टी को वोट दो ? नहीं तो बहिष्कृत कर दिये जाओगे ।

कैथोलिकों द्वारा किये जाने वाले इस राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म करना पड़ेगा । तभी हमारा राज्य धर्म-निरपेक्ष रह सकता है ।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : माननीय सदस्य ने प्रस्ताव तो प्रस्तुत ही नहीं किया ।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्षमा कीजिये । मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि कैथोलिक चर्चों के राजनीतिक प्रयोजनों के लिये काम में लाने तथा कैथोलिक चर्च के पादरियों के राजनीतिक कार्यों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री मणिअंगाडन** (कोट्टयम) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । कम्युनिस्ट वक्ता का यह कथन ग़लत है कि भारत में कैथोलिक धर्म एक ऐसे समय में आया था, जबकि संसार में साम्राज्यवाद दृढ़ हो रहा था । कैथोलिक धर्म हमारे यहां ५२वीं ईसवी में आया था । उन की यह बात भी ग़लत है कि कैथोलिक धर्म को विदेशों से ही आर्थिक सहायता मिलती है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री मणियंगाडन]

विदेशों के कुछ ऐच्छिक संगठनों से थोड़ी-कुछ सहायता जरूर मिलती है, लेकिन विदेशी अभिकरणों का नियंत्रण नहीं है। एक माननीय सदस्य नियोगी प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहे हैं। वह प्रश्न इस से संगत नहीं है।

माननीय वक्ता ने नैल्लोर के बिशप के एक परिपत्र का हवाला दिया है। हो सकता है कि बिशप ने वह पत्र अधिकारी रूप में न लिखा हो। और यदि ऐसा कोई परिपत्र है भी, तो उन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन वह राजनीति में हस्तक्षेप तो नहीं कहा जा सकता।

और विदेशों से जो रुपया मिलता है वह अस्पतालों, पूर्व संस्थाओं और स्कूल-कालिजों पर ही खर्च होता है।

चर्च ने कभी भी भारत के हितों का विरोध नहीं किया। यदि किया हो, तो विरोधी सदस्य उस का उदाहरण बतायें। स्कूलों-कालिजों में प्रतिबन्ध लगाने का कारण यह है कि वे शिक्षा-संस्थाओं में राजनीति को आड़े नहीं आने देना चाहते। इसलिये वहां अनुशासन बना रहता है।

सभी स्कूल कालिज ऐसे प्रतिबन्ध लगाते हैं कैथोलिक चर्च की तो एक कोई राष्ट्रीयता नहीं है। यह विधेयक कैथोलिक चर्च के अधिकारियों की कुछ कार्यवाहियों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहता है। धर्म जीवन के चरम उद्देश्य का एक दृष्टिकोण है।

धर्म-निरपेक्ष राज्य का यह अर्थ तो नहीं होता कि वहां धर्म का जीवन पर कोई प्रभाव ही न हो। धर्म तो वास्तव में जीवन के सभी पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालता है। हमारे संविधान की धारणा भी यही है कि यदि धर्म देश के कानूनों के अनुसार चले तो उस के विरूद्ध कोई कानून नहीं बनाया जायेगा।

कैथोलिक धर्म तो सार्वभौमिक है? कैथोलिक लोग धर्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार भी नहीं मांगते। प्राचीन काल से उन को ऐसे ही आदेश और उपदेश दिये गये हैं कि राजनीति से दूर रहो, और नागरिक प्रशासन में दखल मत दो।

चर्च की हमेशा से यही नीति रही है। १६५० में बंगलौर में कैथोलिक आर्कबिशपों और बिशपों का एक सम्मेलन हुआ था। उस ने कुछ नियम बनाये थे। नियम ७५ में कहा गया है कि कैथोलिकों को अपने धर्मराज्य के प्राधिकार को राजनीतिक दलों के प्रयोजन के लिये इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। नियम १७५(१) में कहा गया है कि उन्हें दल-गत राजनीति में नहीं पड़ना चाहिये। ये नियम आज भी लागू हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं कि धर्म के अधिकारियों को अपने नागरिक अधिकार छोड़ देने चाहियें। नियम १७५ में कहा गया है कि वे व्यक्तिगत रूप से अपने निजी राजनीतिक विचार रख सकते हैं; लेकिन उनको सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते और न किसी दल में शामिल हो सकते हैं।

कैथोलिक धर्म को राजनीति से इतना ही संबंध है कि ईश्वर के कानूनों के विरुद्ध चलने वाले राजनीतिक दलों से अपने अनुयायियों को आगाह करें। नियम १६१ में कहा गया है कि दल

गत राजनीति में, ईश्वरीय कानूनों के विरुद्ध चलने वाले दलों की राजनीति में सक्रिय रहने वाले लोगों को धर्म में सम्मिलित करने से इन्कार किया जा सकता है। कम्युनिज्म, मार्क्सवाद और भौतिकवाद के सिद्धान्तों पर आधारित दलों को इसी श्रेणी में रखा गया है। यह धार्मिक सिद्धान्तों के आधार पर ही किया गया है। मैं पूछता हूं कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी किसी कम्युनिस्ट विरोधी को अपना सदस्य बनायेगी?

यह तो बड़ी स्वाभाविक बात है। कोई भी संगठन अपने विरोधी को शामिल नहीं करता।

स्पष्ट है कि यदि कोई कैथोलिक किसी ऐसी विचारधारा को अपना ले, जो कैथोलिक धर्म को विरोधी हो, तो उसे बहिष्कृत करना ही पड़ेगा। बहिष्कार का मूल कारण तो यही होता है कि उस व्यक्ति ने पहले ही कथोलिक धर्म को त्याग दिया होता है। उसने तो स्वयं ही अपने को पहले बहिष्कृत कर लिया।

इस पर तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। ऐसा व्यक्ति तो पहले ही धर्म के नियमों को तिलांजलि दे चुका होता है।

क्या आप यह चाहते हैं कि प्राचीनकाल से चले आने वाले धार्मिक नियमों में अब परिवर्तन किया जाना चाहिये? धर्म-विरुद्ध आचरण करने वालों को सम्मिलित कैसे किया जा सकता है? इसका मतलब तो यह हुआ कि कैथोलिक चर्च को अपने धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिये।

किसी भी तटस्थ व्यक्ति को इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

मैं मानता हूं कि कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें धर्म-अधिकारियों ने कोई गलत निर्णय किया हो किसी के बारे में। लेकिन उसको लेकर पूरे धर्म और उसके सभी अधिकारियों पर तो आपत्ति नहीं की जा सकती।

यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद १४, १५, २५ और २६ के विरुद्ध है। अनुच्छेद २६ के अनुसार धार्मिक मामलों का प्रबन्ध अपने ढंग से करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिये। विधान मंडल धार्मिक संगठनों के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यदि कोई चर्च के सिद्धान्तों के विरुद्ध आचरण करता है तो उसे चर्च से बहिष्कृत किया जाना बिल्कुल सही है। लेकिन किसी को बहिष्कृत करने से उस पर कोई वैधानिक अनर्हता तो नहीं थोपी जाती। उसे चर्च के धार्मिक कृत्यों से बहिष्कृत किया जाता है और उसमें कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

और फिर, सिर्फ कैथोलिक चर्च के लिये ही ऐसा विधान क्यों किया जाये? अन्य धर्मों को क्यों छोड़ दिया गया है? यह विभेद क्यों?

अनुच्छेद १५(१) में ऐसे विभेद के विरुद्ध व्यवस्था की गई है। यह विधेयक उन सभी संवैधानिक व्यवसथाओं का उल्लंघन करता है।

फिर प्रश्न उठता है कि क्या ये कैथोलिक धर्माधिकारी भारत के नागरिक नहीं हैं? एक नागरिक की हैसियत से तो वे राजनीति में भाग ले ही सकते हैं। चर्च ने तो सिर्फ इसी बात पर प्रतिबंध लगाया है कि चर्च के प्राधिकार को राजनीति प्रयोजन के लिये प्रयुक्त न किया जाये। वे अपनी निजी राजनीतिक राय तो रख सकते हैं।

एक याचिकाकार ने यह प्रश्न एकबार उठाया था। उसके संबंध में निर्वाचन विधि प्रतिवेदनों में कहा गया है कि धार्मिक व्यक्ति, नागरिक की हैसियत से, चर्च या धर्म के विरुद्ध दलों के बारे

[श्री मणियंगाडन]

में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। वे उम्मीदवारों के बारे में अपने धर्म के मतदाताओं को सलाह दे सकते हैं। लेकिन इस विधेयक में उस पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है।

श्री अ० क० गोपालन ने बहिष्कार के संबंध में एक परिपत्र का उल्लेख किया था। मैंने उसकी जांच की है। वह परिपत्र मलयालम भाषा में था। वह कार्मेलाइट थर्ड आर्डर नामक संस्था के निदेशक फ० बोनावेंतूरे द्वारा पानिक्कासेरी फ्रांसिस के नाम भेजा गया था। उसमें पानिक्कासेरी के नाम लिखा था : "मुझे सूचना मिली है कि आप कम्युनिस्ट पार्टी का काम करते हैं और अब मगर आप मुझे यह सूचित नहीं करते कि आपने वह काम बन्द कर दिया है, तो आपको संस्था से निकाल दिया जायेगा।" कार्मेलाइट संस्था एक इच्छिक संस्था है और उसके अपने नियम हैं। वह संस्था कैथोलिक चर्च नहीं है। यदि कोई संस्था के नियमों का उल्लंघन करता है, तो स्वाभाविक है कि संस्था उसको निकाल सकती है। संस्था से निकालना, चर्च से बहिष्कृत करना तो नहीं है। लेकिन श्री गोपालन ने उसका गलत अनुवाद करके, उसे इस तरह रखा है जैसे कि उसमें चर्च से बहिष्कार की बात कही गई थी। यह बिल्कुल ग़लत बात है।

इस विधेयक में कैथोलिक चर्च की परिभाषा चर्च की इमारत की गई है। खण्ड ३ में कहा गया है कि किसी भी चर्च या चर्च के परिसर या उसके संसाधनों को राजनीतिक कार्यवाही के लिये इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। इसका अर्थ यह होता है कि न तो चर्च की इमारत और न चर्च द्वारा चलाये जाने वाले किसी भी स्कूल में कोई भी राजनीतिक प्रकार की सभा तक नहीं की जा सकेगी। मैं तो समझता हूं कि यह अति करना है।

खण्ड ३ के उल्लंघन के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का भार कार्यपालिका को सौंपा गया है, न्यायपालिका का तो कहीं उल्लेख भी नहीं है। पता नहीं वे न्यायपालिका से इतने घबराते क्यों हैं। शायद भय खाते हैं।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य एक समुदाय विशेष पर कीचड़ उछालना है। और इसे ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया था जब कि केरल में कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध जनता का संघर्ष जारी था। कम्यूनिस्ट लोगों ने कैथोलिकों से बदला लेने के लिये ही यह विधेयक रखा है। इसलिये इस विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकुन्दपूरम्) : मादनीय मित्र ने कैथोलिक चर्च की ओर से कुछ बातें तो कबूली हैं। जहां तक हमारा संबंध है, कम्युनिस्ट दल कभी भी न तो कैथोलिक धर्म के विरुद्ध रहा है और न कैथोलिक धर्म को मानने वालों के। हमने इसीलिये श्री प्रकाशवीर शास्त्री के उस विधेयक का जमकर विरोध किया था जिसमें विदेशी मिशनरियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने की बात थी। हमने तभी कहा था कि वह विधेयक संविधान के अनुच्छेद २५ की भावना के विरुद्ध है। अपने धर्म के अनुसार आचरण करना, नागरिकों का मूलभूत अधिकार है। लेकिन वर्तमान विधेयक में तो वह उद्देश्य नहीं रखा गया। इसका उद्देश्य तो धर्म के दुरुपयोग को रोकता है।

हम कैथोलिक धर्म, कैथोलिक चर्च और कैथोलिक चर्च के कार्यों को अलग-अलग देखते हैं, तीनों को एक में गड़बड़ाते नहीं। माननीय सदस्य ने कहा है कि यह विधेयक कम्युनिस्टों ने बदले की भावना से रखा है। लेकिन हमने जो भी बातें कहीं हैं, उसके प्रमाण में बड़े बड़े दस्तावेज़ पेश

†मूल अंग्रेज़ी में

किये हैं। उनमें कई आयोगों द्वारा निकाले हुए निष्कर्ष हैं। वे निस्कर्ष भी ऐसे बड़े बड़े व्यक्तियों ने निकाले हैं, जो पहले कभी कैथोलिक रहे थे। कैथोलिकों को अपने धर्म का प्रचार करने का पूरा अधिकार है। उसका विरोध कोई नहीं करता। आपत्ति तो इस बात पर है कि धर्म की शक्ति को हमारे धर्म-निरपेक्ष राज्य की कार्यवाहियों को एक खास ढंग से प्रभावित करने के लिये किया जा रहा है।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि कैथोलिक चर्च ने मध्ययुग से लेकल आज तक, और हमारे देश में भी, हमेशा राजनीति में हस्तक्षेप किया है।

माननीय मित्र ने कहा है कि श्री अ० क० गोपालन ने एक परिपत्र का अर्थ ग़लत लगाया था। लेकिन क्या वह इस बात से इन्कार करते हैं कि चुनावों के हाल ही बाद त्रिवेन्द्रम के आर्कबिशप ने एक परिपत्र निकाला था जिसके जरिये केरल में कम्युनिस्ट दल और क्रांतिकारी समाजवादी दल का काम करने वाले सभी कैथोलिकों को चर्च से बहिष्कृत कर दिया गया था। यह समाचार पत्रों में आ चुका है और इसका किसी ने खण्डन भी नहीं किया।

धर्म के नाम पर विदेशों से, कुछ अज्ञात लोगों से बड़ी-बड़ी राशियां मंगाई जाती हैं और उन्हें राजनीतिक प्रयोजनों के लिये व्यय किया जाता है। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं।

†**श्री मणियंगाडन**: अज्ञात लोगों से राशियों नहीं मंगाई जातीं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन**: मैं जानता हूं जनवरी, १९५० से जून, १९५४ तक २९,७७,००,००० रुपये की राशि आयी थी। जनवरी, १९५६ से जून, १९५८ तक २३,९२,००,००० रुपये की, जुलाई, १९५८ से दिसम्बर, १९५८ तक ४.८४ करोड़ रुपये, और जनवरी, १९५९ से अप्रैल, १९५९ तक ३,५०,००,००० रुपये हमारे देश में आये हैं।

यह सूचना हमारे गृह-कार्य मंत्री ने इसी सभा में दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि इस धन को कैथोलिक चर्च किस ढंग से खर्च करे, इस पर कोई भी रोक नहीं है। उसे राजनीतिक प्रचार के लिये भी खर्च किया जा सकता है। यह सही है कि कैथोलिक धर्म के नियमों के अनुसार कैथोलिक पादरियों को राजनैतिक में भाग नहीं लेना चाहिये। लेकिन पादरियों का अमल यह है कि कैथोलिक चर्च चुनावों में भाग लेता है, विशेषकर केरल में।

†**डा० गंगाधर शिव** (चित्तूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां): मैं एक सूचना चहता हूं। क्या माननीय वदस्य ने जो धन के बारे में कहा है, वह उसका प्रमाण दे सकते हैं?

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन**: वह इस सभा के रिकार्ड में मौजूद है।

†**श्री मणियंगाडन**: मैं रिकार्ड बता सकता हूं कि यह बिल्कुल झूठ है। इसके बारे में न्यायिक निर्णय मौजूद हैं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन**: जो भी हो चर्च ने संविधान बनने के बाद से अब तक हर धार्मिक सभा में एक राजनीतिक दल विशेष के आदर्शों का प्रचार करने की कोशिश की है। कैथोलिक पादरी एक वैधानिक रूप से स्थापित सरकार के विरुद्ध प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं। उसके लिये उन्होंने

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री नारायणन् कुट्टि मेनन]

परिपत्र भी जारी किये हैं। अपनी शिक्षा संस्थाओं में वे उपदेश देते रहे हैं कि एक राजनीतिक दल विशेष को वोट नहीं दिये जाने चाहियें।

अभी कुछ दिन पहले फादर मेन्डोज़ा ने २९ साल तक कैथोलिक रहने के बाद उसे त्याग दिया है। उसे त्यागने का, उन्होंने सबसे पहला कारण यह बताया है कि कैथोलिक चर्च राष्ट्रीय भावनाओं और विचारों की अनुमति नहीं देता। उसने उन्हें गोआ के बारे में खास तौर से अपनी राष्ट्रीय भावनायें व्यक्त करने से रोका है। प्रोफेसर मेन्डोज़ा दर्शन-शास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं। उन्होंने अस्तित्ववाद पर एक लेख लिखा था, जो कैथोलिक विश्वास के विरुद्ध पड़ता है। इसके लिए उनकी हत्या तक करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने अपने कारणों में गिनाया है कि कैथोलिक पादरियों ने उनके घर पर पत्थर फिकवाये, छत तुड़वाई और यहां तक कि उनके यहां चोरी का माल भी फिंकवाया। बदनाम करने के लिए उनके पास एक बदचलन स्त्री तक को भेजा गया। कैथोलिकों ने उन्हें १,८७४ पत्र धमकियों से भरे हुए लिखे।

उन्होंने २९ वर्ष के अपने अनुभव के बाद कहा है कि कैथोलिक धर्माधिकारी एक विदेशी शक्ति के इशारों पर भारत की राजनीति में सीधा हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने इसके उदाहरण भी दिये हैं। राजनीति में इस हस्तक्षेप को रोकने की कोशिश करने पर ही १४वें पोप क्लोमेन्ट को ज़हर देकर मार दिया गया था।

यह तो सभी जानते हैं कि पोप का आदेश कैथोलिकों के लिये ईश्वरीय वाक्य की भांति होता है। इसलिए यदि इस देश के संविधान और कैथोलिक उच्च धर्माधिकारियों के बीच कोई विवाद खड़ा हो, तो सभी कैथोलिक रोम के पोप का ही समर्थन करेंगे।

कैथोलिक लोगों से हमारे देश को एक दूसरा बड़ा खतरा शिक्षा-संस्थाओं के बारे में है। वे गैर-कैथोलिक विद्यार्थियों पर भी कैथोलिक धर्म थोपने की कोशिश करते हैं। उनका धर्म बदलने की कोशिश करते हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के लिए एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति ने कुछ बड़े बुनियादी निष्कर्ष निकाले हैं।

समिति ने सब से पहला निष्कर्ष यही निकाला है कि यदि कोई टकराव हो, तो मध्य प्रदेश के कैथोलिक पोप और रोम के चर्च का साथ देंगे, अपने देश का नहीं। उनकी निष्ठा देश पर नहीं, पोप पर है।

देश स्वतंत्र होने से पहले के दिनों में भी मध्य भारत का कैथोलिक चर्च राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध था। उन्होंने उदयपुर को भारत के साथ एकीकृत होने से रोकने की कोशिश की थी।

उस समिति ने कैथोलिक मिशन की एक पत्रिका का एक लेख उद्धृत किया था, जिसमें कहा गया था कि गोवा को भारत में मिलाने की मांग अनुचित है।

इससे स्पष्ट है विदेशों से २० करोड़ रुपया प्रति वर्ष पाकर वे क्या काम करते हैं। यह अधिकांशराशि अमरीका से भेजी जाती है। उस धन का उपयोग पुर्तगाल के पक्ष में गोवा के भारतीय स्वतंत्र्य आन्दोलन के विरुद्ध प्रचार करने में किया जाता है। इससे देश के प्रशासन को एक भारी खतरा है।

और देखिये। योजना आयोग ने निश्चित किया है कि देश में परिवार नियोजन किया जाये। कैथोलिक लोग इसके विरुद्ध हैं। इसलिये कैथोलिक नर्सें परिवार नियोजन का प्रचार नहीं करतीं।

यह भी एक प्रकार की राजनीतिक कार्यवाही है, क्योंकि सरकार ने परिवार नियोजन का निश्चय किया है और वे नर्सें सरकारी सेवा में हैं। यह सरकार की आर्थिक नीति को विफल बनाना ही तो है।

आचार्य विनोबा भावे भी परिवार नियोजन के विरुद्ध हैं, लेकिन वह सरकारी सेवक तो नहीं हैं।

इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि कैथोलिकों की निष्ठा रोम पर है, अपने देश पर नहीं। इसलिए विदेशों से आने वाले धन को नियंत्रित करना जरूरी है।

इस पर एक आपत्ति यह उठाई गई है कि संविधान ने सभी नागरिकों को यह मूलभूत अधिकार प्रदान किया है कि वे अपनी पसन्द के धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान-कारों ने इस अधिकार को निर्बाध नहीं बनाया। अनुच्छेद २५(२) में कहा गया है कि देश का विधानमंडल धर्म से सम्बन्धित राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यवाहियों पर रोक लगाने के लिये विधि बना सकता है। इसलिये यह विधेयक असंवैधानिक नहीं है।

मध्य प्रदेश सरकार जब कैथोलिकों के मामले की जांच के लिए समिति नियुक्त कर रही थी, तब भी यही आपत्ति उठाई गई थी। लेकिन उस याचिका को रद्द कर दिया गया था।

इसलिए संसद् धर्म सम्बन्धी राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारों पर रोक लगाने के लिये सर्वथा सक्षम है। जब बम्बई उच्चन्यायालय को यह मामला सौंपा गया था, तो मुख्य न्यायाधीश छागला ने भी यही राय दी थी।

अपने माननीय मित्र की अपेक्षा, मैं कैथोलिक चर्च के बारे में कहीं ज्यादा जानता हूं। मैंने देखा है कि वे जनता पर कितना जुल्म करते हैं। और यदि आज कैथोलिक चर्च कम्युनिस्टों के खिलाफ़ खड़ा है, तो कल कांग्रेस सरकार के खिलाफ़ भी खड़ा हो सकता है। कैथोलिक चर्च ने गोवा के मामले में पुर्तगाल का साथ दिया है। आज उन्होंने केरल में जो किया था, वही स्पेन में किया था। चर्च ने स्पेन की रिपब्लिकन सरकार के खिलाफ़ विद्रोहियों को तैयार किया था। हमारे प्रधान मंत्री इस बात के साक्षी हैं। इसलिए कैथोलिक चर्च हमारे लोकतंत्र के लिए एक भारी खतरा है।

मैं फिर कहता हूं कि यह विधेयक कैथोलिक धर्म पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहता, बल्कि धर्म और चर्च की शक्ति के राजनीतिक प्रयोजन के लिए किये जाने वाले दुरुपयोग पर प्रतिबन्ध लगाता है। इस में दण्ड यह रखा गया है कि दुरुपयोग करने वाले का नाम सरकारी गजट में छाप दिया जायेगा। यह जरूरी है, क्योंकि कैथोलिकों ने नागा पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसी प्रकार राजनीतिक हस्तक्षेप किया है। इसलिए माननीय मंत्री को यह विधेयक स्वीकार कर लेना चाहिए।

[श्री नारायणन् कुट्टि मेनन]

इसमें कोई हानि नहीं है। यह तो अपने धर्म-निरपेक्ष राज्य की रक्षा के विचार से ही किया जा रहा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब यह चर्चा अगली बार जारी रखी जायेगी।

इस के पश्चात्, लोक-सभा शनिवार, २ अप्रैल, १९६०/१३ चैत्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १ अप्रैल, १९६०/१२ चैत्र, १८८२ (शाक)]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४२१३—३७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२१६	उड़ीसा में बासीमेला परियोजना	४२१३–१४
१२१७	बृहद् कलकत्ता में जल संभरण	४२१४—१६
१२१८	दिल्ली में पश्चिमी यमुना नहर	४२१६–१७
१२१९	सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये इंजीनियरों की तालिका	४२१७–१८
१२२०	संसत्सदस्यों को मालगाड़ियों में यात्रा करने की अनुमति देना	४२१८–१९
१२२१	उड़ीसा में खाद्यान्न का रक्षित भण्डार	४२२०–२१
१२२२	सियालदह डिवीजन में रेलवे दुर्घटना से मृत्यु	४२२१–२२
१२२३	विश्व कृषि प्रदर्शनी	४२२२—२६
१२२४	बम्बई-बगदाद विमान सेवा	४२२६–२७
१२२५	चिकित्सा स्नातक	४२२७
१२२७	खाने योग्य मूंगफली की "खली" का उत्पादन	४२२७—२९
१२२९	दिल्ली बिजली उपक्रम	४२२९–३०
१२३१	दिल्ली ग्वालियर-भोपाल-इन्दौर-बम्बई विमान सेवा	४२३०–३१
१२३२	पलार नदी जल विवाद	४२३१—३३
१२३३	पूर्वोत्तर रेलवे में यात्री सुविधायें	४२३३—३५
१२३४	पाकुर में पत्थर की खानों का बंद होना	४२३५–३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४२३७—५९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२२६	शरवती घाटी परियोजना	४२३७
१२२८	ग्राम सेवक और सेविकायें	४२३७–३८
१२३५	जहाज़ों की मरम्मत की सुविधायें	४२३८

106(Ai) LSD—7

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)	
तारांकित प्रश्न संख्या	
१२३६ दामोदर घाटी निगम का तृतीय तापीय संयंत्र	४२३८
१२३७ पंजाब में रेलों पर अपराध .	४२३९
१२३८ पिपली-कोणार्क सड़क (उड़ीसा) .	४२३९
१२३९ गेहूं मिशन . .	४२३९-४०
१२४० समुद्रपार संचार सेवा रेडियो . . .	४२४०
१२४१ रोहतक तथा चण्डीगढ़ में चिकित्सा कालिज	४२४०
१२४२ मल का बह कर यमुना में गिरना	४२४०
अतारांकित प्रश्न संख्या	
१६५२ तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर योजना	४२४१--४३
१६५३ त्रिपुरा में छोटे सिंचाई कार्य .	४२४३
१६५४ दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं .	४२४३-४४
१६५५ जनगांव में ऊपरी पुल .	४२४४
१६५६ विशाखापटनम पत्तन . . .	४२४४
१६५७ आन्ध्र प्रदेश में औषधियों की देशी पद्धति .	४२४४-४५
१६५८ आन्ध्र प्रदेश में वन विकास . . .	४२४५
१६५९ बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में डाक तार कर्मचारियों को पेशगी वेतन .	४२४५
१६६० केन्द्रीय उपचारिका सेवा . . .	४२४५
१६६१ अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम	४२४६-४७
१६६२ मध्य रेलवे में चोरियां	४२४७
१६६३ मध्य रेलवे के मन्माड-काचेगुडा सैक्शन के स्टेशनों पर बिजली लगाना	४२४७-४८
१६६४ सिकन्दराबाद डिवीज़न में रेल दुर्घटनाएं .	४२४८
१६६५ बिना टिकट यात्रा	४२४८-४९
१६६६ रेलवे के संबंध में वेतन आयोग का प्रतिवेदन	४२४९
१६६७ हिमाचल प्रदेश में गोदाम	४२४९
१६६८ हिमाचल प्रदेश में पंचायतें	४२४९-५०
१६६९ हिमाचल प्रदेश में वन	४२५०
१६७० जहाज बनाना . .	४२५०
१६७१ हिमाचल प्रदेश में नागर नहर परियोजना	४२५०-५१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६७२ अन्दमान की इमारती लकड़ी . ४२५१-५२
१६७३ रेलवे स्लीपर ४२५२
१६७४ रेलवे में महिलाओं की भरती . . . ४२५२-५३
१६७५ केन्द्रीय तिलहन समिति ४२५३
१६७६ चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस . . ४२५३
१६७७ सहकारी खेती . . ४२५४
१६७८ मेडिकल कालेज . . . . . ४२५४—५६
१६७९ भेषज तथा चमत्कारिक उपचार अधिनियम . . ४२५६
१६८० सामुदायिक विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र शिष्टमंडल का प्रतिवेदन ४२५६-५७
१६८१ स्नोडन स्टेट अस्पताल, शिमला . ४२५७
१६८२ मध्य प्रदेश में भाण्डागार . . ४२५७-५८
१६८३ मनीपुर में पुलों का निर्माण ४२५८-५९
१६८४ दिल्ली में पैदल-सड़क पार करने के सिग्नल . . ४२५९
१६८५ बिहार में रेलवे की आउट एजेंसियां . ४२५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४२६०

निम्निलिखित पत्रों की एक-एक प्रतियां सभा पटल पर रखी गयीं :—

(१) १९ दिसम्बर, १९५९ को निजामुद्दीन के भूमिगत बड़े नाले में हुई दुर्घटना के बारे में, जिसमें चार व्यक्ति मारे गये थे, वक्तव्य ।

(२) १९ दिसम्बर, १९५९ को निजामुद्दीन के निकट भूमिगत नाले की खुदाई के समय मिट्टी का ढेर आ पड़ने के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट ।

(३) दिल्ली नगर निगम की जल संभरण तथा गन्दगी सफाई समिति द्वारा पारित किया गया संकल्प ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ४२६०-६१

श्री भा० कृ० गायकवाड़ ने दिल्ली के हस्थसाल गांव में अनुसूचित जाति के लोगों को एक सार्वजनिक कुएं से पानी लेने से कथित रोके जाने की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दातार ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृष्ठ

मंत्री द्वारा वक्तव्य ४२६१

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) ने गोला-बारूद की खरीद के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ३४८ पर श्री हेम राज बरुआ द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के २४ फरवरी, १९६० को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . ४२६१--८३

बम्बई पुनर्गठन विधेयक, १९६० को एक संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन--स्वीकृत ४२८३

इकसठवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक--पुरःस्थापित . . . ४२८३

श्री बि० दास गुप्त का न्यायालय अवमान विधेयक

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक--वापस लिया गया . . . ४३८३--९२

श्री हेम राज के लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। विधेयक, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

गैर सरकारी सदस्य का विधेयक--विचाराधीन . . . ४२९२--४३००

श्री नागी रेड्डी ने प्रस्ताव किया कि कैथोलिक चर्च परिसर और पादरी संघ (राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबन्ध) विधेयक पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शनिवार, २ अप्रैल, १९६०/१३ चैत्र, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि--

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा।